लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1972/24 अग्रहयण, 1894 (शक)
No. 24, Friday, December 15, 1972/Agrahayana 24, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
461 खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा स्टेनलैस स्टील की चद्दरों का मूल्य बढ़ाना	Raising of Price of Stainless Steel Sheets by MMTC ..	1
462. अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए राज्यों को सहायता देने की पद्धति में परिवर्तन	Change in criteria for Grant of Assistance to States for Scarcity Relief Works ..	2
463. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में सेवा नियम	Service Rules in State Bank of Bikaner and Jaipur ..	5
464. छोटे सिक्कों की कमी	Scarcity of Small Coins	6
467. पटसन उद्योग में मन्दी	Depression in Jute Industry	9
468. भारत द्वारा ऋण की अदायगी की तारीखों में परिवर्तन करने के लिए भारत सहायता संघ की बैठक	Meeting of Aid India Consortium for Rescheduling of India's debt obligations..	11
470. जूट मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव	Proposals for the establishment of Jute Mills	12
473. राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक प्रयोक्ताओं के प्रति सेवा का स्तर	Standard of service to Bank Users in Nationalised Banks	14
474. अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the quetion was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
465. पोलैंड के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Poland	18
466. स्टेट बैंक आफ इंडिया लखनऊ के पास पड़े करैंसी नोट	Currency Notes lying in the State Bank of India, Lucknow ..	18
469. वर्ष 1971-72 के दौरान एयर इण्डिया द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Air India during 1971-72	20
471. रबी की फसल के लिए द्रुत कार्यक्रम में और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में बैंकों के प्रयासों में सहायता देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय	Decision of RBI to assist Banks in Raissing production in crash programme for Rabi output and in Industrial Sector	20
472. आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, नई दिल्ली	IBM World Trade Corporation, New Delhi..	20
475. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करैंसी और वित्त के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के निष्कर्ष	Findings of Reserve Bank of India's Study on Currency and Finances ..	21
476. मानव केशों का निर्यात	Export of Human Hair	22
477. बिहार में पटसन मिलों को अपने हाथ में लेना	Take over of Jute Mills in Bihar	22
478. यूगांडा से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to Repatriation of Indian Citizens from Uganda ..	22
479. इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों में हिन्दी के समाचार पत्रों का उपलब्ध होना	Availability of Hindi Paper in Indian Airlines Planes	23
480 काजू और काजू के छिलके के तेल के निर्यात से आय में वृद्धि	Increase in export earnings from Cashew Nuts and Cashew Shell Oil	23
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
4450. आर्थिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच बातचीत	Talks between India and USSR for improving economic relations	23
4451. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा एकमात्र ऋण की सीमा समाप्त करना	Discontinuance of limit for single loan by Industrial Development Bank of India ..	24

विषय

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4452	एशियाई देशों में भारतीय पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति को उदार बनाना	Liberalisation of policy towards Indian Investment in Asian countries	24
4453.	दिल्ली और लखनऊ से उड़ने वाले विमान के प्रस्थान समय में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to change the time of departure of Air Flight from Delhi and Lucknow ..	26
4454.	प्रत्यक्ष करों की वसूली	Collection of Direct Taxes	26
4455.	वर्ष 1971 के दौरान एयर इंडिया तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के माध्यम से भारत में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या	Total number of tourists who visited India using Air India and other International Airlines during 1971 ..	26
4456	जब्त किए गए सामान का वितरण करने सम्बन्धी समिति	Committee on Distribution of Confiscated Goods ..	27
4457.	केरल में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की परिपूर्ण शाखा स्थापित करना	Setting up of a full fledged branch of Reserve Bank of India in Kerala ..	29
4458	एशिया '72 में हस्ताक्षर किए गए निर्यात और आयात सम्बन्धी समझौते	Export and Import Agreements signed at Asia '72 ..	29
4459.	एयर इंडिया में स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति	Candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed to the posts of Station Superintendents in Air India ..	30
4460.	एयर इंडिया में 1 नवम्बर, 1972 तक काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या	Number of officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are working in Air India as on 1st November, 1972 ..	31
4462.	काले धन का पता लगाने के लिए मारे गए छापों से व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons during raids to unearth black money .	31
4463.	भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Investment of Foreign Capital in India ..	31
4464.	अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income tax by All India Trade Unions ..	31

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4465. कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में बड़े व्यापार गृहों के विरुद्ध जांच	Enquiry against big industrial houses for violation of Companies Act ..	32
4466. झरिया में स्टेट बैंक आफ इंडिया में भुगतान	Payments at the State Bank of India in Jharia	32
4467. राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रबन्ध प्रशिक्षुओं की नियुक्ति	Recruitment of Management Trainees by STC	32
4468. विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय	Measures to protect the officers of Public Undertakings of Central Government located in various States	33
4469. मानार्थ पास लेने के लिए एयर इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines to officers and staff of Air India for getting complimentary passes ..	33
4470. फोटोग्राफी के आयातित सामान का लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य	CIF value of imported photographic items..	34
4472. सरकारी कर्मचारियों की अगले उच्च पदों पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उच्च वेतनमानों में उनका वेतन निर्धारित करना	Fixation of pay of Government Employees in Higher Scales as a result of promotion to Higher posts ..	34
4473. अनुभाग अधिकारियों को समयोपरि भत्ता देना	Grant of Overtime Allowance to Section Officers ..	35
4474. गत दो वर्षों में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन का आर्थिक प्रभाव	Financial Impact due to inflow of Foreign Tourists into the country during the last two years ..	36
4475. एशिया '72 प्रदर्शनी को चलती फिरती प्रदर्शनी में बदलने की योजना	Scheme to Convert Asia '72 Exhibition into a Mobile exhibition ..	36
4476. एशिया '72 में भाग ले रहे देशों के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध	India's trade relations with participating countries in Asia '72 ..	36
4477. कम्पनियों में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for appointments on top posts in companies ..	37

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4478. ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing Director of Gramophone Company Limited, Calcutta	38
4479. रुई की खरीद में कदाचारों के सम्बन्ध में बावला के किसानों द्वारा अपील	Appeal by Bavla Farmers regarding Malpractices in Cotton Purchase	38
4480. पटसन उद्योग को सिंथैटिक्स से संकट	Jute Industry facing threat from Synthetics	39
4481. मेसर्स गोलचा प्रोपाइटर्स लिमिटेड में जमा कर्ताओं को अदायगी	Payments to the Depositors of M/s Golcha Proprietors Ltd. ..	39
4482 एशिया व्यापार मेले में खाद्य पदार्थों के स्टालों द्वारा लिए गए बहुत अधिक मूल्य	Exhorbitant Prices charged by Eating Stalls in Asian Trade Fair ..	40
4483. घिसी पिटी मशीनों के कारण कपड़े के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Cloth due to worn out Machines ..	40
4484. दिल्ली के प्लाटों के स्वामियों से स्टाम्प ड्यूटी एकत्र करना	Collection of Stamp Duty from Plot-holders in Delhi ..	40
4485. भारत में फोर्ड फाउन्डेशन में कार्य कर रहे विदेशी कर्मचारी	Foreigners deployed in Ford Foundation in India ..	41
4486. सरकारी उपक्रमों के माध्यम से मेवों का आयात	Canalisation of Import of Dry Fruits through Public Undertaking	41
4487. सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का उनके मूल कार्यालयों में वापस भेजा जाना	Reversion of Deputationists in Public Undertakings to their parent offices	42
4488. फोर्ड फाउन्डेशन के कर्मचारियों द्वारा आयकर की अदायगी	Payment of Income tax by the Employees of Ford Foundation ..	43
4489. फोर्ड फाउन्डेशन की परियोजनाएं	Projects under Ford Foundation	43
4490. सरकारी क्षेत्र के एककों में गोलमाल	Malpractices in Public Sector Units	45
4491. विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा मारुति लिमिटेड को ऋण दिया जाना	Grant of loans to Maruti Limited by various Financial Institutions ..	45
4492. सरकारी उद्यमों में सूचना पद्धति	Information System in Public Enterprises..	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4493.	पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्य वृद्धि	Price Rise during the Firt Three Five Year Plans ..	46
4494.	चलचित्रों का निर्यात	Export of Films	47
4495	यूगोस्लाविया के सहयोग से मध्य प्रदेश में एल्कालायड तैयार करने का कारखाना	Alkaloid Factory in Madhya Pradesh in Collaboration with Yogoslavia	47
4496.	सम्पत्ति और उद्यम से होने वाली अत्यधिक आय पर प्रतिबन्ध	Restraint on excessive income arising from property and enterprise ..	47
4497.	आर्थिक विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के विचार	Views expressed by NCAER regarding Economic Development	48
4498	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन का पुनर्गठन	Reorganisatioa of IMPEC	48
4499	विदेशी मुद्रा की हानि	Leakage of Foreign Exchange	48
4500.	मूल्य में कर जोड़ने का सुझाव	Suggestion for Value Added Tax System ..	49
4501.	सूडान से रुई का आयात	Import of Cotton from Sudan ..	49
4502.	राजस्थान स्थित स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा किसानों को दिया गया ऋण	Loans to farmers from Bank of Bikaner and Jaipur in Rajasthan ..	50
4503.	जगदलपुर में टसर बुनाई केन्द्र	Tussar Weaving Centre at Jagdalpur	50
4504.	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किए गए वायदे	Commitments made by Agriculture Refinance Corporation	50
4505.	वकीलों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Income tax by Advocates	51
4506	एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में खर्च होने वाला पेट्रोल तथा उसका मूल्य	Quantity and value of Petrol consumed in the Aircraft of Air India and Indian Airlines ..	51
4507.	भारतीय और विदेशी पर्यटकों को कलकत्ता आने के लिए आकर्षित करने हेतु फिल्म और टेलीविजन का उपयोग करने का प्रस्ताव	Proposal to use film and TV to attract Indian and foreign tourists to Calcutta..	52

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4508. सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कपड़ा मिलों की आस्तियां और देनदारियां	Assets and liabilities of the Textile Mills taken over by Government ..	52
4509. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Central Government Employees	52
4510. देश में नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिए दुकानों की संख्या	Number of shops for sale of controlled cloth in the country ..	53
4511. सरकारी उपक्रमों में सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां	Appointments on the Top Posts in public sector undertakings ..	53
4512. सरकार के नियंत्रणाधीन संकट-ग्रस्त मिलें	Sick mills under Government Control ..	53
4513. भारत से बाहर चोरी छिपे ले जाये जाने वाली फिल्मों का पकड़ा जाना	Seizure of films being smuggled out of India ..	54
4514. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का रख-रखाव	Maintenance of Public Sector Undertakings	54
4515. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुआ घाटा	Loss incurred by Public Sector Undertakings	55
4516. राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के लिये आयु सीमा	Age limit for appointments in nationalised Banks ..	55
4517. बीजों और उर्वरकों की खरीद के लिये गन्ना उत्पादकों को राष्ट्रीय-कृत बैंकों से ऋण	Loans to sugar-cane growers from nationalised banks for purchase of seeds and fertilisers	55
4518. चाय उद्योग के लिये पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट का आयात	Import of Potassium Chloride and Ammonium Sulphate for Tea Industry ..	56
4520. काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Coffee Board Employees	57
4521. हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा लाभांश का भुगतान	Payment of dividend by Hindustan Motors..	57
4523. सरकारी उपक्रमो के विस्तार के लिए सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Public Investment Board for Expansion of Public Undertakings ..	58

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4524. भारतीय इत्रादि का निर्यात	Export of Indian Perfumes	58
4525. रोजगार कार्यालयों द्वारा खाली पदों को भरने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजे गये अनुसूचित जाति के उम्मीदवार	Scheduled Castes candidates sent by Employment Exchanges to State Bank of India against vacant posts	59
4526. मुंगेर जिले (बिहार) में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने की योजना	Scheme to set up a Tourist Centre in District Monghyr (Bihar)	59
4527. शराब का आयात	Import of Liquor	59
4528. देहली में स्टेट बैंक आफ इंडिया की सांध्यकालीन शाखा खोला जाना	Opening of Evening Branch of State Bank of India in Delhi ..	60
4529. भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि	Remittances received by Foreign Missionaries in India ..	60
4530. कर्मचारियों के वेतन से आयकर की कटौतियों की धनराशि को जमा न करवाने के बारे में कानपुर की कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Companies in Kanpur for non-payment of Income tax deducted from the Salaries of their employees ..	61
4531. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लिये स्वायत्तता के दर्जे की मांग	Autonomous Status demanded for Reserve Bank of India ..	61
4532. एशिया '72 में काम कर रहें कर्मचारियों की संख्या	Number of persons employed in Asia '72 ..	61
4533. एशिया '72 के प्रचार के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for the publicity of Asia '72	62
4534. एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा बड़े व्यापार गृहों में पाये गये गड़बड़ी के मामले	Cases of default among large houses found by Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission	62
4535. बालासौर (उड़ीसा) जिले की स्टेट बैंक आफ इंडिया की भद्रक शाखा से लिया गया ओवर-ड्राफ्ट	Overdraft taken away from Bhadrak Branch of State Bank of India in District Balasore (Orissa) ..	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4536. भारत और बंगला देश के बीच पटसन और कपड़े के व्यापार पर लगाए गए प्रशुल्क को पारस्परिक आधार पर समाप्त करने या कम करने का प्रस्ताव.	Proposal for Reciprocal Abolition or Reduction in Tariffs on Jute and Textile between India and Bangladesh	64
4537. विदेश व्यापार मन्त्रालय के व्यक्तियों की सेवा का समाप्त किया जाना	Termination of Services of Persons belonging Foreign Trade Ministry ..	65
4538. भारतीय पूंजीनिवेश केन्द्र (इंडियन इनवेस्टमैंट सेन्टर) द्वारा कार्यालयों का अनुरक्षण	Office maintained by Indian Investment Centre ..	65
4539. पर्यटक यातायात के माध्यम से विदेशी मुद्रा की हानि	Leakage of Foreign Exchange through Tourist Traffic	66
4540. लघु उद्योगपतियों को ऋण देने के लिए नियमों तथा प्रक्रिया में संशोधन करना	Modifications in the Rules and Procedure for grant of loans to Small Scale Industrialsts	66
4541. सहकारी बैंकों में जमा राशि पर जमा बीमा योजना लागू करना	Extension of depoit Insurance Seheme to over deposis with cooperative Banks	67
4542. स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्वामित्व का स्वरूप	Ownership structure of State Bank of India	67
4543. एशिया '72 को देखने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रतिदिन टिकटों की बिक्री से होने वाली आय	Number of persons who visited Asia '72 and daily earnings from the sale of tickets	68
4544. एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों का वेतन	Pay of employees of Air India and Indian Airlines ..	69
4545. अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा भारत को ऋण सम्बन्धी राहत	Debt Relief to India from International agencies	69
4546. पटसन और चाय के निर्यात के लिए अन्य देशों के साथ संयुक्त प्रबन्ध	Joint arrangements for export of Jute and Tea with other countires ..	69
4547. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारियों को तंग करने के बारे में जांच	Enquiry into the victimisation of employees of State Bank of Bikaner and Jaipur ..	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4548.	दिल्ली में एशिया '72 के बारे में लगाये गये विज्ञापन पट	Hoardings regarding Asia 72 put up in Delhi ..	70
4549	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग से प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त स्थानों को भरना	Filling up of vaencies of administrative officers in Cen ral Excise Department ..	71
4551.	घटिया धागे के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence for Manufacturing Shoddy Yarn ..	71
4552.	भारत और ब्रिटेन के बीच दो-तरफा व्यापार	Two way Trade between India and Britain ..	72
4553.	आयकर अधिकारियों के छापे	Raids by Income tax Authorities	72
4554.	यूगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात	Export of Wagons to Yugoslavia	73
4555.	केरल के क्विलोन हवाई अड्डे को सुधारने का प्रस्ताव	Proposal to Improve Airport at Quilon in Kerala ..	73
4556.	केरल की गैर-योजना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Non-Plan Projects	74
4557.	चौथी योजना में केरल में पर्यटन विकास हेतु कुल परिव्यय	Total Outlay for Tourism Development for Kerala during Fourth Plan	75
4558.	पांचवी योजना में केरल में पर्यटन विकास	Tourism Development in Kerala during Fifth Plan	76
4559.	केरल में एयर टैक्सी सेवा लागू करने की अनुमति	Permission for Introducing Air Taxi Service in Kerala	76
4560.	हिसार फ्लाइंग क्लब के एक विमान का सौनीपत के निकट 18 नवम्बर, 1972 को दुर्घटना ग्रस्त होना	Crash of an Aircraft of Hissar Flying Club near Sonepat on 18.11.72 ..	76
4561.	एशिया विकास बैंक से ऋण	Loan from Asian Development Bank	77
4662.	एशियाई देशों को इंडियन एयर लाइन्स की हवाई सेवायें	Indian Airlines Services to Asian Countries..	77
4563.	फोर्डफाउन्डेशन तथा राक फैलर फाउन्डेशन के कर्मचारियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrerars of Income tax against the Employees of Ford Foundation and Rock-feller Foudation ..	78
4564.	कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण के लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता	Financial Aid from World Bank for Calcutta Metropolitan Development Authority ..	79

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4565. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में छठे वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted to sixth Finance Commission by West Bengal Regarding Repayment of Central Loans ..	79
4566. पूर्व अफ्रीकी देशों द्वारा भारत को कच्चा काजू भेजना	Shipment of raw Cashew from East African countries to India ..	80
4567. बोनस के भुगतान के बारे में नारियल जटा बोर्ड की बैठक	Meeting of Coir Board regarding Payment of bonus ..	81
4568. सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण	Governments borrowing from the Reserve Bank ..	81
4569. बम्बई में सान्ताक्रुज में इलेक्ट्रानिक्स के लिये निर्यात संवर्धन जोन की स्थापना	Setting up of export processing Zone for electronics at Santa Cruz, Bombay ..	82
4570. एयर इंडिया में यात्रियों की संख्या वृद्धि के साथ आय में आनुपातिक वृद्धि	Proportionate Growth in Revenue with Increase in Passenger Traffic in Air India	82
4571. मन्त्रालय तथा आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के अन्वेषकों के लिए संयुक्त संवर्ग	Combined Cadre of Investigators in Ministry and C. C. I. & E.	82
4572. भारत के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	Report of World Bank of India Economic Development	83
4573 सरकारी और गैर सरकारी नियंत्रण के अधीन कपड़ा मिले	Textile Mills under Government Control and Private Control	83
4574. दरभंगा का कलकत्ता, दिल्ली तथा काठमांडु से विमान सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	Proposal to link Darbhanga with Calcutta Delhi and Kathmandu by Air ..	84
4575. करों की वसूली के लिए शहरी सम्पत्ति आदि का सर्वेक्षण	Survey of Urban Properties etc. for collection of Taxes	84
4576. मध्य प्रदेश में खजुराहो हवाई अड्डे का विकास	Development of Khajuraho Airport in Madhya Pradesh	85
4577. विमान दुर्घटनाओं के लिए स्वतंत्र निकाय	Independent Body for Investigation into Air Crashes ..	85
4578. बम्बई में तस्करी की घड़ियों का जब्त किया जाना	Seizure of Smuggled Watches in Bombay	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4579.	'फरीदाबाद कम्पलेक्स' में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता	CCA and HRA to Central Government Employees working in Faridabad Comple	86
4580	निर्यात के लिए अधिक प्रोत्साहन देने की योजना	Scheme to provide more Incentives to Exports	86
4581.	सिंगापुर तथा हांगकांग में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण	Working of Branches of Nationalised Bank in Singapore and Hong Kong	87
4582.	ताम्बरम् के कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता	Grant of HRA and CCA to Central Government Employees working at Tambaram	87
4584.	यूरोप के पर्यटन यातायात में में भारत के पर्यटन यातायात का हिस्सा	Share of India's Tourist Industry cut of Tourist Traffic from Europe ..	87
4585.	एशिया '72 में दिल्ली मंडप में माल के निर्यात सम्बन्धी आर्डरों के लिए बातचीत	Orders for Export of Goods negotiated at Dell i Pavilion in Asia '72 ..	88
4586.	निपचून बीमा कम्पनी से कस्टोडियन की नियुक्ति	Appointment of Custodian for Neptune Assurance Company	88
4587.	कलकत्ता के बड़े होटलों द्वारा विदेशी पर्यटकों से होटल बिलों की अदायगी विदेशी मुद्रा में लेना	Receipt of Hotel Bills in Foreign Exchange from Foreign Tourists by Big Hotels in Calcutta ..	89
4588.	भारतीय रुई निगम के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा गुजरात से रुई की खरीद	Purchase of Cotton by CCI Nominess from Gujarat	89
4589.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के उधार खातों में वृद्धि	Increase in borrowing Accounts of Nationalised Banks	90
4590.	सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप महंगाई में वृद्धि	Rise in Price as a result of Increase in DA of Government Employees ..	90
4591.	विदेशी कम्पनियों को शेयरों के दिये जाने से विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to transfer of Shares to Foreign Companies	90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4592. निर्यात प्रोत्साहन का दुरुपयोग	Misuse of Export Incentive	91
4593. बम्बई में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold in Bombay ..	91
4594. गुजरात में बड़ौदा में जाली सिक्के बनाने वाली टकसाल का पता चलना	Mint manufacturing counterfeit Coins Unearthed in Baroda, Gujarat	92
4595. राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बैठक	Meeting of Governor of Reserve Bank of India with Chief Executives of Nationalised Banks ..	92
4596. अधिक मूल्य के ठेकों सम्बन्धी विश्वव्यापी टेंडरों में भारतीय निर्यातकों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Indian Exporters in Global Tenders for High Value Contracts	93
4597. मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता प्राप्त अतिरिक्त लाभ का समाप्त हो जाना	Absorption of Extra Benefit of Interim Relief to Central Government Employees as a result of rise in Prices ..	93
4598. एशिया '72 में अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाने वाले देश	Countries which will celebrate their National Days in Asia '72	94
4599. मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए की गई कार्यवाही का प्रभाव	Impact of the Steps taken to Check Price Rise ..	95
4600 बंगला देश से आयात की गई और वहां निर्यात की गई वस्तुयें	Articles imported from and exported to Bangladesh ..	95
4601. भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों में लगी पूंजी	Capital Invested in Foreign Companies Operating in India	96
4602. भारत बंगला देश मत्स्य करार में बाधायें	Obstructions in Indo-Bangladesh Fish Agreement	96
4603. बंगला देश द्वारा भारतीय फिल्मों का आयात	Import of Indian Films by Bangladesh	97
4604. पति और पत्नी की आय को मिलाना	Clubbing of Income of Wife and Husband	98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4605.	केन्द्रीय सरकार की पर्यटक सूची में दीघा को समाविष्ट करने का प्रस्ताव	Proposal to Include Digha in the Tourist List of Central Govcrnment ..	98
4606.	छहरटा स्थित हिन्दुस्तान एम्ब्रायड्री मिल्स लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की मांग	Demand for Take over of Hindustan Embroidery Mills Limited, Chheharta ..	98
4607.	श्रीराम ग्रुप के उद्योगों का विस्तार	Expansion by Shri Ram Group of Industries ..	99
4608.	कम्पनियों में कुप्रबन्ध सम्बन्धी शिकायतें	Complaints against companies for Mismanagement	99
4609.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ को मान्यता	Recognition to International Airports Authority Employees Union	99
4610.	कम्पनियों द्वारा धन का प्रेषण	Remittances by Companies	100
4611.	कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा सेवा-शुल्क का प्रेषण	Remittance of Service Changes by Coca Cola Export Corporation	100
4612.	पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों पर रात को हवाई जहाजों के उतरने के लिए सुविधायें	Night Landing Facilities at Airports in the Eastern Region ..	101
4613.	बम्बई में जुहू तट पर होटलों के निर्माण हेतु एयर इंडिया द्वारा नियुक्त किए गए विदेशी वास्तुविद्	Foreign Architects engaged by Air India for Constructing Hotels at Juhu Beach in Bombay ..	101
4614.	मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक आमदनी वाले उद्योगपतियों की ओर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Industrialists with Income of above Rs. One Lakh in Madhya Pradesh	102
4615.	मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना	Removing of Regional Imbalance in Madhya Pradesh ..	102
4616.	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर किए गए वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित मामले	Court Cases Filed in Madhya Pradesh High Court Relating to the Ministry of Finance	102
4617.	स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के किए गए दौरे	Tours Undertaken by Officers of State Bank of India and Industrial Development Bank of India to Backward District of Madhya Pradesh	103

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4618. मध्य प्रदेश में आयकर अधिकारियों के विरुद्ध जांच पड़ताल	Enquiry Against Income tax Officers in Madhya Pradesh	103
4619. दिल्ली में एशियाई व्यापार मेले पर होने वाला खर्च और उससे प्राप्त आय	Expenditure on and Income from Asian Trade Fair in Delhi	103
4620. सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के इलैक्ट्रानिक केन्द्र के बारे मंत्रालयों के बीच वाद विवाद	Inter-Ministerial Disputes over the Santa Cruz Airport Electronic Centre	104
4621. स्पेन से गैर-परम्परागत वस्तुओं के लिए आर्डर	Export Order from Spain for Non-Traditional Items ..	104
4622. स्पेन के साथ व्यापारिक समझौता	Trade Agreement with Spain	104
4623. भारत की आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank's Report on India's Economic Development ..	105
4624. बलगारिया में हुए प्लोवडिव अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भारतीय तथा बलगारिया की फर्मों के बीच हुए करार	Contracts between Indian and Bulgarian Firms at Plovdiv International Fair Bulgaria	105
4625. सूती कपड़ा मिलों में मोटे कपड़े का उत्पादन	Coarse Cloth Produced by the Textile Mills	105
4626. कोलम्बो योजना परामर्शदात्री सम्मेलन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Officers and staff for Colombo Plan Consultative Conference..	106
4627. वर्ष 1970-71 से 1972 तक एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के तदर्थ आयात लाइसेंस प्राप्त करने वाली पार्टियां	Names of parties given ad hoc import Licences worth more than one lakh of rupees from 1970-71 to 1971-72	107
4628. चाय उद्योग के एकाधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Tea Industry Monopolists..	107
4629. गोवा का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Goa as a Tourists Spot..	108
4630 विदेशी मुद्रा की हानि	Leakage of Foreign Exchange	108
4631. बम्बई और कलकत्ता में आय कर अधिकारियों द्वारा छापे मारना	Raids by Income tax Authorities in Bombay and Calcutta ..	109
4632. अभ्रक के निर्यात में गिरावट	Decline in export of Mica ..	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता:० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4633. रूस को निर्यात	Exports to USSR ..	110
4634. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के उपदान राशि में से दो महीने का वेतन काटे जाने से छूट	Waiver of deduction of two months' salary from gratuisy of Central Government Employees ..	111
4635. रुपए की क्रय शक्ति में कमी	Fall in purchasing power of Rupee	111
4636. श्री आर० पी० गोयन्का के अधीन कम्पनिया	Companies under Shri R. P. Goenka	112
4637. महाराष्ट्र सर्किल में जीवन बीमा निगम में नियुक्त अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	Employees belonging to SC and ST on LIC Strength in Maharashtra Circle ..	113
4638. महाराष्ट्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभ्यार्थियों की भर्ती	Recuritment of candidates in Nationalised Banks of Maharashtra ..	113
4639. बिहार द्वारा लिया गया ओवरड्राफ्ट	Overdraft by Bihar	114
4640. मंजूरी आय तथा सम्पति के संबंध में नीति निर्धारण	Policy evolved on wages, income and Wealth	114
4641. गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की आय पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना	Scheme to curb Income of Highly Paid persons in Private Sector	115
4642 .राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत धन इकट्ठा करने के लक्ष्य	Target for collection under the National Savings Scheme ..	115
4643. कच्चे पटसन के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Raw Jute ..	115
4644 कुछ देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन	Adverse balance of Trade with some countries	116
4645 धातु चमकाने वाले मिश्रण का विनियम के आधार पर आयात	Import of Metal Finishing Compound on Barter basis ..	116
4646. राज्यों द्वारा केन्द्रीय ऋणों का व्याज देना	Payment of interest on Central Loans by States ..	116
4647. भारत में विभिन्न स्थानों पर हस्त-शिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनियों का आयोजन	Places where Handicrafts Exhibitions were organised in India ..	118
4648. वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य प्रभाग पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Economic Division of Finance Ministry ..	118
4649. इंडियन एयरलाइन्स और एयर	Investigation into the causes of Air crashes involving the Aeroplanes of Indian Air-	119

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
इंडिया के विमानों की हुई दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच	lines and Air India ..	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	119
अकाल राहत के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता की कथित कमी	Reported lack of Central Assistance to Rajasthan for famine Relief ..	119—123
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga ..	119—123
श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasahib P. Shinde	121
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	121—122
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	123
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	125
लोक लेखा समिति 54 वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Fifty-Fourth Report	126
रेल अभिसमय समिति पहला प्रतिवेदन	Railway Convention Committee First Report	126
सभा का कार्य	Business of the House	126
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Disturbed Areas (Special Courts) Bill Extension of time for presentation of Report of Joint Committee ..	128
उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में घरों के जलाये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य	Statement re alleged burning of houses in certain villages in Uttar Pradesh ..	129
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	129
राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	State Financial Corporations (Amendment) Bill Motion to conside ..	130
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	130—132
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	131—132
खंड 2 से 28 और 1	Clauses 2 to 28 and 1	134
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	134
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Bill	134

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	134
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	135
श्री आर० पी० उलगनम्बी का नदी निगम विधेयक–पुरःस्थापित	River Corporation Bill by Shri R. P. Ulaganambi—Introduced	135
श्री एस० सी० सामन्त का राष्ट्रीय राय-फल प्रशिक्षण योजना विधेयक	National Rifle Training Scheme Bill by Shri S. C. Samanta	136
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla ..	136
श्री एम० बी० राणा	Shri M. B. Rana	136
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	136—138
श्री एस० सी० सामन्त	Shri S. C. Samanta	137—138
डा० कर्णी सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक 1972 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	Constitution (Amendment Bill) Amendment and eighth schedule ..	138
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	138—140
श्री माधुर्य्य हालदार	Shri Madhuryya Haldar	140—141
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	141—142
श्रीमती गायत्री देवी-जयपुर	Shrimati Gayatri Devi of Jaipur	142
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Borupal	142
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Dev	142
श्री मूल चंद डागा	Shri M. C. Daga	143
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ..	143—144
प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	145—146
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	146
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	146
श्री टी० सोहनलाल	Shri T. Sohan Lal	146—147
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	147
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	147
शान्ति पूर्ण कार्यों के लिये परीक्षणात्मक आणविक विस्फोट	Experimental Nuclear Explosion for Peaceful purposes	147—150

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	147
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ..	149—150
देश में छात्रों में असंतोष और दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसम्बर, 1972 को हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा	Discussion on Students unrest in the country and incidents in Delhi University on December 6, 1972 ..	150—158
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ..	150—156
श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	152
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	152—156
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	153
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	154
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	154—155
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	155
प्रो० एस० नूरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan ..	151—158

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1972/24 अग्रहायण, 1894 (शक)
Friday, December 15, 1972/Agrahayana 24, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा स्टेनलैस स्टील की चद्दरों का मूल्य बढ़ाना

*461. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने स्टेनलैस स्टील की चद्दरों का मूल्य 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा दिया है ;

(ख) मूल्यों में इस अकस्मात् वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मूल्य में हुई इस वृद्धि का प्राथमिकता प्राप्त तथा लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। पांडिचेरी लघु उद्योग एसोसियेशन के अध्यक्ष से जुलाई-सितम्बर, 1972 में एक पत्र मिला था जिसके अनुसार स्टेनलैस स्टील की चादरें का प्रति किलोग्राम मूल्य 17·89 रुपये था, परन्तु अक्तूबर-दिसम्बर, 1972 में यह कीमत अकस्मात् ही बढ़ाकर 28 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई। यह वृद्धि लगभग दुगनी है। कृपया मन्त्री महोदय इस अकस्मात् मूल्य वृद्धि के कारण स्पष्ट करेंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : 1 अक्तूबर, 1971 को आयातित स्टेनलैस स्टील की लागत-बीमा-भाड़ा कीमत 7103 रुपये प्रति टन थी और 1 अक्तूबर, 1972 को यह कीमत बढ़कर 8234 रुपये प्रति टन हो गई। इस प्रकार यह मूल्य वृद्धि 1000 रुपये प्रति टन भी थी, दुगनी नहीं।

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : निर्यात पात्रता के आधार पर और धातु-खनिज व्यापार निगम द्वारा आयात की गई स्टेनलैस स्टील चादरें जितनी ऊंची कीमतों पर बेची जाती हैं क्या उस पर कोई नियंत्रण रखा जा रहा है।

श्री एल० एन० मिश्र : सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा आयात किये जाने वाले अन्य कच्चे माल की तरह इस मामले में भी आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में बनी एक समिति कीमत निर्धारित करती है। नियत किया गया कोटा केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि बर्तनों के निर्माता स्टेनलैस इस्पात की उस कीमत को जिस पर वह काले बाजार में बिकता है आधार मानकर अपने उत्पाद का मूल्य लेते हैं और यदि हां तो, क्या सरकार उपभोक्ताओं को कुछ राहत देगी या आयात लाइसेंस कुछ प्रतिशत नियंत्रित कीमतों पर बर्तन विक्रय करने के लिए निर्धारित करेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : वास्तव में, बर्तनों की कीमतों पर हम नियंत्रण नहीं रखते। स्टेनलैस इस्पात आयात करने के दो माध्यम है—एक तो धातु तथा खनिज व्यापार निगम और दूसरा निर्यात द्वारा प्राप्त पात्रता के आधार पर। धातु-खनिज व्यापार निगम 3 प्रतिशत के करीब मुनाफा लेता है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये राज्यों को सहायता देने की पद्धति में परिवर्तन

*462. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सूखे की स्थिति में राहत देने के लिये केन्द्रीय सहायता की पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में तीन वर्ष से निरन्तर चल रही भारी सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता पद्धति को उदार बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां। यह मामला छठे वित्त आयोग को सौंप दिया गया है जिससे अनुरोध किया गया है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों द्वारा सहायता कार्यों पर किए गए व्यय के लिए वित्त देने सम्बन्धी नीति और प्रबन्धों की समीक्षा भी करे।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति की गम्भीरता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को लिखा है। हाल ही में एक केन्द्रीय दल ने भी राज्य का दौरा किया है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय दल जो सिफारिशें करेगा उसके अनुसार राहत कार्यों पर उनके व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को उपयुक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायगी।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : पहले दल वहां पर घोर अकाल की स्थिति को देखकर यह रिपोर्ट दी कि फसलों के नष्ट हो जाने से जो कठिनाई हुई है वह वास्तविक है और उस कष्ट को दूर करने के लिए किए जा रहे राहत कार्य सुनिर्दिष्ट हैं। हमें बताया गया है कि एक दूसरे दल ने राज्य का दौरा किया है। दूसरे दल ने कितनी वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है ? क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने मवेशियों को चारा और पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : महाराष्ट्र में 1970-71 से सूखा पड़ रहा है। यह तीसरा वर्ष और इसमें संदेह नहीं कि इस स्थिति का संचित दुष्टप्रभाव बहुत अधिक हो गया है। 1971-72 के अन्त तक मंजूर की गई सहायता राशि 41 करोड़ रुपये से भी अधिक है। गत तीन वर्षों में छः केन्द्रीय दलों ने राज्य का दौरा किया है। पांचवें दल ने अक्तूबर तक लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है जो 41 करोड़ रुपये के अलावा है। रबी के दिनों भी अनावृष्टि होने के कारण स्थिति और गम्भीर हो गई है। अतः छठे दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया है। राज्य के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय दल को लगभग 143 करोड़ रुपये का अनुमान बताया है।.....

श्री मधु दंडावते : दल मैदान छोड़ लौट आया है।

श्री चशवन्त राव चव्हाण : वही लोग मैदान छोड़ लौट आते हैं जो हार जाते हैं। यह दल तो सचिवालय वापस आकर यह विचार कर रहा है कि राज्य के लिए क्या किया जा सकता है। अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र के लिए भी स्थिति का मूल्यांकन किया जायेगा।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मन्त्री महोदय ने बताया है कि अखिल भारतीय आधार पर या किसी विशिष्ट आधार पर जो भी सहायता निर्धारित की जायेगी वह महाराष्ट्र को भी मिलेगी। यह लगातार तीसरा वर्ष है जिसमें महाराष्ट्र अनावृष्टि के कारण अकाल की घोर स्थिति का सामना कर रहा है। वहां पर करीब 10,650 राहत कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं जिनमें लगभग 20 लाख व्यक्ति लगाये गये हैं। महाराष्ट्र को अभी तक अनुदानों, मार्गोपाय अग्रिमों और कृषि साधनसामग्री के लिए लघुकालीन ऋणों के रूप में केवल 40 करोड़ रुपये दिये गये हैं। लगातार तीसरे वर्ष भी अभाव की स्थिति को देखते हुए जिसने राज्य सरकार के संसाधनों पर और अधिक दबाव पैदा कर दिया है, क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र को विशेष सहायता देगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विशेष सहायता का तर्क देकर अपने मामले को अनावश्यक कमजोर न बनाइए। जहां भी विशेष प्रकार की कठिनाइयां होंगी उन्हें ध्यान में रखा जायेगा। परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग सिद्धान्त अपनाया जाये।

श्री मधु दंडावते : महाराष्ट्र जैसे राज्यों को केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदानों की कुछ राशि सहायता कैम्पों में कार्मिकों को साप्ताहिक छुट्टी भत्ता देने और विद्यार्थियों को राहत देने पर व्यय कर दी गई। केन्द्र के हस्तक्षेप करने पर, यह निर्णय लिया गया था कि व्यय की इन दोनों मदों को स्वीकार्य नहीं माना जायेगा। तबसे इन्हें बन्द कर दिया गया। क्या वित्त मन्त्री हमें यह आश्वासन देंगे कि इन्हें अब पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ये विशिष्ट मामले हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ जिलों

के सम्बन्ध में इन सिद्धान्तों को बदलना पड़ेगा। वित्त आयोग का परामर्श लेकर ये सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। पांचवें आयोग ने इस प्रश्न पर विचार कर कुछ सिफारिशें की थीं जिनके आधार पर 1968 में कुछ कसौटियों और सिद्धान्तों में परिवर्तन किये गये। अब भी जबकि छठा वित्त आयोग नियुक्त किया गया है यह प्रश्न उसे फिर विचारार्थ सौंपा गया है। योजना आयोग ने स्वयं अपने यहां एक ग्रुप नियुक्त किया है जिसके अध्यक्ष एक विख्यात अर्थशास्त्री श्री मिन्हास हैं। उन्होंने भी इस बात का विशेषरूप से उल्लेख किया है कि क्या सहायता देने की कोई दूसरी पद्धत्ति होनी चाहिए।

इस बारे में दो विचार हैं। एक यह कि राज्य सरकारें चाहती है कि पूरी सहायता अनुदानों के रूप में दी जाय न कि ऋणों के रूप में, क्योंकि राज्यों पर ऋणों का भार बहुत अधिक बढ़ चुका है। दूसरा विचार यह है कि आपदाओं के लिए एक राष्ट्रीय निधि बनायी जाये जिसमें राज्य और केन्द्र दोनों ही अंशदान दें और कठिनाई आने पर उसमें से धनराशि निकाली जाये।

नवीनतम विचार यह है कि इस प्रकार की सूखे की स्थिति एक प्राकृतिक आपदा है और जब तक उत्पादन प्रयत्नों की दिशा में हम कोई ऐसी टैक्नोलोजिकल उन्नति नहीं कर लेते कि जिससे ऐसी स्थिति का भी सामना किया जा सके, तब तक हमें इसे सहना ही होगा। छठे वित्त आयोग के निर्देश पदों में इस विषय को भी सम्मिलित किया गया है। जहां तक सिद्धान्त निर्धारण का सम्बन्ध है हमें आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें स्थिति की वास्तविकताओं का भी सामना करना होगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि किसी राज्य में, चाहे वह आंध्र हो, या मैसूर या बिहार, लगातार सूखे या बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी, तो सहायता मंजूर करने में ऐसे राज्यों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को समय पर सहायता देने की दिशा में माननीय वित्त मन्त्री पूरी तरह सजग हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि सूखे की हालत दूर करने के लिए उनके मन में दो विचार चल रहे हैं। इस समय हमारे यहां खेती पूर्णतः मानसून पर निर्भर करती है। क्या सरकार का विचार कुछ सूखा और बाढ़ विशेषज्ञ दल बनाने का है जो समय समय पर सूखा और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें और सरकार को निवारक आय सुझायें ? उदाहरण के लिए महाराष्ट्र लगातार पिछले तीन-चार वर्षों से सूखा-ग्रस्त है। क्या ऐसा कोई दल पहले से बता सकता है क्या कठिनाइयां होंगी और उन्हें कैसे दूर किया जा सकेगा ? सरकार इस बारे में क्या दीर्घकालीन नीति अपनाने जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार से सदस्य महोदय ने उचित प्रश्न किया है। चूंकि सूखे की स्थिति स्थायी रूप ले चुकी है, इसलिए वह यह मालूम करना चाहते हैं कि क्या ऐसी आपदाओं का स्थायी आधार पर मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कोई योजनाएं हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि देश के विभिन्न प्रदेशों के लिए योजना बनाते समय ये दोनों बातें हमने ध्यान में रखी हैं। सम्भवतः उन्हें ज्ञात होगा कि 1970 के बजट के पश्चात् जारी की गई एक केन्द्रीय योजना है जिसके अन्तर्गत सूखा से शीघ्र प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पता लगाकर उनके लिए विशिष्ट विकास योजनाए तैयार की जायेंगी। इसी प्रकार, असम, बिहार और गंगा घाटी के लिए बाढ़ एक नियंत्रण योजना होगी। ये योजनाएं वास्तव में दीर्घकालीन हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो शीघ्र सूखा से प्रभावित होने वाले हैं आप आर्द्रता को सुरक्षित रख सकते हैं परन्तु मुख्य कठिनाई है कि अनावृष्टि के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आप छलनी टैंक तैयार रख सकते हैं परन्तु वे वर्षा न होने

पर खाली हो जायेंगे। यदि वर्षा न हुई तो आप पेयजल की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? या मानसून की वर्षा न होने पर आप खेती के लिए कैसे जल उपलब्ध करा सकेंगे? अतः जब तक कोई ऐसी तकनीक विकसित न हो जायें जो भूमि की आर्द्रता को सुरक्षित रखने में सहायक हो, तब तक कोई रास्ता नहीं है। ये विज्ञान-तकनीक का प्रश्न है जिसका उत्तर न तो इस देश में और न अन्य देशों में अभी तक मिला है। परन्तु प्रयत्न जारी रहेंगे।

श्री दसरथ देब : हर वर्ष अनेक राज्य सूखा ग्रस्त होते हैं। क्या सरकार ने इन राज्यों में पर्याप्त सिंचाई के लिए कोई योजना बनाई है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी हां, ऐसी योजनाएं हैं। सिंचाई भी एक व्यापक तथा अस्पष्ट शब्द है। कुछ क्षेत्रों में समतल सिंचाई जिसे सामान्यतः नहर सिंचाई के नाम से जाना जाता है, असम्भव है। ऐसे स्थानों, पर हम छलनी टैंकों, सामुदायिक कुओं की तथा छोटी और मध्यम सिंचाई की योजना का प्रयत्न कर रहे है। अनावृष्टि से शीघ्र प्रभावित होने वाले क्षेत्र वे हैं जहां खेती पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। वास्तव में, यह एक ऐसी दुर्गम दीवार है जिसके बारे में सरकारी तंत्र भी असहाय है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हम केवल रोजगार, क्रमशक्ति और अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। परन्तु इन क्षेत्रों में मुख्य कठिनाई पेय जल और मवेशियों के लिए चारे की है। तो भी मैं यह कहूंगा कि कोई जल्दबाजी वाले निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। लोग साहस के साथ कठिनाई का मुकाबला कर रहे हैं और राज्य सरकार भी स्थिति को कुशलता के साथ सुलझा रही है। मैं आश्वासन देता हूं कि लोगों के साथ सामने आई इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार भरसक कोशिश करेगी।

Service Rules in State Bank of Bikaner and Jaipur

***463. Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether contrary to the provisions of the State Bank of India (Subsidiary Bank Act, 1959 no Rules governing the terms and conditions of service of officers have so far been framed in the State Bank of Bikaner and Jaipur ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अधिकारियों की सेवा-शर्तें स्टेट बैंक आफ इण्डिया (उप-बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 11 (1) और उसके साथ पठित धारा 50 (1) के अनुसार लागू होती है।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : The hon. Minister has stated that the terms and conditions of service of officers of State Bank of Bikaner and Jaipur are governed in terms of section 11(1) of the State Bank of India (subsidiary Banks) Act, 1958 read with section 50 (1) there of. I want to know since when these terms and conditions have been made applicable to them ?

Shri Yaswantrao Chavan : Since the law was made.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : The hon. Minister did not state the date and year since when these rules were made applicable. According to my knowledge, there was delay in the enforcement of these rules. May I know whether the Minister can give any assurance that the irrigularities which occurred as a result of this delay causing harm to employees in the matter of fixation of their seniority etc. will be rectified ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नये आश्वासन की कोई जरूरत नहीं है। अधिनियम खुद आश्वासन देता है। इस बैंक के साथ विलय होने से पूर्व जो नियम लागू थे वे अब भी लागू हैं। यदि माननीय सदस्य के विभाग में कोई विशेष मामले हों और वह उन्हें मेरे नोटिस में लायें, तो मैं निश्चित रूप से बैंक से उनकी जांच करने के लिए कहूंगा।

श्री मान सिंह भौरा : क्या माननीय मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए सेवाओं में 12½ प्रतिशत का आरक्षण कोटा निश्चित किया गया है, तथापि यह उप-बैंक उसे क्रियान्वित नहीं करते ? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बहुत-से उम्मीदवार हैं किन्तु ये बैंक उन्हें यह कहकर नहीं लेते कि उनके पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं हैं। क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी या बैंकों को हिदायत देगी कि वे शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य बातों की ढील देकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को नियुक्त करें और आरक्षण कोटा भरें ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती का प्रश्न सन्तोषजनक नहीं है, इसलिए, बैंक ने खुद हिदायत दी है कि उन्हें परीक्षा-स्तर में ढील देनी होगी और अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षित कोटा को भरने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जहां तक स्टेट बैंक तथा उसके उप-बैंकों में इन भर्तियों का संबंध है, वहां लिखित परीक्षा होती है....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह एक सामान्य प्रश्न नहीं है। यह स्टेट बैंक आफ बीकानेर तथा जयपुर में सेवा-नियमों के बारे में एक विशेष प्रश्न है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह स्टेट बैंक आफ इण्डिया के उप बैंकों के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़ा अफसोस है। इस प्रश्न का क्षेत्र मत बढ़ाइये। मैं आपको असलियत बता रहा हूं और आप फिर भी नहीं मान रहे हैं।

छोटे सिक्कों की कमी

*464. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से लोग एक रुपये में 90 से 94 पैसे की दर से छोटे सिक्कों का विनिमय करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्कों की कमी के कारण कुछ लोग स्थिति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। छोटे सिक्कों को उनके अंकित मूल्य से अधिक राशि पर खरीदना और बेचना भारत रक्षा

नियमावली 1971 के नियम 128 (2) (क) के अन्तर्गत एक अपराध है । ऐसे अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

Shrimati Savitri Shyam : The hon. Minister has stated that buying and selling of small coins for an amount other than their face value is an offence under Defence of India Rules. During the World War II, a person having small coins worth Rs. 50 was punished with an imprisonment for six months under the Defence of India Rules. The hon. Minister has stated the law has to be enforced by the State Governments and Union Territories and that action against such offenders is taken by them. I want to know the number of persons so far punished in this connection by the State Governments particularly the Union Territory of Delhi, where there is sufficient police force to apprehend and deal with such anti-social elements.

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने बताया कानून लागू करना राज्य सरकारों का काम है और हम विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्रित करते हैं, किन्तु इससे किस प्रकार निपटा जा रहा है, यह प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास कुछ तथ्य हैं । उदाहरण के लिए, 1971-72 में छापे मारकर अनधिकृत परिसरों से 79,154 रुपये मूल्य छोटे सिक्के जब्त किये गये । दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में लघु सिक्के अपराध अधिनियम के अधीन छोटे सिक्कों सम्बन्धी अपराधों के 5 मामलों में 14 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और इन मामलों की जांच चल रही है ।

Shrimati Savitri Shyam : One of the reasons for the shortage of small coins is that the foreign Minting Mechines which the Government possess are not working satisfactorily, besides the shortage of raw material. I want to know the steps proposed to be taken by the Government to remove this shortage of small coins.

श्री के० आर० गणेश : छोटे सिक्कों की कमी के ये कारण नहीं हैं । इस कमी कारण यह है कि पिछले छः वर्षों से परिचलन में कुल मुद्रा के लगभग 3-4 प्रतिशत राशि के ही सिक्के ढाले जाते रहे हैं । इस कमी को दूर करने के लिए कई उपाय किये गये हैं । सिक्के की धातु में भी कुछ परिवर्तन किया गया है ताकि उत्पादन प्रक्रिया में अवरोध दूर किया जा सके । अलीपुर टकसाल में दो पारियां शुरू कर दी गई हैं और हैदराबाद में टकसाल खोला जाने वाला है । उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई है जिसके फलस्वरूप हम आज प्रतिदिन 75 लाख सिक्के ढाल रहे हैं जबकि अगस्त, 1970 में 12 लाख सिक्के प्रतिदिन और जनवरी-फरवरी, 1971 में 35 लाख सिक्के प्रतिदिन ढाल रहे हैं, 1972-73 में तथा उसके बाद हम इसमें और भी वृद्धि करना चाहते हैं । इन उपायों से सिक्कों की कमी काफी हद तक दूर हो जायेगी ।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप सिक्कों की कमी कब तक दूर हो जायेगी ? यह एक महत्वपूर्ण बात है । अनुमानतः कितने सिक्कों की आवश्यकता है और यह आवश्यकता कब तक पूरी हो जायेगी ताकि सिक्कों की कोई कमी न रहे ?

श्री के० आर० गणेश : ऐसी कोई निश्चित तारीख बताना बहुत कठिन है कि कब तक यह कमी दूर हो जाएगी । इसके लिए हमने जो उपाय किये हैं उन्हें मैं पहले बता चुका हूं । मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने पहले उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा कि छोटे सिक्कों की कुल राशि परिचलन

में कुल मुद्रा की लगभग 3-4 प्रतिशत है जिसमें 1972-73 तक काफी वृद्धि की जानी है, 1972-73 में हम सिक्कों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते हैं और इस समय जितने मूल्य के सिक्के ढाले जाते हैं उसका 94 प्रतिशत मूल्य के सिक्के ढालने की योजना है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश में छोटे सिक्कों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में छोटे सिक्कों की निरन्तर कमी क्यों रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप दिल्ली में हैं, इसलिए।

Shri Rajendra Prasad Yadav : The hon. Minister has stated that at present the production of small coins is much more than what it was in 1970. I want to know whether the shortage at present is less or more than what it was in 1970 and the steps being taken to meet the situation ?

श्री के० आर० गणेश : जो सिक्के हमने चलाये हैं उनकी संख्या के कारण कमी 1970 के बजाय निश्चित रूप से काफी कम है। जहां तक भावी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वह मैं पहले ही बता चुका हूं।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has indicated the steps being taken to remove the shortage of small coins. I want to know whether the supply of small coins is also made to the Branches of the nationalised banks opened or situated in rural areas and small towns and if so, whether the Government have received complaints that employees in these banks misuse and exchange them on commission and if so, the action taken by the Government against them ?

श्रीमती सावित्री श्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहायता चाहती हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कई मिनट बाद इसका ख्याल आया।

Shrimati Savitri Shyam : I wanted to know whether the machines installed there—does not matter whether they are indigeneously manufactured or imported—are in working condition ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार को पता है कि बहुत से लोग एक रुपये में 90 से 94 पैसे की दर से छोटे सिक्कों का विनिमय करते हैं और यदि हां, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

मशीन बीच में कहां से आ गई ?

श्रीमती सावित्री श्याम : इस कमी के बहुत से कारण हैं।

Mr. Speaker : How does the question of machines arise out of this ?

अब इसके लिये समय नहीं बचा है।

श्री के० आर० गणेश : रिजर्व बैंक को स्थायी अनुदेश दिये हुए हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास छोटे सिक्के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहने चाहिए। ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि बैंक के कुछ अधिकारी बेईमान लोगों के साथ सांठ-गांठ करके सिक्कों की कमी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में छोटे सिक्कों की कमी है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित अनुदेश हैं कि वहां तुरन्त सिक्कों की सप्लाई की जाये और ऐसा किया जा रहा है।

पटसन उद्योग में मंदी

*467. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन उद्योग के इस समय मन्दी में चलने के समाचार हैं ; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पटसन उद्योग को इस समय दो प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात्-

(1) चालू मौसम में कम फसल होने के फलस्वरूप कच्चे पटसन की कमी ; तथा

(2) संश्लिष्टों तथा बंगला देश के उत्पादों से विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता ।

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 महीनों के दौरान पटसन माल के निर्यात गत वर्ष की उसी अवधि के निर्यातों की तुलना में कुछ कम हुए हैं ।

2. रेशे की वर्तमान कमी को दूर करने के विचार से बंगला देश से पटसन के पर्याप्त आयात की व्यवस्था की जा रही है ।

3. सरकार ने पहले ही पटसन प्राइमरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क प्रति मे० टन 400 रुपये कम कर दिया है ताकि वह संश्लिष्टों से प्रतियोगिता कर सके । जो अन्य उपचारात्मक उपाय करने का विचार है, वे ये हैं :-(क) गवेषण तथा उत्पाद विकास, (ख) संवर्द्धन तथा प्रचार, तथा (ग) मद (क) तथा (ख) के अन्तर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त निधियों की व्यवस्था ।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि विदेशों को निर्यात बहुत थोड़ा सा कम हुआ है परन्तु आंकड़े इसके विपरीत हैं । अगस्त के अन्त तक निर्यात में 12 प्रतिशत की कमी हुई और यह पहले चार महीनों की तुलना में 22 प्रतिशत है । मैं जानना चाहता हूं कि वे इसे किस प्रकार पूरा करेंगे । गलीचों के लिए पटसन का निर्यात, जो हम उत्तरी अमरीका को भेजते हैं, भी कम हो गया है । इसके क्या कारण हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : सामान्यतः दो मुख्य कठिनाइयां हैं । पहली यह कि संशिलष्ट उत्पाद बाजार में बहुत आ गये हैं । दूसरे पटसन उत्पादों पर कुछ शुल्कों के कारण हमें पिछले वर्ष के बराबर बिक्री करने में कठिनाई हो रही है । गत वर्ष तक विशिष्ट वर्ष का । बंगला देश की गत स्थिति के कारण हमें अप्रत्याशित लाभ हुआ । इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर में गत वर्ष के 135.26 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में 133.25 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ इस मास तक केवल 2 करोड़ रुपए की कमी रही है ।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि मिलों के लिये पटसन की कमी है, लेकिन वास्तव में स्टाक बढ़ रहा है, इस वर्ष कारखाने में स्टाक लगभग 34 प्रतिशत बढ़ गया है। जब अधिक पटसन उपलब्ध होगा, तो वे इस स्टाक का निर्यात कैसे करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : पटसन कहां से उपलब्ध होगा ? इस वर्ष पटसन की फसल अच्छी नहीं रहेगी। 71 लाख गांठों की आवश्यकता है परन्तु 58 लाख गांठों से अधिक पटसन होने की आशा नहीं है। हम अन्य पटसन मिलों के चलाने के बारे में चिन्तित हैं, हम पटसन का आयात करने का विचार कर रहे हैं। बंगला देश से 2,15 लाख गांठों के आयात के लिये करार हो चुका है और हम 3 लाख गांठें और मंगाने चाहते हैं। हमारे विचार में कच्चे पटसन का अधिक स्टाक नहीं होगा। हम निर्यात पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाजार को अनिश्चितता को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पटसन में भारत और बंगला देश का एकाधिकार है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन व्यापार को संश्लिष्ट उत्पादों से खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्या सरकार ने बंगला देश के साथ मिलकर पटसन उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विविधिकरण की किसी प्रकार की संयुक्त नीति बनाने के लिये कोई तरीका अपनाया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : विविधिकरण एक बात है और संयुक्त प्रयास एक अलग बात है। उत्पादन की विविधकरण अत्यावश्यक है। बंगला देश ने बहुत कुछ किया है जैसाकि माननीय सदस्य ने एशियाई मेले में बंगला देश के मंडप में देखा होगा ; उन्होंने पटसन के बहुत बढिया गलीचे और टेपेस्ट्री बनाई है। हम ऐसा नहीं कर सके हैं, हमारे गनेषणकर्ता इसमें संलग्न हैं।

संयुक्त प्रयास के बारे में मैंने स्वयं सोचा है कि भारत, बंगला देश और थाइलैंड को साथ बैठाकर विचार करना चाहिए क्योंकि खतरा बंगला देश या थाइलैंड से नहीं बल्कि उद्योग को संश्लिष्ट उत्पादों से खतरा है। केवल तीन देश भारत, बंगला देश और थाइलैंड पटसन पैदा करते हैं। यदि तीनों देश मिलकर समस्या का कोई समान हल ढूंढ़ निकालते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री डी० वासुमतारी : क्या सरकार को उन देशों से, जिन्हें पटसन का निर्यात किया जाता है, कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि गांठों में लोहे की कतरन और पत्थर निकले और कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमें अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Shri K. N. Tewari : May I know the price paid for the jute imported from foreign countries and that being paid to the growers in the country ?

Shri L. N. Mishra : The support price is Rs. 43 and Rs. 44 per maund but you will be happy to know that the open market rates is between Rs. 55 and Rs. 60. I do not think that it will be proper to disclose the rate at which we are purchasing jute from Bangladesh. We have not paid them a high price.

भारत द्वारा ऋण की अदायगी की तारीखों में परिवर्तन करने के लिये भारत सहायता संघ की बैठक

*468. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा ऋण की अदायगी की तारीखों में परिवर्तन करने के बारे में विचार करने के लिए, विश्व बैंक ने भारत सहायता संघ के सदस्य देशों को संघ की बैठक के लिए उपयुक्त तिथि के सम्बन्ध में सूचित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक किस तारीख को होने की सम्भावना है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क) और (ख) चालू वर्ष के लिए भारत को ऋण-राहत देने के बारे में भारत सहायता संघ की ओर से कार्रवाई की जा रही है तथा कोई और बैठक बुलाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मन्त्री महोदय ने बहुत ही छोटा सा उत्तर दिया है । मैं वे शर्तें और कसौटी जानना चाहता हूं जिनके अन्तर्गत ऋण राहत व्यवस्था पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और जिस कारण से मंत्री महोदय ने कहा है कि और बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जून में हुई पिछली बैठक में इस बारे में विचार किया गया था और यदि हां, तो किन बातों पर चर्चा हुई थी और क्या भारत सहायता संघ के सभी सदस्य देश आस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डा० कुम्भ के फार्मूले से सहमत हुए थे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उत्तर छोटा अवश्य है परन्तु पूर्ण है ।

मैं जानता हूं कि प्रश्न इस कारण से पूछा गया है कि जून में हुई संघ की गत बैठक के बाद जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बैठक पुनः होगी परन्तु बाद में ऐसी बातें हुईं कि बैठक बुलाना आवश्यक नहीं रहा ।

उन्होंने डा० कुम्भ के फार्मूले का उल्लेख किया है । अनेक देशों के साथ उनके विचार-विमर्श के बाद पता चला कि इसे स्वीकार करने में अनिच्छा है । इस फार्मूले के बारे में सहमति नहीं हुई । अतः डा० कुम्भ ने स्वयं एक वैकल्पिक फार्मूला तैयार किया और इस दूसरे फार्मूले के पक्ष में आम सहमति प्रतीत हुई, जिसके अन्तर्गत ऋण का भार कुछ कम अंश तक था । अन्ततोगत्वा हमें देखना है कि यह ऋण-दाता और ऋण लेने वाले देश के बीच का मामला है । इस मामले में ऋण देने वाले देश की सहमति अधिक महत्व रखती है ।

इसलिए विश्व बैंक ने तय किया कि एक और बैठक बुलाने की अपेक्षा वे स्वयं सम्बन्धित देशों के साथ प्रारम्भिक बातचीत करें और देखें कि उद्देश्य पूरा हो तथा सौभाग्य की बात है कि ऐसा हो रहा है । लगभग सभी देश सहमत हो रहे हैं । सभी बातें शतप्रतिशत हमारी आशा के अनुकूल तो नहीं हो सकतीं । आशा की कि संभवतः 20 करोड़ डालर की ऋण राहत मिलेगी । लेकिन

हमारी प्रगति तथा विभिन्न देशों के रवैये से प्रतीत होता है कि इस वर्ष यह 15 करोड़ डालर के करीब हो जायेगी जो मैं समझता हूं कि बुरी नहीं है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैंने यह प्रेस रिपोर्ट देखी है कि अमरीकी सरकार ने हाल में घोषणा की है कि वे 20 करोड़ डालर तक की सहायता देने के इच्छुक हैं और कुछ अन्य देशों ने इससे भी अधिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि गत बैठक में कुल 125.5 करोड़ डालर की सहायता देने के बारे में बातचीत हुई थी और अन्त में यह तय हुआ था कि भारत सरकार को इतनी सहायता दी जाये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे नहीं मालूम कि सदस्य महोदय किन प्रैस रिपोर्टों की बात कर रहे हैं। मैंने वे नहीं देखी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अमरीका सरकार से कोई विशिष्ट सहायता मांग रहे हैं । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अमरीका सरकार संघ के अधीन ऋण राहत व्यवस्था में भाग लेने के लिये सहमत हो गई है।

श्री समर गुह : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि भारत को कितना अन्तर्राष्ट्रीय ऋण देना बाकी है और प्रति वर्ष कितना ऋण दिया जा रहा है तथा देश राष्ट्रीय संसाधनों में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा और देश कब तक विदेशी सहायता से छुटकारा पा लेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे सामान्य नीति और ऋण की कुल अदायगी की सामान्य नीति के बारे में पूछ रहे हैं। मैं सामान्य आंकड़े दे सकता हूं।

30 सितम्बर, 1972 को भारत को 8476 करोड़ रुपए का विदेशी ऋण अदा करना बाकी था। चौथी योजना अवधि में भारत का कुल ऋण शोधन भुगतान 2317 करोड़ रुपए होता है। इसके मुकाबले में चौथी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में 236 करोड़ रुपए की ऋण राहत, या औसतन लगभग 79 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, का वचन दिया गया है। चालू वर्ष में 112 करोड़ रुपए की ऋण की राहत मिलने की आशा है। यह इस वर्ष को ऋण अदायगी के एक चौथाई से मामूली कम है। अन्तिम रूप से यह अर्थव्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से निर्यात से उपर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा तथा ऋण राहत प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। निश्चय ही कुछ अगोचर और अग्राह्य पहलू हैं जिन पर बहुत सी बातें निर्भर करती हैं।

जूट मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

*470. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री देश में आधुनिक जूट मिलों की स्थापना के बारे में 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में एक-एक जूट मिल स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) आन्ध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्य सरकारों ने प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। अन्य राज्यों ने नहीं की हैं ।

(ख) श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट गिरिजन जूट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा आन्ध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में एक पटसन मिल स्थापित किये जाने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया जा चुका है। त्रिपुरा सरकार की प्रस्थापनाओं पर अभी ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि आंध्र और त्रिपुरा को छोड़ अन्य राज्यों से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित जूट मिलों के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है। यह राज्य सरकारों का दायित्व है और उन्हें शीघ्रता करनी चाहिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने राज्य सरकारों से पूछा है कि वे अपने प्रस्ताव शीघ्र क्यों नहीं भेज रहे और क्या उन्होंने इसके लिए कोई कारण दिये हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं नहीं जानता कि क्या कोई पत्र लिखित रूप से भेजा गया है या नहीं। परन्तु मैंने पांचों मुख्य मन्त्रियों के साथ बातचीत की है और उनसे कहा है कि वे शीघ्रता से कार्य करें। शायद उनकी कुछ कठिनाईयां हैं। उनके अपने संसाधन हैं। वे चाहते हैं कि ये मिले पहले तो सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायें, दूसरे सहकारी क्षेत्र में हों, तीसरे ये मिले-जुले क्षेत्र में हों और चौथे ये निजी क्षेत्र में भी हों। शायद उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और वे कई पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। मैं वास्तविक कारण नहीं जानता। मैंने उन सब से बात की है और उन्हें फिर से तार दूंगा।

श्री विश्वनाराय्ण शास्त्री : इन आधुनिक जूट मिलों की, जो विभिन्न राज्यों में स्थापित की जा रही है, क्षमता क्या होगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : क्षमता नहीं बतायी गई है। हमने सुझाव दिया है कि ये आधुनिक मिलें है और राज्य सरकारें स्वयं क्षमता नियत करें। यदि वे अधिक क्षमता चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या यह सच है कि बिहार में उद्योगपत्तियों को एक जूट मिल स्थापित करने को कहा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इसे किसी उद्योगपति को देंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : आज तक तो नहीं।

श्री पें० वेंकटासुबैया : मैं जानना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र में जो जूट मिल स्थापित की जा रही है और जो आदिवासी क्षेत्र में होगी क्या उनके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने मांग की थी कि उन्हें श्रीकाकुलम क्षेत्र और दूसरी डेलटा क्षेत्र में स्थापित किया जाये। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में हमने श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की थी। उस समिति ने सिफारिश की थी कि समूचे देश में तीन जूट मिलें स्थापित की जायें। हमने पांच मिलें स्थापित किया जाना स्वीकार किया है। इन्हें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा। बंगाल में इनमें से कोई नहीं होगी। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, और उड़ीसा में होंगी। इस समय आंध्र में केवल एक जूट मिल है।

श्री माधुर्य हाल्दर : त्रिपुरा सरकार के आवेदन पर कब से विचार हो रहा था ? इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह हमें कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुआ है। इस पर अधिक समय नहीं लगेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक प्रयोक्ताओं के प्रति सेवा का स्तर

*473. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक प्रयोक्ताओं के प्रति बैंक की सेवाओं में गिरावट आई है अथवा सुधार हुआ है सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि अभी तक इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंक प्रयोक्ताओं के प्रति बैंक की सेवाओं की किस्म का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया। तथापि जमाकर्ताओं के प्रति बैंक की सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिये एक अध्ययन का आयोजन किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों और बैंक प्रणाली अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर बैंकिंग आयोग ने ग्राहक सेवा को अच्छी बनाने के हेतु कार्यचालन प्रणाली में सुधार करने के लिये सिफारिशें की हैं। इस समय आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्री नारायण चन्द पाराशर : माननीय मन्त्री के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है क्या सरकार यह सर्वेक्षण करायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : औपचारिक रूप में तो नहीं परन्तु व्यावहारिक रूप से, हां, क्योंकि जब हम ऐसे मामलों में बैंकों के कार्य का निर्धारण करते है, तो इस पर विचार किया जाता है। औपचारिक सर्वेक्षण का अर्थ और है, जोकि दीर्घावधि की बात है। परन्तु व्यावहारिक रूप से यह होता ही है जब हम राज्य के साथ और सलाहकार समितियों में इस पर विचार करते हैं और संसद सदस्य अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हैं। हां, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीयकरण के बाद सेवा में गिरावट आयी है, क्या यह सरकार के लिए आवश्यक नहीं हो जाता कि स्थिति का वैज्ञानिक

सर्वेक्षण कराये ? भारत की बैंक प्रयोक्ता सेवा की एक बैठक, जिसका आपने उद्घाटन किया था, में यह बात उठायी गई थी ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसी के आधार पर मैंने कहा है कि बैंक प्रयोक्ताओं की सेवा में सुधार की गुंजाइश है । क्या इसका एक विशेष सर्वेक्षण लाभप्रद होगा, एक अस्पष्ट बात है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : माननीय मन्त्री ने कहा है कि सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा । पहले स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने इस बारे में सर्वेक्षण किया था । मेरे विचार में उसका लाभ हुआ था । बैंकों की सेवा में गिरावट आई है । यह सअ मानेंगे । इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगी ? क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह ठीक है कि सेवा में सुधार की आवश्यकता है । परन्तु मेरे विचार में इसके लिए कोई समिति आवश्यक नहीं है । जब सलाहकार समिति में इस पर चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा था कि हम बैंकों के प्रबन्धकों से सलाह करेंगे परन्तु सबसे आवश्यक बात तो कार्मिक संघों के नेताओं से सलाह करना है । उनका सहयोग बहुत आवश्यक है । एक बात और है, वह है उनका प्रबन्ध कार्य में भाग लेना । बोर्डों की नियुक्ति के बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधि बोर्डों की बैठकों में बैठने के अधिकारी होंगे । अतः यह कठिनाई अब नहीं रहेगी । अब हमें कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करनी होगी ताकि लोगों को अच्छी सेवा उपलब्ध की जा सके । लागों के लिए ही राष्ट्रीयकरण किया गया था ।

Shri Narsingh Narain Pandey : I want to know whether he knows that the small farmers are facing defficulty due to guarantee forns and the procedure. Due to this the small farmer is unable to get money from bank. What steps are being taken in this regard ?

Shri Yashwant Rao Chavan : Yes, some such things have been brought to our notice and that is why the procedure is being simplified. Even then.

Shri Narsingh Narain Pandey : There is great shortage of staff.

Shri Yashwant Rao Chavan : There is shortage of staff. There is need for training and there is need of change in their outlook.

Export of Mica

*474. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which mica has been exported by Government so far after taking over mica export trade and the value of mica exported ; and

(b) the names of the countries from which orders for the import of mica have been received by Government so far indicating the value thereof ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य ने 3 करोड़ रु० मूल्य का अभ्रक सप्लाई करने के लिए

खनिज व धातु व्यापार निगम को क्रयादेश दिया है ।

विवरण

1972-73 के दौरान किये गये निर्यात
(अक्तूबर 1972 के अन्त तक)

देश का नाम	मात्र	मूल्य
	(मे० टन)	(हजार रु०)
आस्ट्रिया	3.85	45.85
आस्ट्रेलिया	174.71	557.00
बैल्जियम	645.00	491.63
कनाडा	5.67	16.49
चैकोस्लोवेकिया	326.66	1990.00
फ्रांस	485.71	1138.00
फारको/लाइबान	14.71	322.95
भूटान	3.16	60.69
जर्मनी पूर्वी	272.00	3913.15
जर्मनी पश्चिमी	1282.40	676.00
हांगकांग	7.41	387.46
हंगरी	136.25	2253.00
इटली	193.59	351.97
जापान	4532.00	6050.00
कोरिया उत्तरी कोरिया दक्षिणी	16.05	17.83
नीदरलैंडस	15.45	676.77
न्यूजीलैंड	0.11	7.65
नार्वे	500.00	240.17
पोलैंड	1036.40	6064.51
रूमानिया	54.59	1356.99
सिंगापुर	1.70	39.00
स्पेन	4.35	23.48
स्वीडन	0.10	6.30
स्विटजरलैंड	279.24	2164.04
ब्रिटेन	368.96	1762.25
संयुक्त राज्य अमेरिका	3526.42	6891.45
सोवियत संघ	416.74	44293.15
योग	14302.23	81797.68

Shri Shankar Dayal Singh : I am sorry to say that the hon. Minister of State who knew much more in this connection has left the House before my question came up for answer. In reply to my unstarred question dated the 30th May, 1972 it was stated that mica was being exported to 55 countries. In reply to my another unstarred question dated the 19th August, 1972 that is after the canalisation was effected by the Government it was stated that orders for the import of mica had been received from 25 countries and the statement we have just now received mentions the names of 28 countries only. I want to know whether it is indifference on the part of Government or the policy of canalisation which is responsible for this progressive decline in the export of mica and the steps being taken by the Government to boost up its export ?

श्री ए० सी० जार्ज : अभ्रक का निर्यात घट नहीं रहा है । वास्तव में यदि आप चार वर्षों के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि उसके निर्यात में प्रगति हुई है । आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	निर्यात
1968-69	15.5 करोड़ रुपये
1969-70	17.47 करोड़ रुपये
1970-71	17.17 करोड़ रुपये
1971-72	17.58 करोड़ रुपये

1971-72 मे कम से कम 40 लाख रुपये का अधिक निर्यात हुआ है । चालू वर्ष में अप्रैल से अक्तूबर की अवधि में हमारा 11.41 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में हमारा निर्यात 9.4 करोड़ रुपये का था ।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, there has been a long felt demand for the nationalisation of mica export and the Government also gave assurance on the floor of the House on several occasions to meet this demand. But instead of effecting nationalisation, the Government resorted to canalisation. I want to know the steps being taken by the Government to give incentive to the Mica Industry as also to expand its trade and whether Government would fulfil their assurance to nationalise the Mica Export ?

श्री ए० सी० जार्ज : अभ्रक का निर्यात 24-1-72 को कैनालाइज किया गया था । सरकार केवल अभ्रक के लिए राज्य व्यापार निगम का एक अलग उप-निगम स्थापित करने की कार्यवाही कर रही है, हम छोटे व्यापारियों को अधिकतम सहायता दे रहे हैं । अभ्रक का कुल जितने मूल्य का व्यापार होता है उसका 30 प्रतिशत हमने अलग रख दिया है ताकि छोटे उत्पादकों को उससे लाभ पहुंच सके ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that despite the policy of canalisation, mica worth about Rs. 2.5 crores is smuggled out of the country every year and if the Government is aware of it, the steps being taken by them to check it ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि अभ्रक की तस्करी हुई है और वह इस प्रकार देश के बाहर जाता रहा है, जब सरकार ने इस समस्या का विश्लेषण किया तो मालूम हुआ कि 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क के कारण तस्करी उत्पादकों के लिये प्रलोभन का कारण बन गया है । इसलिये निर्मित वस्तुओं के मामले में इस शुल्क को 1 मई, 1972 से 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और पाउडर तथा माइकानाइट के मामले में 20 प्रतिशत से घटाकर उसे बिलकुल समाप्त कर दिया गया । इसलिए, तस्करी का यह प्रलोभन अथवा मूल जड़ काफी हद तक समाप्त प्राय हो गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पोलैंड के साथ व्यापार करार

*465. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड और भारत के बीच हाल ही में व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं और उसके अन्तर्गत होने वाले निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) भारत और पोलैंड की सरकारों के व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों के बीच वार्सा में हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप 17 सितम्बर, 1972 को 1973, 1974 और 1975 के वर्षों के लिए एक व्यापार संलेख आधारित किया गया। संलेख पर हस्ताक्षर जल्दी ही इस देश के दौरे पर आ रहे पोलैंड के विदेश व्यापार मन्त्री की यात्रा के दौरान नई दिल्ली में किये जाएंगे।

(ख) पोलैंड, चाय, काफी, काली मिर्च, काजू गिरी, मूँगफली की तेल रहित खली, लौह अयस्क, खालों तथा चमड़ियों, करार निर्मित वस्तुओं, पटसन निर्मित वस्तुओं आदि जैसी परम्परागत वस्तुओं के अलावा अनेक इन्जीनियरी उत्पादों और अन्य अपरम्परागत मदों का भी आयात करेगा, जैसे कि वस्त्र मशीनरी, रेल के माल डिब्बे, लोहे तथा इस्पात की ढली वस्तुएं जिनमें स्पन पाइप, दस्ती औजार, न्यूमैटिक औजार, बिजली की घरेलू चीजें, सिले सिलाए परिधान, रेफ्रिजरेटर्स तथा डीप फ्रीजर, शल्य चिकित्सा सम्बन्धी रुई, बिल्डर्स हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग्स, एल्यूमिनियम केवल तथा कन्डक्टर्स आदि भी शामिल हैं।

पोलैंड से भारत को जो माल आयात होगा उसमें खनन मशीनरी, बेलित स्टील उत्पाद, यूरिया, सल्फर, भेषजों तथा आधारभूत औषधियों के लिए मध्यवर्ती पदार्थ, रसायन, रेफ्रिबट्री सामग्री, जिंक स्मेल्टर, इलेक्ट्रोलिटिक जिंक आदि शामिल होंगे।

यह आशा है कि 1973 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 130 लाख रु० का होगा जोकि 1972 हेतु व्यापार योजना व्यवस्था से लगभग 29 प्रतिशत अधिक होगा।

जैसा कि अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों और सोवियत संघ के मामले में है, पोलैंड के साथ भारत का व्यापार दीर्घकालीन व्यापार तथा भुगतान करार द्वारा विनियमित होता है, जिसके अन्तर्गत सभी वाणिज्यिक तथा गैरवाणिज्यिक सौदे अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में निपटाने की व्यवस्था है। यह व्यापार करने का सन्तुलित रूप है और एक समयावधि के अन्दर आयातों तथा निर्यातों में सन्तुलन आ जाता है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ के पास पड़े करेंसी नोट

*466. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 16 करोड़ रुपये के मूल्य के करेंसी

नोट, जो कि चलन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, पिछले कई वर्षों से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ की तिजोरियों में बन्द पड़े हैं ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक इन सभी नोटों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और सरकार का इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ को स्थानीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पेश किये गये गन्दे नोटों का बदलने का अधिकार प्राप्त है। सामान्यतः स्थानीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के पास काफी बड़ी संख्या में ऐसे नोट पेश किये जाते हैं और चूंकि बैंक के पास जो कर्मचारी उपलब्ध हैं उनसे यह सम्भव नहीं है कि बैंक उसी दिन उन नोटों की जांच कर ले इसलिए आमतौर पर ये नोट "गारंटी बांड" प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे बक्सों में रखे जाते हैं जिनमें तीन-तीन ताले लगे होते हैं और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट में जमा कर दिया जाता है तथा इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक की अनिर्गमित चेस्ट-राशि का अंग माना जाता है। सितम्बर, 1971 से भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ द्वारा "गारंटी बांड" प्रणाली के अन्तर्गत लगभग 15.97 करोड़ रुपये के ऐसे नोट रखे गये थे।

(ख) उपर्युक्त नोटों में से 11.59 लाख रुपये के मूल्य के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं और इसी बीच प्रतिशत जांच के बाद निपटा दिये गये हैं। इस बात की आशंका है कि शेष नोटों में से दस रुपये और उससे कम मूल्य वाले 73.21 लाख रुपये के नोट, नौ वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त हुए थे और 17 बक्सों में रखे हुए थे, उस समय पानी से क्षतिग्रस्त हो गये जब सितम्बर, 1971 में गोमती नदी के पानी से लखनऊ में बाढ़ आ गयी थी। अन्य बिना जांचे नोटों की जांच, जो क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, अब रिजर्व बैंक द्वारा जल्दी ही की जायगी। इसके पूरा होने के बाद 73.21 लाख रुपये के क्षतिग्रस्त नोटों की यथासम्भव सीमा तक जांच करने का काम हाथ में लिया जायगा।

(ग) फिलहाल, विचार यह है कि 73.21 लाख रुपये के इन क्षतिग्रस्त नोटों की उपयुक्त पर्यवेक्षण के अधीन अलग अलग किया जाय और जहां तक सम्भव हो जल और नमी को दूर किया जाय ताकि जब तक ये नोट भारतीय स्टेट बैंक के अभिरक्षण में हैं तब तक उनमें आगे कोई और खराबी न आने पाये। तथापि भविष्य में बाढ़ से इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए भारतीय राज्य बैंक से यह कहा गया है कि वे अपनी तिजोरियों (वाल्ट) में सुधार करे और उनका आधुनिकीकरण करे और मौजूदा करेंसी चेस्टों के अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त स्थानों पर रखे, भारी संख्या में पड़े ऐसे गारंटी नोटों की संख्या को, जिसकी अभी तक जांच नहीं की गयी है, एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कम करे जिससे कि ऐसे सभी नोटों की जांच करने और उनका निपटारा करने का काम जून 1973 के अन्त तक पूरा हो सके और अपनी सभी तिजोरियों और चेस्टों में पड़ी राशियों की समय समय पर जांच कराने का प्रबन्ध करे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी स्वतन्त्र रूप से और इन तथ्यों को ध्यान में लाये जाने से भी पहले देश भर के सभी करेंसी चेस्टों की जांच की एक नियमित प्रणाली लागू करने के लिए कार्यवाही की है। इस प्रयोजन के लिए चार दलों का गठन किया गया है। जांच-दलों को हिदायत की गयी है कि वे न केवल बिना कोई पूर्व सूचना दिए इनमें रखी राशियों

की जांच और सत्यापन करें अपितु यह रिपोर्ट भी दें कि क्या वाल्ट पर्याप्त हैं और इनकी भंडार क्षमता में वृद्धि करने के लिए नोट रखे जाने की स्थितियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

वर्ष 1971-72 के दौरान एयर इण्डिया द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

*469. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 के दौरान एयर इण्डिया को कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : 34.19 करोड़ रुपये।

रबी की फसल के लिये द्रुत कार्यक्रम में और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में बैंकों के प्रयासों में सहायता देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय

*471. **श्री वरके जार्ज :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की सहायता करने का निश्चय किया है जिससे कि बैंक उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष रूप से रबी उत्पादन के द्रुत कार्यक्रम में और ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में जिसमें उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश हो उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः प्रयास करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1972-73 के व्यस्त मौसम के लिये ऋण-नीति घोषित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अनुसूचित बैंकों को सलाह दी थी कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के संदर्भ में बैंकों को उत्पादन में सहायता करने के लिये विशेषज्ञ रबी उत्पादन के जोरदार कार्यक्रम के लिये और सुधार के लक्षण प्रदर्शित करने वाले औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये नये प्रयत्न करने चाहिए बैंक अपने साधनों की स्थिति अच्छी होने से इस कार्य के लिए पर्याप्त ऋण दे सकेंगे और यदि आवश्यकता होगी तो पहले की तरह रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त हो सकेगा।

आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, नई दिल्ली

*472. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, नेहर हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1, के प्रमुख शेयर होल्डर कौन कौन हैं ;

(ख) क्या यह कार्य अमरीका को आई० टी० टी० टेलिकम्यूनिकेशन फर्म से किसी प्रकार से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह सम्बन्ध क्या है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, जो कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अन्तर्गत परिभाषित एक विदेशी कम्पनी की आशा है, के प्रमुख हिस्सेधारियों की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मिसिल करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) तथा (ग) आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन द्वारा मिसिल किये गये प्रलेखों से यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन तथा आई० टी० टी० के मध्य किसी प्रकार का सम्बन्ध है या नहीं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी और वित्त के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के निष्कर्ष

*475. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की करेंसी और वित्त के सम्बन्ध में किए गए नवीनतम अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) घाटे की अर्थ व्यवस्था और ऋण सम्बन्धी नियंत्रण के बारे में उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक की जुलाई 1971 से जून 1972 तक की अवधि की मुद्रा और वित्त विषयक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि देश में एक करोड़ शरणार्थियों के आगमन का भारी बोझ पड़ने, रक्षा व्यय में वृद्धि होने, सहायता और व्यापार-सम्बन्धों में व्यवधान पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी हाल तक बराबर अच्छी बनी रही और केवल पिछले कुछ महीनों से ही इन कारणों का विलम्बित प्रभाव प्रकट होने लगा है। 1965-66 और 1966-67 के सूखे की स्थिति के बाद अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप में हुए परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में 1971-72 की घटनाओं की समीक्षा करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यतः सरकार के वित्तीय साधनों पर भार पड़ने, औद्योगिक और कृषि उत्पादन की गति धीमी होने तथा समूची मांग और समूची आपूर्ति में असन्तुलन होने के कारण मूल्यों पर दबाव पड़ने के फलस्वरूप सरकार को दिए गए शुद्ध बैंक ऋण के कारण 1971-72 में मुद्रा उपलब्धि में तीव्र गति से वृद्धि हुई। किन्तु, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1971-72 में बाजार मूल्यों के अनुसार शुद्ध आन्तरिक उत्पादन में आन्तरिक बचतों और निवेशों अर्थात् दोनों का अनुपात पहले के वर्ष की अपेक्षा अधिक था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव और अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान नकदी और नकदी जैसी अधिक परिसम्पत्ति की स्थिति को देखते हुए वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रख कर आवश्यकताओं का सावधानी से अनुमान लगा कर घाटे की वित्त-व्यवस्था को सीमित रखने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक तथा अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाओं की सुनिश्चित व्यवस्था करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऋण नियंत्रण की नीति पर बराबर निर्भर करना जरूरी है।

रिजर्व बैंक ने घाटे की वित्त-व्यवस्था और ऋण नियंत्रण के बारे में जो टिप्पणी की है उससे सरकार मोटे तौर पर सहमत है। चालू वर्ष में, घाटे की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो विशिष्ट उपाय किए गए हैं, उनमें 1972-73 के केन्द्रीय बजट में 171 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों का लगाया जाना, रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने के सम्बन्ध में राज्यों को अनुशासन में रखना आयोजना भिन्न व्यय पर नियन्त्रण रखना और चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिकार्ड स्तर पर बाजार ऋणों का लिया जाना उल्लेखनीय है।

मानव केशों का निर्यात

*476. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विदेशों को निर्यात किये गये मानव केशों का मूल्य भारतीय मुद्रा में कितना है ; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान उनका कितना निर्यात होने का अनुमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान मानव बालों के निर्यात क्रमशः 195.85 लाख रु० तथा 121.61 लाख रु० के मूल्य के हुए।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 50 लाख रु० मूल्य के निर्यात होने का अनुमान है।

Take-over of Jute Mills in Bihar

***477. Shri Ramavatar Shastri :**
Dr. Laxmi Narayan Pandeya :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to take over three jute mills of Bihar ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether Bihar Government have given their concurrence there for ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra): (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

युगांडा से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

*478. **श्री निम्बालकर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि युगांडा से निकाले गए भारतीय नागरिकों के स्वदेश लौटने के दौरान हांगकांग के खुले बाजार में रुपए की विनिमय दर में काफी वृद्धि आ गई थी ; और

(ख) इस कारण सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिनमें यह संकेत दिया गया है कि इस वर्ष अक्तूबर और नवम्बर में हांगकांग में रुपये की मुक्त बाजार मांग को प्रभावित करने का एक कारण, युगांडा से निष्कासित व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न मांग हो सकता है।

(ख) इन लेने देनों का, जो गैर-कानूनी होते हैं और जो विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों का उल्लंघन करके किये जाते हैं, स्वरूप ऐसा है कि कोई अनुमान लगाना कठिन है।

Availability of Hindi Paper in Indian Airlines Planes

***479. Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether no Hindi paper is made available to the passengers in the Indian Airlines planes ; and

(b) if so, whether Government propose to make available Hindi papers to the passengers in the planes flying in Hindi-speaking areas at least ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

काजू और काजू के छिलके के तेल के निर्यात से आय में वृद्धि

*480. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू और काजू के छिलके के तेल का निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी आय हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान काजू गिरियों के निर्यात से क्रमशः 52.06 करोड़ रुपये तथा 61.73 करोड़ रुएये की आय हुई। इसी अवधि में काजू के छिलके के तेल के निर्यातों का मूल्य 78.62 लाख तथा 62.41 लाख रुपये था। इस प्रकार काजू गिरियों से होने वाली आय में 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और काजू के छिलके के तेल से होने वाली आय में 16 प्रतिशत की कमी हुई।

आर्थिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच बातचीत

4450. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच हाल ही में नई दिल्ली में उस देश के साथ आर्थिक सम्बन्धों में सुधार करने के बारे में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर अन्तःसरकारी इंडो-सोवियत आयोग की स्थापना करने तथा नई दिल्ली में होने वाली आयोग की अगली बैठक की तैयारी करने के लिए सितम्बर, 1972 में भारत सरकार तथा सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसरण में हाल ही में सोवियत संघ के विशेषज्ञों के दलों ने भारत का दौरा किया। सोवियत संघ तथा भारतीय विशेषज्ञों के बीच हुए विचार विमर्श के आधार पर सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा विस्तृत अध्ययन किये जाने के उद्देश्य से लौह तथा अलौह धातुकर्म तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्रों में सहयोग के सम्भव क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

भारतीय औद्योगिक बैंक विकास द्वारा एकमात्र ऋण की सीमा समाप्त करना

4451. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एकमात्र ऋण की 50 लाख रुपये की सीमा समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो एकमात्र ऋण की वर्तमान सीमा क्या है ; और

(ग) ऐसे ऋणों के लिए किन-किन कम्पनियों ने आवेदन पत्र दिये हैं और उक्त बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों में कम्पनियों को दिये गये ऋण की राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परियोजना की स्थापना के लिये, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, ऋण स्वीकार करते हैं और एक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एकमात्र ऋण स्वीकार करने के लिये ऐसी कोई कार्यचालन सीमा नहीं हैं।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अपने 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले गत 2 लेखा वर्षों के दौरान परियोजना की स्थापना के लिये दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ? **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या में एल० टी० 4038/72]**

एशियाई देशों में भारतीय पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति को उदार बनाना

4452. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई देशों में भारतीय पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति को उदार बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे उदार बनाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार सभी देशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए भारतीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति विदेशों में ऐसे उपक्रम स्थापित करने के लिए निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सन्निविष्ट है, जिसकी **एक प्रति संलग्न है**।

विवरण

संयुक्त विदेशी औद्योगिक उद्यमों में भारतीय साझेदारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

(1) सामान्यतः भारतीय पार्टियों को अल्पांश के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय पार्टियों को विदेशों में अधिकांश अधिकृत पूंजी के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि विदेशी पार्टियां तथा विदेशी सरकार भारत के अधिकांश आधार पर भाग लेने को स्वीकार करने के लिये तैयार हों तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । सरकार विदेशों में स्थानिक पार्टियों के साथ सहयोग के पक्ष में है ; जहां कहीं भी व्यवहारिक हो स्थानिक विकास बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा स्थानीय सरकारों के साथ भी सहयोग के पक्ष में है ।

(2) केवल विदेश में कम्पनी की स्थापना करने के लिए प्रारम्भिक व्यय के लिए आवश्यक अल्प राशियों के अलावा अन्य नकद राशि बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) भारतीय साझेदारी, नये उद्यमों के लिए अपेक्षित देशी मशीनें, उपस्कर, तकनीकी जानकारी आदि देने के रूप में होनी चाहिए । संरचना सम्बन्धी सामग्री, इस्पात मदों, निर्माण सामग्री, संघटकों आदि के मूल्य की पूंजी में शामिल करने की अनुमति नहीं है । परन्तु यदि मशीनों आदि का मूल्य उपयुक्त स्तर पर आवश्यक पूंजी को पूरा करने में कम पड़ जाता है और केवल पूंजीगत माल के निर्यात से भारतीय अंशपूंजी का जो स्तर स्थापित होगा उससे अधिक ऊंचे स्तर पर भारतीय पूंजी अंश को रखना आवश्यक है तो ढांचों, इस्पात की मदों तथा निर्माण सामग्री (किन्तु संघटक नहीं) को उस हद तक शामिल करने के प्रश्न पर गुणावगुण के आधार पर विचार करने पर कोई रुकावट नहीं होगी, जिस हद तक कि उस विशेष परियोजना के लिये भारतीय पूंजी को पूरा करने के लिये इन चीजों की आवश्यकता है ।

(4) भारतीय निवेश के बदले निर्यातित मशीनें भारतीय मेक की होनी चाहिए, किसी भी पुरानी अथवा नवीकृत मशीन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(5) इंक्विटी पूंजी के बदले निर्यातों पर सामान्य आयात प्रतिपूर्ति दी जायेगी जैसे कि पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को प्राप्त है ।

(6) भारतीय इक्विटी के बदले निर्यातित मशीन, तथा उपस्कर पर नकद सहायता, यदि अन्यथा अनुमेय हो, दी जाएगी तथापि इसकी अधिकतम सीमा जहाज पर कीमत का 10 प्रतिशत होगी ।

(7) भारतीय उद्योगपतियों को जहां तक व्यवहारिक हो, आद्योपांत प्रायोजना के लिए प्रस्थापना रखनी चाहिए क्योंकि इससे विदेशी निवेशकर्त्ताओं के उत्तरदायित्व कम हो जायेंगे ।

(8) भारतीय पार्टियों को यथासंभव विदेशी पार्टियों के साथ करारों में यह व्यवस्था करनी चाहिये कि निवेश के देश के राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जायेंगी ।

दिल्ली और लखनऊ से उड़ने वाले विमान के प्रस्थान समय में परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

4453. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से लखनऊ के लिये प्रातः एक ही विमान जाता है जिससे विमान यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) क्या दिल्ली और लखनऊ से उड़ने वाले विमान के प्रस्थान समय में परिवर्तन करने और इसे दोनों से शाम के समय के लिये निश्चित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सेवाओं में अन्यत्र बाधा पहुंचाये बिना, तथा विमानों की समग्रतया उपादेयता को हानि पहुंचाये बिना समयावली में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा ।

प्रत्यक्ष करों की वसूली

4454. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वसूल किये गये प्रत्यक्ष कर के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों की वसूलियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रु० में)

वित्तीय वर्ष	निगम कर सहित आय-कर	धन-कर	दान-कर	सम्पदा-शुल्क
1969-70	801.84	15.55	1.93	7.08
1970-71	839.64	15.58	2.35	7.76
1971-72	1002.57	25.88	3.45	9.77

वर्ष 1971 के दौरान एयर इण्डिया तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के माध्यम से भारत में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या

4455. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत में आये ;

(ख) इन पर्यटकों में से कितने पर्यटक एयर इण्डिया से आये और कितने पर्यटक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों से आये तथा प्रत्येक विदेशी विमान कम्पनियों से अलग-अलग कितने पर्यटक आये ; और

(ग) एयर इण्डिया से आने वाले विदेशी पर्यटकों की कम संख्या होने के क्या कारण हैं और भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एयर इण्डिया द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 300,995.

(ख) सभी विमान कम्पनियों में से एयर-इण्डिया द्वारा सब से अधिक पर्यटक भारत लाये गये। विवरण I में एयर-इण्डिया एवं अन्य विमान कम्पनियों के विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिखाई गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4039/72]**

(ग) एयर इण्डिया द्वारा आने वाले पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है तथा कुशल विमान सेवा, प्रोत्साही किरायों आदि के माध्यम से इसमें और अधिक वृद्धि करने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। और अधिक संख्या में पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिये किये जा रहे उपायों का उल्लेख विवरण II में किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4039/72]**

जब्त किए गए सामान का वितरण करने सम्बन्धी समिति

4456. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह जब्त किए गए सामान का वितरण करने सम्बन्धी समिति के बारे में 24 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त भारत में सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं के वितरण के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जब्त किये गये माल को बेचने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें अनुबन्ध में दिए अनुसार हैं ।

(ख) तथा (ग) सिफारिश सं० 3,4,5,6,7,9,10,11 तथा 13 को स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिश सं० 1,2 और 14 की जांच की जा रही है। सिफारिश सं० 8 को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि लौंग तथा मसालों के उपभोक्ता ऐसे सामान्य लोग हैं जो इन्हें इतनी कम मात्रा में खरी[illegible] इन वस्तओं को नीला[illegible] [illegible]फारिश सं० 12 को भी

विवरण

1. उपभोक्ता वस्तुएं, जिनमें घड़ियां शामिल हैं, विभाग द्वारा अपनी परचून की दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को बेची जानी चाहिए तथा 10 प्रतिशत की कटौती की एक समान दर पर कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को, जिनमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ शामिल है, बेच दी जानी चाहिए।

2. विभागीय परचून-दुकानें स्वीकृत वाणिज्यिक परिपाटी के अनुसार चलायी जानी चाहिए। वस्तुओं के अलग वर्ग के लिए दिन विशेष अलग से नियत किये बिना ही ये दुकानें भी अन्य किसी दुकान की भांति ही काम के पूरे घन्टों के लिये खुली रहनी चाहिएं।

3. घड़ियों के विदेशी मुद्रा में बेचने का विचार आकर्षक है। जब्त की गई घड़ियों को विदेशी मुद्रा में बेचने के लिये पत्तनों के पारगमन विश्राम-कक्षों (Transit lounges) में एक काउण्टर खोलकर शुरूआत की जा सकती है।

4. घड़ियों की सफाई करने और व्यापारिक माध्यम से उनके वितरण के सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा पेश की गई योजना पर सरकार उस स्थिति में विचार कर सकती है जब वह आयात नीति को उदार बनाने का निर्णय करें।

5. जो घड़ियां चालू हालत में नहीं हों, उन्हें बिक्री के लिये छोड़ने से पहले उनकी उस स्थिति में सफाई की जानी चाहिए यदि ऐसा करने में किफायत होती हो।

6. जब्त किये गये वाहनों को, जिनमें लांच शामिल हैं, विभागीय स्वतन्त्र द्वारा बेचा जाना चाहिए।

7. सरकारी सम्पत्ति के विनियोजन के मामले में अपनायी गई सामान पारिपाठी जब्त की गई है लांच तथा मोटर गाड़ियों के मामले में भी लागू होनी चाहिए। वाहनों के विद्यमान बेड़े के पर्याप्त होने की अवधि में अथवा सप्लाई मिलने में विलम्ब होने की स्थिति में वाहनों को भी विनियोजित किया जा सकता है।

8. लौंग तथा अन्य मसालों को किसी भी अन्य उपभोक्ता सामान की तरह समझा जाना चाहिए और उन्हें भी उपभोक्ता सामान को बेचने के लिये की गई सिफारिश के अनुसार बेचा जाना चाहिए। परन्तु, जहां स्टाक अधिक हो वहाँ अधिकांश माल सीमित नीलामी के जरिये वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है।

9. नाइलोन तथा अन्य संश्लिष्ट धागे विभाग द्वारा नीलामी में सीधे बुनकरों की संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं तथा प्रमाणित वास्तविक उपभोक्ताओं को बेच दिये जाने चाहिए। इस प्रकार के मामलों में सफल बोली बोलने वालों के आयात लाइसेन्सों में खाते नामें डालने की आवश्यकता नहीं है।

10. विभाग, सरकारी टक्साल से परामर्श करके, प्रत्येक तिमाही के बाद सोने और चांदी भेजने के लिये एक स्वीकृत समय सारणी तैयार कर सकता है।

11. विभाग को एक ऐसा कैलेण्डर निर्धारित करना चाहिए जिसके आधार पर वह यह सुनिश्चित करेगा कि जब्त की गई सभी मुद्राएं निर्दिष्ट समय के भीतर भारत के रिजर्व बैंक में जमा कर दी गई हैं।

12. तराशे गये और पालिश किये गये जब्त शुदा रत्नों तथा उपरत्नों को विदेशों में बेचने के सम्बन्ध में सरकार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार करती है।

तराशे गये तथा पालिश किये गये रत्नों तथा उपरत्नों को विदेशों में बेचने की दृष्टि से मणि तथा जवाहरात निर्यात संवर्द्धन परिषद्, व्यापार विकास प्राधिकरण जैसे अन्य अभिकरणों तथा विदेशों में विशेषतया बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रसिद्ध नीलामी-कर्ताओं के सम्बन्ध में भी विचार किया जा सकता है।

13. शस्त्र अधिनियम तथा समदर्शी नियमों के अधीन लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए हथियार तथा गोलाबारूद को बेचने की वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है।

14. सरकार इस बात की जांच कर सकती है कि विनिर्दिष्ट देशों से आने वाले माल को उसके मूल देश के चिन्हों को कारगर ढंग से विकृत करने के बाद बेचा जा सकता है अथवा नहीं।

केरल में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की परिपूर्ण शाखा स्थापित करना

4457. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मन्त्री 24 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने केरल की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की शाखा को परिपूर्ण कार्यालय का रूप देने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के तीन विभागों, अर्थात् बैंकिंग कार्यचालन और विकास, कृषि ऋण और विनिमय नियंत्रण विभागों के केरल में अपने कार्यालय हैं। बैंक के सामान्य भाग की ओर, निर्गम विभाग का उप-कार्यालय, जिसमें मुद्रा और सिक्के के विनियम के लिए पूरी सुविधाएं होंगी बैंक की अपनी इमारत तैयार होते ही खोलने का प्रस्ताव है। अन्य विभाग भी आवश्यकता होने पर खोल दिये जायेंगे।

एशिया 72 में हस्ताक्षर किए गए निर्यात और आयात सम्बन्धी समझौते

4458. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एशिया 72' में अब तक भारत द्वारा कुल कितने निर्यात के आर्डर प्राप्त हुये हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं तथा ये आर्डर कितनी राशि के हैं ; और

(ख) व्यापार मेले में अन्य देशों के साथ सरकार द्वारा हस्ताक्षर किये गये आयात समझौतों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, पौलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, स्पेन, पश्चिम जर्मनी, सं० रा० अमरीका, नीदरलैंड, नाइजीरिया, वेस्ट इन्डीज तथा कनाडा को निर्यात करने के लिए 'एशिया 72' में 2541.21 लाख रु० के मूल्य के कुल निर्यात क्रयादेश सम्पन्न किये गये हैं। बुक किये गये क्रयादेशों की वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सोवियत संघ, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी तथा चैकोस्लोवाकिया से इस्पात, म्युरियेट आफ पोटाश, रेलों के पहियों, मुद्रण मशीनों आदि जैसी मदें आयात करने के वास्ते सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों ने 1586.70 लाख रु० मूल्य के आयात करार किये हैं। सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में अलग आंकडे इस समय उपलब्ध नहीं है।

एडर इंडिया में स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

4459. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के पदों के लिये आवेदन पत्र मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रत्याशी चुना गया तथा नियुक्त किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या एयर इण्डिया ने केटरिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट (कैन्टीन सेवा), स्पोर्ट्स आफिसर, योजना अधिकारी तथा सहायक स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के पदों के लिए पहले से निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में कोई छूट दी थी और यदि हां, तो क्या छूट दी गई थी और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एयर इण्डिया ने पिछले 4 वर्षों के दौरान स्टेशन अधीक्षकों के पदों के लिये न ही प्रार्थनापत्र माँगे हैं और न ही विज्ञापन दिया है।

के मामले में, आवेदन करने वाले सभी 26
थीं हालांकि उनमें से बहुत से निर्धारित
की थी, कारपोरेशन ने

होने के कारण शैक्षणि योग्यताओं में ढील देकर की गयी थी। सहायक स्टेशन अधीक्षक के पद पर भर्ती की हालत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सिवाये किसी को भी शैक्षणिक योग्यताओं में ढील नहीं दी गयी थी। एयर इण्डिया ने कोई भी योजना अधिकारी बाहर से भर्ती नहीं किया है।

एयर इण्डिया में 1 नवम्बर, 1972 तक काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या

4460. **श्री एम० एस० सिद्दय्या** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इण्डिया में 1 नवम्बर, 1972 तक काम कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या क्या है और पूरे निगम में कुल कितने अधिकारी हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

अधिकारी कहलाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या
1012*	12	3

*सीधी भर्ती केवल कुछ स्तरों पर की जाती है।

Arrest of Persons during Raids to Unearth Black Money

4462. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of persons arrested in the course of raids conducted by Income-Tax Department throughout the country during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Investment of Foreign Capital in India

4463. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of capital invested in India so far by U. S. A., U. S. S. R. and West Germany for development works in the various sectors of the country ?

The Minister of Finance (Shri Yashwant Rao Chavan) : The information is being collected.

Payment af Income Tax by All India Trade Unions

4464. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of such All India Labour Organisations in the country as are assessed for payment of Income-Tax at present ;

(b) the amount of Income-Tax paid to Government in these Labour Organisations during the last 3 years ; and

(c) the amount of Income-Tax arrears outstanding against each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Enquiry against Big Industrial Houses Violation of Companies Act

4465. **Shri Dhanshah Pradhan** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have investigated certain charges during the last two years levelled against the big industrial houses for violating various provisions of the Companies Act ; and

(b) if so, whether cases against some of them have been filed in the court and if so, the details thereof ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) Based on the criteria adopted by the Licensing Policy Inquiry Committee a list of 48 Industrial Houses which had assets of more than Rs. 20 crores was compiled by the Department of Company affairs in August, 1970. The names of companies belong to these houses against whom prosecutions were launched during the year 1970 and 1971 and the types of offences committed by them are given in the statement annexed herewith. **[Placed in Library. See. No. L.T. 4040/72]**

Payments at the State Bank of India in Jharia

4466. **Shai R. N. Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that payments at the State Bank of India in Jharia are made mainly in hundred rupee notes due to shortage of currency notes of smaller denominations :

(b) whether Government are also aware that the people have to face a lot of inconvenience as a result thereof ; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Information is being collected from the Reserve Bank of India and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) The supplies of small denomination notes, particularly One Rupee notes, have not been able to keep pace with the growing demand for such notes as evident from the shorfall in meeting the Reserve Bank of India indents for such notes for the last three years. Government have already taken steps to increase the production capacity of the Curtrency Note Press, Nasik Road by augmentation of staff and equipment and by increasing the working hours of the Press to 60 hours a week, against the normal working hours of 48 hours a week. A second Bank Note Press is also being set up at Dewas in Madhya Pradesh for printing notes of the denominations of Rs. 10/- and above. When it goes into production by the middle of 1973, the Currency Note Press will be in a position to concentrate more on the production of lower denomination notes including one rupee notes and meet the Reserve Bank of India demands for such notes fully. In the meantime, whenever complaints of non availability of small denomination notes in any currency chest is received by the Reserve Bank of India, immediate arrangements are made to replenish the concerned chests to the extent possible consistent with the available stocks.

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रबन्ध प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

4467. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम प्रतिवर्ष बहुत से प्रबन्ध/तकनीकी प्रशिक्षुओं की भर्ती करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने प्रशिक्षु भर्ती किये गये तथा भर्ती करने की पद्धति क्या है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कृषि मशीनों तथा उपकरणों से सम्बन्धित सेवाओं के लिए कोई कृषि इंजीनियरी स्नातक (एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग ग्रेजूएट्स) भर्ती किये थे ; और

(घ) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी हां ।

(ख) चौबीस । ये प्रबन्ध प्रशिक्षणार्थी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित करके भर्ती किये गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों की सुरक्षा के उपाय

4468. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 में एयर इण्डिया, बम्बई का कार्मिक प्रबन्धक राजनैतिक दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया था और पुलिस ने उसे नहीं बचाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस धटना की जांच की है तथा मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को ऐसे मामलों में सुरक्षित रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) शिवसेना के कुछ अनुयायियों द्वारा 16 नवम्बर, 1972 को एयर इण्डिया के प्रमुख कार्मिक प्रबन्धक पर बम्बई में एयर इण्डिया के मुख्यालय में आक्रमण किया गया था । आवश्यक सुरक्षा के लिये मामले को तुरन्त राज्य सरकार के साथ उठाया गया था ।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है, अतः उसके साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

मानार्थ पास लेने के लिये एयर इण्डिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

4469. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने लिये तथा अपने

परिवारों के लिये विदेशी विमान कम्पनियों से सीधे मानार्थ पास लेने की पद्धति के विनियमन के लिये सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ;

(ख) उनके द्वारा एयर इण्डिया के माध्यम से ऐसे मानार्थ टिकटों के लिये आवेदन-पत्र न देने अथवा बातचीत न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विदेशी विमान कम्पनियों से सीधे एक वर्ष में एक अधिकारी द्वारा लिये जाने वाले ऐसे मानार्थ टिकटों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। आई० ए० टी० ए० के विनियमों के अनुसार एक एयरलाइन का कर्मचारी दूसरी एयरलाइन से सीधे मानार्थ पास प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उस विमान कम्पनी के, जिसकी सेवा में वह नियुक्त है, सामान्य कार्यालयों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कोई प्रार्थना न की गई हो।

(ग) सरकार ने इस विषय में कोई अनुदेश जारी नहीं किये है।

फोटोग्राफी के आयातित सामान का लागत बीमा-भाड़ा सहित मूल्य

4470. **श्री मोहम्मद खुदा बख्श** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोल एजेन्टों के लिये अपने लाइसेन्सों पर और सभी श्रेणियों की अन्य पार्टियों के लाइसेन्सों पर, परन्तु ब्रांड सोल एजेन्टों द्वारा अधिकार-पत्र पर पिछले तीन वर्षों में आयात की गई कोडक, अग्फा, गेवर्ट तथा इलफोर्ड ब्रांड की फोटोग्राफी की प्लेटों, कागजों तथा फिल्मों का लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : फोटोग्राफी की प्लेटों, कागजों तथा फिल्मों के आयातों के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य सम्बन्धी जानकारी ब्रांडों, अलग अलग पार्टियों तथा आयातकों की श्रेणियों के रूप में नहीं रखी जाती।

सरकारी कर्मचारियों की अगले उच्च पदों पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उच्च वेतन-मानों में उनका वेतन निर्धारित करना

4472. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब सरकारी कर्मचारी की अगले उच्च पद पर पदोन्नति की जाती है तो जब वे पहले ही उच्च वेतनमान के न्यूनतम से अधिक राशि बेसिक वेतन के रूप में ले रहे होते हैं, उन्हें पहले वेतनमान में केवल एक वेतन-वृद्धि देकर उच्च वेतनमान में अगली स्टेज पर उनका वेतन निर्धारित कर दिया जाता है ;

(ख) क्या जब कभी वेतनमान बढ़ाये जाते हैं और पुनरीक्षित किये जाते हैं तो कनिष्ठ कर्मचारियों और सेवा में आने वाले नये व्यक्तियों को ऐसे पुनरीक्षण का काफी और पूरा लाभ मिलता है जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होता या बहुत कम लाभ होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है कि पदोन्नति होने पर या वेतनमान पुनरीक्षित होने पर सेवारत कर्मचारियों को बराबर का लाभ मिले ताकि वे हत्सोत्साहित न हों और वरिष्ठ कर्मचारियों में कुशलता से काम करने का प्रोत्साहन बना रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक प्रथम श्रेणी पद से दूसरे प्रथम श्रेणी पद पर तरक्की के मामलों को छोड़ कर, सामान्यत: इस आधार पर वेतन निर्धारण उन मामलों में मंजूर किया जाता है जहां उच्चतर पद पर तरक्की में उच्चतर जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता है ।

(ख) और (ग) यह धारणा सही नहीं है कि वेतन संशोधन के सभी मामलों में कनिष्ठ कर्मचारियों और नये भरती हुए कर्मचारियों को अनिर्वायत: अपने वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक लाभ मिलता है । नये वेतनमान में वेतन निर्धारण के कारण वस्तुत: प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ की मात्रा प्रत्येक अलग-अलग मामले में, वेतन संशोधन की प्रकृति, पुराने वेतनमान में मिलने वाले वेतन और पूर्ववर्ती वेतनमान की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के मुकाबले उस पद के नये वेतनमान की न्यूनतम और उच्चतम सीमाओं पर निर्भर करेगी । इस विषय पर प्रवर्तमान नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

अनुभाग अधिकारियों को समयोपरि भत्ता देना

4473. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में कार्यालय के समय से अधिक समय तक काम करने पर अनुभाग अधिकारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा इस आधार पर किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिये उन्हें 'सुपरवाइजरी स्टाफ' अथवा अधिकारियों में शामिल किया गया है ;

(ग) क्या स्टाफ काउंसिलों के गठन के प्रयोजन हेतु उन्हें साधारण स्टाफ में शामिल किया जाता है ; और

(घ) अनुभाग अधिकारियों को समयोपरि काम करने पर किस प्रकार मुआवजा दिया जाता है अथवा देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां । अनुभाग अधिकारियों को, राजपत्रित अधिकारी होने के कारण, कार्यालायी कर्मचारियों को लागू समयोपरि भत्ता योजना से बाहर रखा गया है ।

(ग) वे संयुक्त परामर्शदाता तंत्र योजना के अधीन संयुक्त परिषदों में भाग लेने के अधिकारी हैं ।

(घ) इस सम्बन्ध में, अनुभाग अधिकारियों और समान स्तर के उत्तरदायित्व वाले अन्य राजपत्रित वर्गों के बीच कोई भेद करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता ।

गत दो वर्षों में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन का आर्थिक प्रभाव

4474. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विदेशी पर्यटकों के आगमन के कारण क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा ; और

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों का आगमन चौथी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है और यदि नहीं, तो कमी किस सीमा तक है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन से वर्ष 1970 और 1971 में क्रमशः 38.03 करोड़ रुपये व 40.38 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई ।

(ख) वर्तमान संकेतों को दृष्टि में रखते हुये आशा है चौथी योजना का 1973 तक 400,000 पर्यटकों का लक्ष्य संभवतः पूरा हो जायेगा ।

एशिया 72 प्रदर्शनी को चलती-फिरती प्रदर्शनी में बदलने की योजना

4475. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान एशिया 72 प्रदर्शनी को चलती-फिरती प्रदर्शनी में बदलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और इस परियोजना के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या विदेशी स्टाल भी प्रस्तावित योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री(श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

एशिया' 72 में भाग ले रहे देशों के साथ भारत के व्यापार संबंध

4476. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया' 72 में भाग ले रहे देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने में भारत को कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) क्या इस प्रदर्शनी से देश के छोटे और मझले उद्योगों को अपने उन उत्पादकों के लिये ठेके करने में सहायता मिली है जिनका वे इस समय उत्पादन कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये भी ऐसे ही आर्डरों पर बातचीत हो सकेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितने मूल्य की किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भाग लेने वाले देशों के साथ 10-12-72 तक कुल 2317.30 लाख रुपये के मूल्य के निर्यात क्रयादेश सम्पन्न किए गए। इसके अतिरिक्त भाग न लेने वाले देशों के साथ भी 223.91 लाख रुपये के निर्यात क्रयादेश सम्पन्न किये गए हैं। इनके अलावा काफी बड़ी संख्या में व्यापारिक पूछताछें प्राप्त हुई हैं, जिनका मूल्य कई करोड़ रुपये बनता है। 1586.70 रुपये के मूल्य के आयात क्रयादेश भी सम्पन्न किए गए हैं। एशिया 72 आशा से अधिक सफल रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) सरकारी तथा गैर-सरकारी परियोजनाओं ने कई निर्यात क्रयादेश प्राप्त किए हैं। सरकारी क्षेत्र का पृथक ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

कम्पनियों में उच्च पदों पर नियुक्त के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

4477. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त अधिनियम 1971 के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित कर्मचारियों को अधिकतम सीमा सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये जाने के बाद भारत की विभिन्न कम्पनियों से अपने निदेशकों और प्रबन्ध अधिकारियों की नियुक्तियों की पुष्टि के लिए वर्ष-वार कितने प्रार्थनापत्र सरकार को प्राप्त हुए तथा उन कम्पनियों और उनके निदेशकों/अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ख) ये सिद्धांत किस तारीख से लागू हुए थे और क्या इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) नये सिद्धांतों के अनुसार अब तक कितने प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति दी गई तथा उन प्रार्थियों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या और प्रार्थियों के नाम क्या हैं जो अभी भी सरकार के विचाराधीन है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों, अन्य वैतनिक निदेशकों और प्रबन्धकों की नियुक्तियों और पारिश्रमिक के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकतम सीमा विषयक वर्तमान मार्ग-दर्शक नियम 1969 में बनाए गये थे। सरकार ने, हांलाकि अगस्त, 1972 में वित्त अधिनियम 1971 के उपबन्धों को दृष्टि में रखकर पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां जो हानि में रहती हैं या अपर्याप्त लाभ अर्जित करती हैं, के प्रबन्ध कार्मिकों को "न्यूनतम पारिश्रमिक" देने के लिए कुछ मार्गदर्शक नियम बनाए थे ।

(ख) न्यूनतम पारिश्रमिक के मार्गदर्शक नियम 5 अगस्त 1972 को प्रभावी हुए और,इनकी एक

प्रति पहिले ही सदन के पटल पर सितम्बर, 1972 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 के उत्तर के साथ प्रस्तुत कर दी गई है ।

(ग) 5 अगस्त, 1972 से 30 नवम्बर, 1972 की अवधि के मध्य प्राप्त आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में विवरण-पत्र संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4041/72**]

ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

4478. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामोफोन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से इस आशय का कोई आवेदन-पत्र मिला है कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इसके नये प्रबन्ध निदेशक की अन्य परिलब्धियों के साथ-साथ 7500 रु० मासिक वेतन में नियुक्ति की स्थायी पुष्टि की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वेतन और अन्य परिलब्धियां सरकार द्वारा निर्धारित नये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुकूल हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी को स्वीकृति दे दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वह किन शर्तों पर दी गई हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 28-7-1972 को कम्पनी से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 के अन्तर्गत, श्री ए० के० सूद को रु० 7,500/- प्रतिमाह और प्रत्येक दूसरे वर्ष की सेवा के बाद रु० 500 वृद्धि पर तथा कम्पनी के कुल लाभ पर 1/2 प्रतिशत कमीशन तथा अन्य परिलब्धियों सहित उसके नये प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ख) से (ग) आवेदन-पत्र परीक्षान्तर्गत है ।

रुई की खरीद में कदाचारों के सम्बन्ध में बावला के किसानों द्वारा अपील

4479. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद जिले के बावला के तेइस किसानों ने जुलाई, 1972 में भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से अपील की थी कि उनके जिले से रुई की खरीद में भारतीय रुई निगम के नामितों द्वारा कदाचार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसी कोई अपील प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पटसन उद्योग की सिंथैटिक्स से संकट

4480. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग ने सरकार का ध्यान दिलाया है कि हाल ही की राहत के बावजूद सिंथैटिक्स से जूट उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और जब तक और अधिक सुविधाएं नहीं दी जातीं तब तक उद्योग विश्व प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकता ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सिंथैटिक्स का भारत के पटसन और पटसन के उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) क्या "कार्पेट बैकिंग" पर पूर्णतः निर्भर करने वाले कारखानों पर इसका अधिक विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) पटसन द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में पूर्ति की जाती थी, वहां संश्लिष्ट पदार्थों ने अपना अच्छा स्थान बना लिया है।

(ग) जी हां। पटसन कालीन अस्तर को संश्लिष्ट पदार्थों से प्रतियोगिता करने हेतु ही वास्तव में अभी हाल में पटसन प्राइमरी कालीन अस्तर पर आयात शुल्क 400 रु० प्रति टन कम कर दिया गया था। उद्योग द्वारा और राहत के लिए दिया गया सुझाव सरकार ने नोट कर लिया है।

मैसर्स गोलचा प्रोपराइटर्स लिमिटेड में जमाकर्ताओं को अदायगी

4481. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलचा प्रोप्राइटर्स लिमिटेड के जमाकर्ताओं को सरकारी परिसमापक द्वारा उन को मूल जमा राशि का 50 प्रतिशत धन पहले ही वितरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिसमापक ने जमाकर्ताओं को बकाया राशि तथा उस पर देय ब्याज की कोई योजना तैयार कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल राशि के कब तक अदा किये जाने की संभावना है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय से सम्बद्ध सरकारी समापक ने सूचित किया है कि उसने अभी तक गोलचा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (समापन में) के साधारण जमाकर्ताओं को जिनके दावे निबट चुके हैं एक रुपये में 20 पैसे के दो लाभाँश घोषित किये हैं। उसने यह भी सूचित किया है कि प्रथम लाभांश 200 दावाकर्ताओं को छोड़कर, समस्त साधारण जमाकर्ताओं को पहिले ही दिया जा चुका है और दूसरा लाभांश 1341 जमाकर्ताओं को दिया जा चुका है। उसने यह सूचित किया है कि उसके पास अभी पर्याप्त निधि

पुन : लाभाँश घोषित करने के लिए नहीं है और वह न्यायालय की अनुमति के लिए जब कभी भी पर्याप्त निधि उसके हाथ में यथासमय आयेगी तो आवश्यक कदम उठायेगा ।

Exorbitant Prices charged by Eating Stalls in Asian Trade Fair

4482. **Shri Anandi Charan Das** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of complaints received so far about the exorbitant prices charged by the eating stalls and the stalls selling soft drinks or hot beverages in the Asian Trade Fair ;

(b) the action taken against the stalls ; and

(c) the number of stall holeders against whom action has been taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) to (b) There have been a few complaints about some commercial concessionaries charging high prices. A meeting of all the concessionaries was convened and they were warned to bring down their prices immediately and to display the price list prominently ; otherwise severe action would be taken against the defaulters. This had a salutary effect and the concessionaries valuntarily reduced the prices. The prices now prevailing in the Fair Grounds are the same charged elsewhere in the city.

Decline in Production of Cloth due to worn out Machines

4483. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether most of the textile mills in the country are working with old and worn out machines and as a result thereof the production is going down and the employment opportunities are also being lost ; and

(b) if so, the measures being taken by Government to improve the situation in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली के प्लाटों के स्वामियों से स्टाम्प ड्यूटी एकत्र करना

4484. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाम्प कलक्टर, दिल्ली ने नई दिल्ली में गोल्फ लिंक, सुन्दर नगर, जोर बाग और चाणक्य पुरी जैसी बस्तियों के प्लाटों के अधिकांश स्वामियों से दो बार स्टाम्प ड्यूटी एकत्र की है, अर्थात् एक बार पट्टे के करार की रजिस्ट्री के समय तथा दूसरी बार भूमि तथा विकास अधिकारो के पास स्थायी पट्टे के पंजीकरण के समय ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्लाटों के स्वामी कितने हैं और उनसे अब तक कितनी राशि अधिक एकत्रित की गई है ;

(ग) क्या भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद भी दोहरी स्टाम्प ड्यूटी एकत्र की है ; और

(घ) इस बारे में सरकार के क्या आदेश हैं और प्लाटों के स्वामियों को अधिक राशि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुछ चन्द मामलों में, उल्लिखित बस्तियों के प्लाटों के स्वामियों ने, पट्टे का करार (लीज एग्रीमेंट) निष्पादित करते समय तथा पट्टा-विलेष (लीज डीड) निष्पादित करते समय भी स्टाम्प शुल्क अदा किया है ।

(ख) दस वर्ष से भी अधिक की अवधि के दौरान निष्पादित करारों तथा पट्टों से संबंधित सूचना एकत्र करने में बहुत समय लगेगा । जिसके लिये इन बस्तियों से संबंधित सैकड़ों दस्तावेज देखने पड़ेंगे ।

(ग) शुल्क की वसूली, पट्टों के निष्पादन के समय प्रवर्त्तमान कानून के अनुसार तथा मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी द्वारा दिये गये उस मत के अनुरूप की गई थी जो उन्होंने स्टाम्प कलक्टर के अनुरोध पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 56 (2) के अन्तर्गत व्यक्त किया था ।

(घ) कलक्टर/मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी का निर्णय अर्द्धन्यायिक होने के कारण, पट्टेदारों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपयुक्त उपबन्धों के अनुसार कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की मांग करनी होगी ।

भारत में फोर्ड फाउन्डेशन में काम कर रहे कर्मचारी

4485. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में अमरीका के परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे कुछ व्यक्तियों को भारत में फोर्ड फाउन्डेशन में नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) प्रति मास 2,000 रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले फोर्ड फाउन्डेशन के भारतीय कर्मचारियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) डा० आर० साइमन्स, जो पहले अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की ओर से वियतनाम सरकार के कृषि–ऋण सलाहकार थे, इस समय भारत में फोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा सहायता-प्राप्त गहन कृषि जिला कार्यक्रम (इन्टैन्सिव एग्रिकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम) नामक परियोजना में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) ऐसे पांच व्यक्ति हैं किन्तु उनके नाम बताना लोक–हित में नहीं होगा ।

सरकारी उपक्रमों के माध्यम से मेवों का आयात

4486. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री मेवों के आयात के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के माध्यम से मेवों का आयात करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) निर्णय किस तिथि से लागू होगा ; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया हो तो उसके क्या कारण हैं तथा अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) सरकार ने सिद्धांत रूप में सरकारी क्षेत्र के एक अभिकरण के माध्यम से मेवों का आयात मार्गीकृत करने का विनिश्चय कर लिया है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके मूल कार्यालयों में वापस भेजा जाना

4487. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री 17 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी इच्छा व्यक्त करने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद, कितने व्यक्तियों ने अपने मूल कार्यालयों में वापिस जाने की इच्छा व्यक्त की थी जिन्हें वापस भेज दिया गया है ;

(ख) क्या ऐसे सभी व्यक्तियों को वापिस भेज दिया गया है जिन्होंने वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब इस प्रकार कितने व्यक्ति वापिस जाने की प्रतीक्षा में हैं और यह प्रक्रिया कब पूरी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1-3-1972 तक प्रतिनियुक्ति पर आए 184 व्यक्तियों को उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, क्योंकि या तो उन्होंने उस संवर्ग में वापस जाने का विकल्प दिया था या स्वयं उद्यमों ने उनकी सेवाओं को अनिवार्य नहीं समझा ।

(ख) और (ग) विकल्प देने की समय सीमा अलग-अलग मामलों में भिन्न होती है क्योंकि प्रतिनियुक्ति प्रारम्भ होने की तारीख से 2 वर्ष/3 वर्ष के बाद विकल्प देना पड़ता है और यह प्रतिनियुक्त व्यक्ति के पद के स्तर पर निर्भर करता है । यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों के मामले में 9 जिन्हें निर्धारित तारीख को या उसके पहले विकल्प देना पड़ता है, और वे उक्त उद्यम में रख लिये जाने का विकल्प नहीं देते हैं तो उनके लिए ये विकल्प खुले रहेंगे । :—

(1) विकल्प देने की समय-सीमा समाप्त होने के तुरन्त बाद उनकी सेवाएं सम्बद्ध संवर्ग अधिकारियों को सौंपनी पड़ेगी क्योंकि उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी समय समाप्त हो जायगी ।

(2) यदि संवर्ग अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर आए ऐसे व्यक्तियों को तत्काल कोई पद देने की स्थिति में हों तो उन्हें ड्यूटी पर जाना पड़ेगा ।

(3) प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों की वापसी के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिये सरकारी उद्यमों द्वारा पदारोहण आयोजनाएं बनाई जा चुकी होंगी और प्रतिनियुक्ति के कारण खाली हुए पदों को भरने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी, जहां ऐसी पदारोहण योजनाएं तैयार नहीं हैं, स्थाई प्रबन्ध किए जाने तक अस्थाई वैकल्पिक प्रबन्ध करने पड़ेंगे।

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि विकल्प आदेशों के अनुसार विकल्प देने वालों की वापसी की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

फोर्ड फाउन्डेशन के कर्मचारियों द्वारा आय-कर की अदायगी

4488. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार अपने कर्मचारियों के वेतन में से काट कर दिल्ली स्थित फोर्ड फाउन्डेशन ने कितना आय-कर जमा किया है ; और

(ख) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा अपने कर्मचारियों से सही-सही आय-कर लिया जाता है और यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) फोर्ड फाउण्डेशन के केवल भारतीय कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा पिछले तीन वर्षों में ऐसे कर्मचारियों के वेतनों से काटे गये तथा सरकार को अदा किये गये आयकर की रकम निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	अदा किया गया कर
	रु०
1969-70	2,56,226
1970-71	4,26,875
1971-72	5,09,180

(ख) भारतीय कर्मचारियों के वेतनों से स्रोत पर काटे गये कर की परीक्षण-पड़ताल से पता चलता है कि स्रोत पर काटे गये कर की सही संगणना की गई है।

फोर्ड फाउण्डेशन की परियोजनाएं

4489. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फोर्ड फाउण्डेशन ने कितनी परियोजनाओं पर काम किया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में फोर्ड फाउण्डेशन को कितनी तथा कौन-कौन सी परियोजनायें सौंपी गई ;

(ग) क्या फोर्ड फाउण्डेशन ने कई परियोजनाओं के लिए कुछ और प्रार्थना पत्र भेजे थे जो अभी भी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे प्रार्थना पत्र किस प्रकार के हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सतहत्तर ।

(ख) फोर्ड फाउण्डेशन को परियोजनायें सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये सब स्थानीय क्रियाकलाप हैं और वित्तीय सहायता, विशेष जानकारी, शिक्षावृत्तियों और/अथवा उपकरणों के लिए अनुदानों के रूप में, फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता बुनियादी क्रियाकलापों की अनुपूरक है ।

(ग) जी हां । ये प्रार्थना-पत्र नहीं है, बल्कि मानक प्रक्रिया के रूप मे, फाउन्डेशन से मिलने वाली सहायता के औपचारिक प्रस्ताव हैं ।

(घ) ऐसे प्रस्तावों की सूची संलग्न है । इन पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए विचार किया जा रहा है ।

विवरण

फोर्ड फाउण्डेशन के उन सहायता प्रस्तावों की सूची, जो विचाराधीन हैं

	संस्था	प्रस्तावित रकम डालर
1	महाराष्ट्र सरकार	150,000
2	जनता शिक्षण मंडल	27,000
3	चेतना (चेतना एच० एस० कालेज आफ कामर्स एण्ड इकनामिक्स	50,000
4	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्	60,000
5	अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का केन्द्रीय संस्थान	220,000
6	गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	304,000
7	एच० सी० माथुर स्टेट इन्स्टिट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	111,000
8	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया	550,000
9	विकास केन्द्रों में प्रयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं	218,000
10	वरिष्ठ भारतीय शिक्षा विशेषज्ञ द्वारा शिक्षा के विषय में पोस्ट डाक्टरल फैलो के रूप में लगभग 14 मास के लिए स्टेनफोर्ड महाविद्यालय का निमंत्रण स्वीकार करना	
11	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के हीरक जयन्ती अधिवेशन में दो नोबल पुरस्कार विजेताओं का शामिल होना	

सरकारी क्षेत्र के एककों में गोलमाल

4490. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के एककों में वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में गोलमाल का पता लगाने के लिए किन्हीं विशेष उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ये उपाय क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियम बनाने हैं ताकि कम्पनी के दैनिक मामले इनके अनुसार चलाये जा सकें और प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताए न हों । ये नियम और विनिमय कानूनी आवश्यकताओं, सरकारी आदेशों, बोर्ड के निर्णयों आदि कोक ध्यान में रख कर बनाये जाते हैं । इन नियमों और विनियमों के व्यक्तिक्रम को पकड़ने की पहली जिम्मेदारी स्वयं कम्पनी प्रबन्ध की है । सरकारी उद्यम, सतर्कता आयोग भी स्थापित करते हैं जैसा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और सरकारी उद्यम का मुख्य सतर्कता अधिकारी, उद्यम और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच की कड़ी का काम करता है । कम्पनियों की वाणिज्यिक और सांविधिक लेखा परीक्षा से भी उनकी अनियमितताओं, यदि कोई हो, का पता लग जाता है । सरकार निर्दिष्ट कार्रवाई करने के लिए बराबर नजर रखती है ।

Grant of Loans to Maruti Limited by Various Financial Institutions

4491. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Maruti Limited had applied for the grant of loans from the various Financial Institutions and Banks during 1971-72 ; and

(b) if so, the amount of loan granted so far by the banks along with their names and the number of applications under consideration ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) None of the all India long term public financial institutions has so far received any application for financial assistance from M/s Maruti Limited, Gurgaon.

As regards loans by commercial banks, in accordance with the law and practice and usage customary among bankers it is not possible for a bank to divulge information regarding its dealings with its individual constituents.

सरकारी उद्यमों में सूचना पद्धति

4492. **श्री गिरधर गोमांगो :**
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों में प्रबन्ध सूचना पद्धति के बारे में हाल में हुई दो दिवसीय गोष्ठी

में यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न उद्योगों के कार्यकारी दलों को मन्त्रालयों में विद्यमान सूचना पत्र का जायजा लेना चाहिए और इस स्तर पर सूचना पद्धति का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

(ख) गोष्ठी में अन्य क्या सिफारिशें की गई थी ; और

(ग) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्यों का संकेत सरकारी उद्यमों और सरकार में प्रबन्ध सूचना पद्धति की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में 11 और 12 सितम्बर, 1972 को सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा आयोजित दो दिन की गोष्ठी की ओर है। गोष्ठी में किए गए विचार-विमर्श से यह प्रकट हुआ कि उपयुक्त प्रबन्ध सूचना पद्धति तैयार करने और उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए मन्त्रालयों, सरकारी उद्यमों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का एक ऐसा कार्यचालन समूह स्थापित करना लाभदायक होगा जो सरकारी उद्यमों के पुनरीक्षण और उन पर कम वजन डाल कर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से उद्यमों पर नियंत्रण रखने में जिम्मेदारियां निभाने में। सरकार की सहायता करे। इस प्रकार का कार्यचालन समूह निकट भविष्य में ही स्थापित करने का निर्णय किया जा चुका है।

गोष्ठी में सरकारी उद्यमों के कुछ समूहों के लिए आदर्श प्रबन्ध सूचना पद्धति तैयार किये जाने की सम्भावना पर भी विचार किया गया और यह पता चला कि यद्धपि अलग-अलग उद्यमों की आवश्यकताओं के अनुसार अधिक मानकीकरण उपयोगीन हो फिर भी उद्यमों में प्रचलित वर्तमान पद्धतियों को पर्याप्त रूप से युक्ति संगत बनाया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए सम्बद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करके अपनी वर्तमान सूचना पद्धतियों की पुनरीक्षा करने से सरकारी उद्यमों को लाभ होगा।

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धि

4493. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री भालजी भाई परमार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तीन पंचवषीय योजनाओं में और उस अवधि में, अब केवल वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी, मूल्यों में कितनी औसत वृद्धि हुई थी ; और

(ख) चालू योजना के पहले तीन वर्षों में मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मूल्यों की वृद्धि/कमी का वार्षिक औसत (साधारण औसत) इस प्रकार का था :—

पहली आयोजना	— 3.5 प्रतिशत
दूसरी आयोजना	+ 7.0 प्रतिशत
तीसरी आयोजना	+ 6.4 प्रतिशत

तीनों वार्षिक आयोजनाओं की अवधि में मूल्य वृद्धि का औसत 8.6 प्रतिशत था।

(ख) चालू आयोजना के पहले तीन वर्षों में औसत मूल्य वृद्धि इस प्रकार थी :—

1969-70	+ 3.7 प्रतिशत
1970-71	+ 5.5 प्रतिशत
1971-72	+ 4.0 प्रतिशत

चलचित्रों का निर्यात

4494. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा निर्यात की गई क्षेत्रीय फिल्मों के नामों का देश-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक चलचित्र से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ; और

(ख) चलचित्र उद्योग के निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए भारतीय चलचित्र निर्यात निगम का भावी कार्यक्रम क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4042/72]**

(ख) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम मूलतः फिल्मों के निर्यात में सहायता देने वाला एक अभिकरण है और वह फिल्में तैयार करने वाला अभिकरण नहीं है ।

Alkaloid Factory in Madhya Pradesh in Collaboration with Yugoslavia

4495. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Yugoslavia have discussed with India the setting up of a factory in Madhya Pradesh for producing alkaloid from the pistach shell ;

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the time by which Government propose to set up this factory ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) Enquiries are being made from the Government of Madhya Pradesh. The information will be laid on the Table of the House.

सम्पत्ति और उद्यम से होने वाली अत्यधिक आय पर प्रतिबन्ध

4496. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पत्ति और उद्यम से होने वाली अत्यधिक आय पर अधिकतम प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने हाल के वर्षों में व्यक्तिगत कराधान की दरों में वृद्धि किए जाने, शहरी जमीनों तथा इमारतों पर धन-कर और अतिरिक्त धन-कर की दरों में अधिक वृद्धि किए जाने और कृषि सम्पत्ति पर धन-कर लगाए जाने

जैसे जो उपाय किए हैं उनके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर आमदनियों की अधिकतम सीमा वस्तुतः निर्धारित हो जाती है और धन के अत्यधिक संचय पर प्रतिबन्ध लग जाता है। आय और सम्पत्ति में विद्यमान असमानताओं को और कम करने के उद्देश्य से शहरी सम्पत्ति के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

Views expressed by NCAER regarding Economic Development

4497. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether at a Seminar held in Delhi, the National Council of Applied Economic Research has expressed the views that the pace of economic development and national income has come to a stand-still ;

(b) whether the said Council has stated that the present pace of industrial development is unable to check intlation ; and

(c) if so, the steps taken by Government to remove this stagnation and check iflation ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Government are not aware of any such Seminar having been held by the NCAER, recently.

(b) and (c) Do not arise.

इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन का पुनर्गठन

4498. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन करने का विचार है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अब चूंकि रूपक चलचित्रों के आयात तथा निर्यात दोनों का मार्गीकरण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कर दिया गया है अतः भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, बम्बई के पुनर्गठन को आवश्यक नहीं समझा गया है। चलचित्र व्यापार निगम की स्थापना हेतु एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी मुद्रा की हानि

4499. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिंगापुर से श्री बी० एम० मायर द्वारा भेजे गये "फोरेन एक्सचैंज हैन-स्मगलिंग एण्ड इल्लिगल रेमिट्टेन्सेज" (विदेशी मुद्रा की तस्करी और अवैध रूप से बाहर भेजा जाना) शीर्षक के अन्तर्गत 6 अक्तूबर, 1971 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) ये लेन देन विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन कर के किए जाते हैं और इनके सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए सरकार आवश्यक वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय करती रहती है ।

मूल्य में कर जोड़ने का सुझाव

4500. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूल्य में ही कर जोड़ने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को समय समय पर मूल्य में ही कर जोड़ देने की पद्धति का सुझाव दिया गया है किन्तु हमारे विकास के वर्तमान दौर में इस पद्धति के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए मूल्य में कर जोड़ने की पद्धति को अपनाना व्यावहारिक नहीं समझा गया ।

सूडान से रुई का आयात

4501. **श्री राम प्रकाश** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-सूडान व्यापार करार को दृष्टिगत रखते हुए क्या सूडान से रुई का आयात फिर से शुरू किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो सूडान से कितनी रुई का आयात किया जायेगा ; और

(ग) 1971 और 1972 में देशवार कुल कितनी रुई का आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूडानी रुई के पोत-लदान का काम अगस्त, 1972 के अन्त में शुरू किया गया था ।

(ख) चालू भारत-सूडान व्यापार करार के अन्तर्गत 31-12-1972 तक प्रति गांठ 180 कि० ग्रा० वजन वाली 2.40 लाख गांठों का आयात होना है ।

(ग) वर्ष 1970-71 तथा वर्ष 1971-72 के दौरान किये गये आयातों का देशवार ब्यौरा निम्नांकित प्रकार है :

	1970-71	1971-72 (अनन्तिम)
अमरीकी (जिसमें पीरू की भी शामिल है)	3,35,258	35,673
मिस्री	2,06,995	1,75,000
सूडान	1,85,636	2,65,000
ग्लौबल	10,392	1,55,000
अफ्रीकी	96,805	—
योग :	8,35,086	6,30,673

Loans to Farmers from Bank of Bikaner and Jaipur in Rajasthan

4502. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number and location of the Branches of the State Bank of Bikaner and Jaipur in Rajasthan which advance loans for the development of new and old wells for irrigation purposes and agricultural purposes ;

(b) the number of farmers to whom loans were advanced by the Bank during the last two years along with the amount of the loan ; and

(c) the number of applications for loan which are still to be considered and the amount involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

जगदलपुर में 'टसर' बुनाई केन्द्र

4503. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के जगदलपुर में 'टसर' बुनाई केन्द्र की स्थापना में कितनी धनराशि व्यय हुई है ;

(ख) इस केन्द्र से किये गये निर्यात के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ; और

(ग) इस उपक्रम का और विस्तार करने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 10.39 लाख रुपये ।

(ख) 25.82 लाख रुपये ।

(ग) इस समय और विस्तार करने का कोई कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है । यह केन्द्र राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा नहीं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किए गए वायदे

4504. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दिये गये वायदों के उपयोग की प्रतिशतता 1970-71 की 71.4 प्रतिशत से घटकर 1971-72 में 70.8 प्रतिशत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कृषि पुनर्वित्त निगम के संसाधनों का देश में कृषि के विकास के लिए अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ;

(ग) क्या निगम के अध्यक्ष ने राज्य सरकारों से विशिष्ट विकास कार्यों, भूमि संरक्षण, नलकूप लगाने, वन विकास तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज हो जाएगी। क्योंकि इन योजनाओं के जल्दी क्रियान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों और वित्तपोषक बैंकों के साथ विचार विमर्श करके प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं और प्रक्रियाएं तैयार कर ली गयी हैं। ऐसा कर लिए जाने से चौथी आयोजना की शेष अवधि में कृषिक पुनर्वित्त निगम के साधनों के उपयोग में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।

(ग) और (घ) कृषिक पुनर्वित्त निगम के अध्यक्ष ने नवीं वार्षिक साधारण बैठक में अपने भाषण के दौरान सांविधिक नियमों अथवा सरकारी स्वामित्व की कम्पनियों की स्थापना का सुझाव दिया है। उक्त निगम अथवा कम्पनियों का कर्तव्य विकास सम्बन्धी मुख्य क्रियाकलाप (अर्थात् भू-संरक्षण, वन पालन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, दुग्ध शाला) चलाना होगा जहां पर कृषिक पुनर्वित्तनिगम उन वाणिज्यिक बैंकों के लिए जो इन क्रियाकलापों को चलाने के लिये उस प्रकार के निगम निकायों का वित्त पोषण करें, पुनर्वित्त व्यवस्था करने के लिये तत्पर रहेगा। कुछ एक राज्य सरकारों जैसे पंजाब और हरियाणा ने लघु सिंचाई नलकूप निगम और मैसूर सरकार ने राज्य वन निगम पहले ही स्थापित कर लिये हैं। पता चला है कि कुछ एक अन्य राज्य सरकारें इन नियमों और कम्पनियों की स्थापना के सम्बन्ध में विचार कर रही हैं।

Evasion of Income-Tax by Advocates

4505. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Advocate do not maintain accounts in regard to the fees charged by them from their clients with a view to evade Income-tax ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to check the evasion of Incom-tax by Advocates ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. The Government are aware of this position.

(b) Instructions have recently been issued to the field officers on the methods of checking tax evasion in such cases.

Quantity and value of Petrol consumed in the Aircraft of Air India and Indian Airlines

4506. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the quantity and value of petrol consumed in the aircraft of Air India and Indian Airlines daily ;

(b) whether these aircraft earn an amount equal to the value of petrol consumed by them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b)

	Quantity of fuel consumed on an average per day.	Price
Air-India	1,172,130 litres	Rs. 3.76 lakhs
Indian Airlines	5,84,998 litres	Rs. 3.92 lakhs

Fuel uplifted in India for international operations is exempt from payment of excise duty.

Air-India's average daily traffic revenue is approximately Rs. 25.45 lakhs. The average revenue per day of Indian Airlines is approximately Rs. 15.20 lakhs.

(c) Does not arise.

भारतीय और विदेशी पर्यटकों को कलकत्ता आने के लिये आकर्षित करने हेतु फिल्म और टेलीविजन का उपयोग करने का प्रस्ताव

4507. **श्री समर गुह** : : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूजा के दिनों में भारतीय और विदेशी पर्यटकों को कलकत्ता आने के लिये आकर्षित करने हेतु भारत तथा विदेशों में कलकत्ता के दुर्गा पूजा महोत्सव के दृश्यों को प्रचारित करने के लिये फिल्म और टेलीविजन का उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : पर्यटन विभाग ने "दि अदर केलकटा" नामक डाकुमेन्टरी फिल्म के प्रिंट पहले ही अपने विदेश स्थित कार्यालयों को बांट दिये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्मित इस फिल्म में कलकत्ता के दुर्गा पूजा उत्सव के दिनों को चित्रित किया गया है।

सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कपड़ा मिलों की आस्तियां और देनदारियां

4508. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये कपड़ा मिलों की आस्तियां और देनदारियां क्या हैं ; और

(ख) क्या इन मिलों की देनदारियां पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं। सरकार ने वस्त्र उपक्रमों का केवल प्रबन्ध ही ग्रहण किया है। अतः उनकी देनदारियां पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी मालिक कम्पनियों पर ही है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

4509. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मकानों के ऊंचे किराये को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ते में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) तृतीय वेतन आयोग इस समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों आदि की समीक्षा कर रहा है, और सम्भवतः वह इस प्रश्न पर भी विचार करे । आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

Number of Shops for sale of Controlled cloth in the Country

4510. **Shri Giri Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of shops opened for sale of controlled cloth throughout the country and the quantity of cloth supplied to these shops during the current year ;

(b) the number of shops opened in urban and rural areas, separately ;

(c) whether mobile shops have also been opened ; and

(d) if so, their number ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) As per the information available, the total number of fair price shops approved by State Governments, the cooperative shops and super bazaars is 9685. From October, 8th December, 1972, a total quantity of about 27765 bales of controlled cloth have been allotted to these shops and the mills' own retail shops.

(b) Information about the number of shops opened in urban and rural areas separately, is not available.

(c) Yes, Sir.

(d) Three.

Appointments on the Top Posts in Public Sector Undertakings

4511. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of public undertakings in which technical experts have been appointed as Managers at top level ; and

(b) the number of Managers at top level in the public undertakings who were social or political workers before their appointment to the undertakings ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Presumably the Honourable Member is referring to Top Posts in public enterprises which are those of full-time Chairmen, Managing Directors, Members of Board of Directors and General Managers of constituent units. According to information available technical persons were holding such top posts in 79 public enterprises. Two persons, who were social or political workers, are also holding such top posts.

Sick Mills under Government control

4512. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of sick mills which are under Government's control at present ; and

(b) the amount of capital invested for reopening these mills separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) At present, there are 130 textile undertakings, the managements of which have been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1972.

(b) The funds required by such undertakings for working capital, modernisation, etc., are provided by the Central Government and the the State Government concerned in the shape of refundable loans in the proportion of 51:49. The assistance from the Central Government is canalised through the National Textile Corporation. As on the 11th December, 1972, the National Textile Corporation has advanced loans to 62 textile undertakings amounting to Rs. 1423.01 lakhs. Mill-wise details of the loans are given in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-4043/72]**

भारत से बाहर चोरी-छिपे ले जाये जाने वाली फिल्मों का पकड़ा जाना

4513. **श्री के० कोदण्ड रामी रेड्डी :**
श्री वी० मायावन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर, 1972 को बम्बई में चोरी-छिपे बाहर ले जाने के लिए तैयार बहुत से भारतीय रूपक चित्र पकड़े गये हैं ;

(ख) उन फिल्मों की संख्या, नाम और मूल्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) इस प्रकार के कदाचार से प्रति वर्ष सरकार को कितनी हानि होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) 14 नवम्बर, 1972 को बम्बई के पास बसई के परे समुद्र में पोशा पीर चट्टान पर कुल मिलाकर लगभग 3,48,000 रुपये मूल्य की फिल्मों की 174 रीलें पकड़ी गई थीं। इन फिल्मों के नाम ये है : पड़ोसन, राम और श्याम, आरजू, एक फूल दो माली, जवाब, शहनाई, सुहागरात, तलाश, संगम और फर्ज।

(ग) इस संबंध में अभी तक कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है।

(घ) इस प्रकार के तस्कर-व्यापार के कारण, सरकार को हुई विदेशी मुद्रा की हानि का विश्वसनीय अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का रखरखाव

4514. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि पर्याप्त कर्मचारी होने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का रखरखाव अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार उद्यम कार्यालय द्वारा कुछ चुने हुए उपक्रमों के एक सर्वेक्षण से पता लगा कि अनुरक्षण का अपर्याप्त स्तर निम्न लिखित कारणों से है :-

(1) अपर्याप्त संगठन ;
(2) रखरखाव की अनुचित प्रणाली ;
(3) दूषित रखरखाव आयोजन, और नियन्त्रण और सूचना तकनीकें ;
(4) कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण ;
(5) रखरखाव सम्बन्धी फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता ; और
(6) रखरखाव लक्ष्यों तथा निष्पादन समीक्षा तकनीकी की कमी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का हुआ घाटा

4515. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों को कुल कितना घाटा हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : सारे उपक्रमों से 1971-72 के लेखा-परीक्षित लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं अतः उस वर्ष के आंकड़े अभी नहीं बताये जा सकते। केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक और वाणिज्यक उपक्रमों में 1970-71 और 1969-70 के दौरान होने वाली कुल हानि इस प्रकार थी :—

कुल हानि*	**(करोड़ रुपयों में)**
1970-71	3.37
1969-70	4.88

*इसमें जीवन बीमा निगम और निर्माणाधीन उद्यम शामिल नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के लिये आयु सीमा

4516. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष करने जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अतारांकित प्रश्न संख्या 4516 इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु 30 वर्ष नियत करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चीजों और उर्वरकों की खरीद के लिये गन्ना उत्पादकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

4517. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों, बीजों आदि की खरीद के लिये गन्ना उत्पादकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि के लिये ऋण की व्यवस्था करते हैं और गन्ना उत्पादकों को भी उर्वरकों, बीजों और कृषि से काम में आने वाली अन्य वस्तुओं की खरीद के लिये वित्तीय सहायता देते हैं। केवल गन्ना उत्पादकों के लिये अलग से कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चाय उद्योग के लिए पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनिया सल्फेट का आयात

4518. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग में उर्वरकों के रूप में उपयोग किये जाने वाले पोटेशियम क्लोराइड तथा अमोनिया सल्फेट का आयात किया जाता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ये रसायन किन देशों से आयात किये जा रहे हैं और गत तीन वित्तीय वर्षों में इन रसायनों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पोटेशियम क्लोराइड का पूरी तरह से आयात किया जाता है जबकि अमोनियम सल्फेट का आयात भी किया जाता है तथा उसका देश में उत्पादन भी किया जाता है। उपर्युक्त उर्वरकों का प्रयोग अन्य उद्योगों के साथ-साथ चाय उद्योग द्वारा भी किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जिन देशों से पोटाशियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट का आयात किया गया, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है :–

विवरण

देश का नाम	पोटेशियम क्लोराइड		अमोनियम सल्फेट	
	टनेज मे० टन	मूल्य (रुपये)	टनेज मे० टन	मूल्य (रुपये)
1969-70				
1. संयुक्त राष्ट्र अमरीका	—	—	5,58,672	19,06,19437
2. कनाडा	27,282	70,18,418	1.06,695	2,90,38,800
3. रा० व्या० निगम,* लेखा	1,25,061	4,53,82,495	—	—
4. सोवियत संघ	—	—	1,03,140	3,51,79,406
5. हालैंड	—	—	21,556	8,00,2,129

*ये आयात सोवियत संघ तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से किए गए। प्रत्येक स्रोत से किए गए आयात की सही-सही मात्रा तथा उनके मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

देश का नाम	पोटेशियम क्लोराइड टनेज मे० टन	मूल्य (रुपये)	अमोनियम सल्फेट टनेज मे० टन	मूल्य (रुपये)
1970-71				
1. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	10,000	41,05,491	—	—
2. कनाडा	1,00,024	3,76,97,178	—	—
3. फ्रांस	19,760	87,66,716	—	—
4. सोवियत संघ	5,135	14,38,563	83,322	2,75,06,734
1971-72				
1. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	28,452	1,12,99,970	—	—
2. कनाडा	2,77,443	8,79,29,117	—	—
3. सोवियत संघ	24,327	40,48,933	4,682	10,52,450
4. पश्चिम जर्मनी	31,500	71,17,068	39,250	77,24,896
5. जापान	—	—	1,41,935	2,24,14,757

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

4520. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी हां ।

हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा लाभांश का भुगतान

4521. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स गत तीन वर्षों से लाभांश का भुगतान नहीं कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देय लाभांश की राशि क्या है और लाभांश शेयरधारियों को कब तक बांटा दिये जाने की आशा है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व इस सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

सरकारी उपक्रमों के विस्तार के लिए सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड की सिफारिशें

4523. **श्री के० कोदण्ड रामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड ने पहली बैठक में चार सरकारी उपक्रमों के विस्तार हेतु चार प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वर्ष में कम से कम बोर्ड की कितनी बैठकें अपेक्षित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी निवेश बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में सरकारी क्षेत्र की चार परियोजनाओं में निवेश की स्वीकृति दी थी ।

(ख) चार प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) 76 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से नांगल उर्वरक परियोजना का विस्तार किया जाएगा और उसमें काफी अधिक परिवर्तन किया जायगा जिसमें 39 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होगा ।

(ii) 33.6 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश से प्रतिवर्ष 80,000 मैट्रिक टन निम्नघनत्व के पालीथाइलीन का निर्माण किया जाएगा । इसमें 13.6 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होगा ।

(iii) 57.4 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश से बोकारो इस्पात परियोजना की क्षमता 40 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 47.5 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिये उसका विस्तार किया जायगा । इसमें 5.8 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च किया जायगा ।

(iv) 3.2 करोड़ रुपये के निवेश से चांद-मारी में ताँबा की एक खान खोली जाएगी ।

(ग) निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये बोर्ड, जब जब आवश्यकता होगी, बैठकें बुलाएगा ।

भारतीय इत्रादि का निर्यात

4524. **श्री के० कोदण्ड रामी रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 और 1971-72 वर्षों में कितनी मात्रा और मूल्य के भारतीय इत्रादि का निर्यात हुआ और इस संबंध में विश्व के बाजार में भारत की क्या स्थिति है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान भारतीय इत्रों के निर्यातों का कुल मूल्य क्रमशः 15 लाख रुपये तथा 21 लाख रुपये है । इनकी मात्रा व्यापारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं की जाती । विश्व बाजार में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ।

Scheduled Caste candidates sent by Employment Exchanges to State Bank of India against vacant posts

4525. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of candidates belonging to Scheduled Castes sent by the Employment Exchanges in Delhi against the vacant posts notified by the Delhi Branches of the State Bank of India during the year 1971-72 ; and

(b) the percentage of the selected candidates against the quota reserved for them ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Against the posts notified by the Delhi Branches of the State Bank of India during 1971-72, the Employment Exchanges in Delhi sent 77 and 66 Scheduled Caste candidates for the clerical and subordinate staff respectively.

(b) The percentages of the selected candidates against the quota reserved for Scheduled Caste candidates are 15.1% in respect of clerical staff and 54.5% in respect of the subordinate staff.

Scheme to set up a Tourist Centre in District Monghyr (Bihar)

4526. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have formulated a scheme to set up a Tourist Centre in District Monghyr (Bihar) as reported in "The Hindustan" dated the 13th November, 1972 ; and

(b) if so, the time by which the scheme would be completed and the expenditure that will be incurred thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत में आयातित शराब की खपत

4527. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में अनुमानतः कितनी शराब आयात की गई है ; और

(ख) आयात की गई शराब का मूल्य क्या है और आयातित शराब की मात्रा को कम करने के लिए सरकारका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : 1971-72 के दौरान 1,78,000 लिटर शराब का आयात किया गया है जिसका मूल्य 24.06 लाख रुपये है। यह अनुमान है कि 1972-73 के दौरान भी शराब के आयात इतने ही रहेंगे ।

वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए विदेशी शराब के आयात की नीति प्रतिबंधात्मक रही है। गत कुछ वर्षों के दौरान वास्तविक आयातों में उत्तरोत्तर कमी आई है ।

दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इंडिया की सांध्यकालीन शाखा का खोला जाना

4528. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इंडिया की सांध्यकालीन शाखा खोली गई है ;

(ख) यदि हां, तो सांध्यकालीन शाखाओं के कार्यकरण की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या निकट भविष्य में दिल्ली तथा देश के अन्य महानगरों में इस प्रकार की कुछ और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां, स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 16 नवम्बर 1972 को एक सांध्यकालीन शाखा माडल टाउन दिल्ली में खोली है।

(ख) सांध्यकालीन शाखाएं आमतौर से नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों और गृहिणियों की अधिकता वाली आवासीय बस्तियों में खोली जाती हैं, जिन्हें कार्यालय के सामान्य समय के बाद बैंक सम्बन्धी लेन देन में सुविधा होती है। इन शाखाओं में बैंक सम्बन्धी सभी प्रकार का काम होता है जो सामान्यतया बैंक के अन्य कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) किसी विशेष शाखा के कार्य के घंटे प्रत्येक बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थिति और लोगों की सुविधा को ध्यान में रख कर निश्चित किये जाते हैं। महानगर केन्द्रों में अब भी ऐसे ही कार्यालय हैं जिनके कार्य के समय परम्परागत कार्य के समय से भिन्न हैं।

भारत में विदेशी धर्मप्रचारकों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि

4529. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में कार्यरत विदेशी धर्मप्रचारकों को विदेशों से प्राप्त होने वाले धन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मिशनरियों को भेजी जाने वाली रकमों के गत तीन वर्षों के आंकड़ों से किसी विशेष वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती है।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत, देश में आने वाली रकमों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। इस समय देश में ऐसा कोई कानून अथवा तन्त्र भी नहीं जिसके अनुसार विदेशों से मिलने वाली सहायता के बारे में सूचना देना आवश्यक है। सामान्यतः ये रकमें धार्मिक संस्थानों अथवा संगठनों के अनुरक्षण के लिए होती हैं।

कर्मचारियों के वेतन से आयकर की कटौतियों की धनराशि को जमा न करवाने के बारे में कानपुर की कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

4530. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की कुछ कम्पनियों के विरुद्ध यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे कर्मचारियों के वेतनों से आयकर की कटौतियों की धनराशि आयकर अधिकारियों के पास जमा नहीं कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, आयकर आयुक्त, कानपुर ने निर्धारित अवधि के अन्दर सरकारी खाते में कर जमा न करने के कारण कुछ कम्पनियों के विरुद्ध स्वयं ही कार्यवाही शुरू कर दी है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के लिये स्वायत्तता के दर्जे की मांग

4531. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को स्वायत्तता का दर्जा देने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह सूचना मिली है कि अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संगठन ने, जो तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है, अगले द्विवार्षिक सम्मेलन में, जो 18 से 20 नवम्बर 1972 तक हुआ था, और बातों के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित किया :—

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ढांचे और गठन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सभी प्रयत्न किये जांए ताकि यह भारत का स्वायत्त मुद्रा प्राधिकरण बन जाए जो मुद्रा और ऋण के विशेषज्ञ नियंत्रण के माध्यम से पूर्ण नियोजन और मूल्य स्थिरीकरण की सुनिश्चित व्यवस्था करे" ।

(ख) प्रतीत होता है कि संकल्प देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दायित्व के अपर्याप्त ज्ञान पर आधारित है । भारतीय रिजर्व बैंक जिस मुद्रा नीति के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है उसका सरकार की सामाजिक न्याय सहित विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ने की व्यापक और सम्पूर्ण आर्थिक नीति से मेल बैठाना पड़ता है ।

एशिया' 72 में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या

4532. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया' 72 व्यापार मेले में विदेशियों तथा प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों सहित कुल कितने व्यक्ति नियुक्ति किये गये हैं ; और

(ख) क्या प्रस्तावित मोबाइल इन्डिया 72 (चलता फिरता व्यापार मेला) में उन भारतीयों को फिर से नौकरी पर लगा दिया जायगा जो मेले के समाप्त होने पर बेकार हो जायेंगे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तृतीय एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1972 के संगठन में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 1132 है। ये सब भारतीय हैं। इसके अलावा मेला संगठन द्वारा अन्य भाग लेने वालों की ओर से 223 गर्ल गाइडें नियुक्त की गई हैं। ये भी भारतीय हैं। भारतीय भाग लेने वालों में भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय/विभाग, राज्य सरकारें, भारत सरकार के उपक्रम आदि तथा बहुतों ने अपना स्टाफ बुलाया है और अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्त किया है। उनकी संख्या के बारे में जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) 'मोबाइल इण्डिया' '72' व्यापार मेला की जो बात कही गई है, उसे स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

एशिया' 72 के प्रचार के लिए मंजूर की गई राशि

4533. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के एशिया '72 व्यापार मेले में अनुमानित दर्शकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) एशिया '72 मेले के प्रचार हेतु कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी०जार्ज) : (क) 10 दिसम्बर, 1972 तक जो प्रवेश टिकटें बिकीं उनकी संख्या 25,92,291 है और 10 दिसम्बर, 1972 तक प्रवेश टिकटों की बिक्री में जो राशि प्राप्त हुई वह 23,59,184.50 रुपये है। प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए एक रुपया और बच्चों के लिये 50 पैसे है। प्रायोजक संगठनों द्वारा दिये गये आवश्यक प्रमाणपत्र दिखाये जाने पर बच्चों, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, हरिजनों आदि के समूहों को इनके आधे के बराबर समूह रियायत दी जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि एशिया '72 में 3 नवम्बर से 17 दिसम्बर 1972 तक की इसकी अवधि के दौरान आने वाले दर्शकों की संख्या लगभग 70 लाख होगी।

(ख) एशिया '72' के प्रचार के लिए मंजूर की गई राशि 15.00 लाख रुपये है। कितना वास्तविक व्यय होगा इसकी जानकारी मेला समाप्त होने पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया द्वारा बड़े व्यापार गृहों में पाये गये गड़बड़ी के मामले

4534. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार आयोग द्वारा अब तक 20 बड़े व्यापार गृहों में गड़बड़ी के कुल कितने मामलों का पता लगाया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग, कुछ उपक्रमों द्वारा, निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रथाओं में निरत, सूचित हुए कुछ मामलों की

जांच कर रहा है । इस प्रकार के विषयों, जहां 20 वृहद व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित उपक्रमग्रस्त हैं, के ब्यौरे देता हुआ एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

(क) रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा द्वारा मिसिल किये गये एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10 (क) (3) के अन्तर्गत, 1971 के आवेदन-पत्र सं० 1 में वर्णित उत्तरवादियों के नाम :—

1–इन्चेक टायर्स लि०
2–डनलप इन्डिया लि०
3–गुड-ईयर इन्डिया लि०
4–फायरस्टोन लि०
5–इन्डिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी
6–पीमियर टायर लि०
7–कीट टायर्स आफ इन्डिया लि०
8–मद्रास रबड़ फैक्टरी

(ख) रजिस्ट्रार निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा द्वारा मिसिल किये गये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10 (क)(3) के अन्तर्गत, 1972 के प्रार्थना-पत्र सं० 5 में वर्णित उत्तरवादियों के नाम :—

1–मैं० ग्रीज बैकर्ट साबू लि० नई दिल्ली

(ग) रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा द्वारा मिसिल किये गये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 10 (क) (3) के अन्तर्गत, 1972 के आवेदन-पत्र सं० 6 में वर्णित उत्तरवादियों के नाम :—

1–मैं० अलाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड कं०, दिल्ली

2–मैं० बंगाल पोटरीज, कलकत्ता

(घ) रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा द्वारा, मिसिल किये गये एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 10 (क) (3) के अन्तर्गत, 1972 के आवेदन-पत्र सं० 8 में वार्णित उत्तरवादियों के नाम :—

1–बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि०, ऊधना (सूरत)
2–सेन्चुरी रेयन, बम्बई
3–इन्डियन रेयन कारपोरेशन लि०, जूनागढ़ (गुजरात)
4–जे० के० रेयन, कानपुर
5–केशोराम रेयन, कलकत्ता
6–नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०, बम्बई
7–साउथ इन्डिया विस्कोज लि०, कोयम्बटूर
8–ट्रावणकोर रेयन लि०, रेयनपुरम (केरल)

बालासौर (उड़ीसा) जिले की स्टेट बैंक आफ इंडिया की भद्रक शाखा से लिये गये ओवरड्राफ्ट

4535. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरांत बालासौर जिले (उड़ीसा) की स्टेट बैंक आफ इंडिया की भद्रक शाखा से ओवरड्राफ्ट के रूप में 23 लाख रुपए निकाले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ओवरड्राफ्ट लेने वाले व्यक्ति इस समय फरार है ; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मन्त्रा (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 31 अक्तूबर, 1972 तक भद्रक शाखा द्वारा 145 खातों में दिये गये 17.59 लाख रुपये के ऋणों की राशि को स्टेट बैंक द्वारा अशोध्य या यथा-समय वसूल न की जा सकने वाली आंकी गयी है ।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक उपरोक्त खातों में से 26 खातों के सम्बन्ध में जिनमें 3.25 लाख रुपया बकाया है उन ऋण-कर्ताओं को, जो गुमशुदा बताए जाते हैं, खोजने का प्रयास कर रहा है ।

भारत और बंगला देश के बीच पटसन और कपड़े के व्यापार पर लगाए गए शुल्क को पारस्परिक आधार पर समाप्त करने या कम करने का प्रस्ताव

4536. **श्री के० बरके जार्ज :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के इस अनुरोध पर कि दोनों के बीच होने वाले पटसन और कपड़े के व्यापार पर लगाए गए प्रशुल्क को पारस्परिक आधार पर समाप्त या कम कर दिया जाए, सरकार ने कोई कार्रवाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाई की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) प्रशुल्कों के पारस्परिक आधार पर समाप्त करने व कमी करने के सम्बन्ध में बंगला देश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, व्यवस्था उत्पाद, सेमल की रुई, गाय की अर्ध-कमाई हुई खालों तथा कम वजन वाले कागज का, जो बंगला देश से आयात के लिए सीमित भुगतान प्रबन्ध के अन्तर्गत वस्तुओं की सूची में शामिल हैं, जब इस प्रकार आयात किया जाता है तब इन पर निम्नोक्त की छूट है ।—

(1) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत उन पर लगाये जा सकने वाला सम्पूर्ण सीमा शुल्क ;

(2) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अन्तर्गत लगाया जा सकने वाला संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क ।

विदेश व्यापार मन्त्रालय के व्यक्तियों की सेवा का समाप्त किया जाना

4537. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उनके मन्त्रालय के कितने व्यक्तियों ने अपनी सेवायें त्याग दी हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मन्त्रालय द्वारा कितने व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक व्यक्ति की सेवा को किन आधारों पर समाप्त किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) बत्तीस ।

(ख) तथा (ग)

उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी सेवाओं को समाप्त किया गया	सेवाओं को समाप्त करने के कारण
एक	सतर्कता के आधार पर
एक	नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को संबद्ध व्यक्ति द्वारा नोटिस दिया गया ।
चार	अस्थायी कर्मचारी ; उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी ।
योग : छः	

भारतीय पूंजीनिवेश केन्द्र (इन्डियन इनवेस्टमेंट सेंटर) द्वारा कार्यालयों का अनुरक्षण

4538. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पूंजीनिवेश केन्द्र द्वारा कितने समुद्र पारीय कार्यालयों को अनुरक्षण रखा जाता है और इस पर कितना व्यय आता है ;

(ख) क्या गत 12 वर्षों के दौरान इन समुद्र पारीय कार्यालयों की कोई लेखा परीक्षा की गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय पूंजीनिवेश केन्द्र का यह दावा है कि उनसे लगभग 200 सहयोग करारों में सहायता दी है परन्तु जैसा कि 7 अक्तूबर के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित है क्या इस दावे को सत्य सिद्ध करने वाली फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय निवेश केन्द्र के विदेशों में न्यूयार्क, डसेलडार्फ और लंदन स्थित तीन कार्यालय हैं। पिछले तीन वर्षों में इन कार्यालयों पर हुए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1969-70	1970-71	1971-72
न्यूयार्क कार्यालय	8.62	9.17	9.08
डसेलडार्फ कार्यालय	4.74	4.98	4.31
लंदन कार्यालय	1.21	1.26	1.89

(ख) केन्द्र के नियमों और विनियमों के अनुसार, केन्द्र के, जिसमें विदेशों में स्थित उसके कार्यालय भी आ जाते हैं, लेखों की लेखा-परीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों की एक फर्म द्वारा की जाती है। लेखों की सांविधिक लेख-परीक्षा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा भी की जाती है।

(ग) और (घ) 1961 से सितम्बर, 1972 तक भारतीय निवेश केन्द्र ने 269 सहयोग प्रस्तावों के सम्बन्ध में सक्रिया सहायता दी थी, जिनका अनुमोदन सरकार ने कर दिया था। इनमें से 127 प्रस्ताव तकनीकी सहयोग के थे और शेष 142 विदेशी पूंजी भागीदारिता के थे। इन प्रस्तावों में कुल मिलाकर लगभग 292.2 करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश का अनुमान था। जिसमें सामान्य शेयरों में विदेशी भागीदारिता 36.7 करोड़ रुपये की थी। बहुत थोड़ी-सी पुरानी फाइलों को छोड़कर जिनकी पिछले वर्षों में छंटनी कर दी गयी है, इन सब मामलों से सम्बन्धित बाकी सभी फाइलें केन्द्र के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

पर्यटक यातायात के माध्यम से विदेशी मुद्रा की हानि

4539. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक यातायात के माध्यम से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि की जानकारी हाल ही में सरकार को मिली है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा की सम्भावित हानि (लीकेज) को रोकने की दृष्टि से पर्यटकों को (छूट प्राप्त वर्गों को छोड़ कर) अब 1-11-72 से अपने होटल बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है।

लघु उद्योगपतियों को ऋण देने के लिये नियमों तथा प्रक्रिया में संशोधन करना

4540. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगपतियों, छोटे दुकानदारों तथा व्यावसायिक उद्यमकर्ताओं को ऋण देने के लिये नियमों तथा विनियमों, शर्तों तथा प्रक्रिया में कोई संशोधन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये संशोधनों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग छोटे दुकानदार और छोटे व्यवसायी उद्यमकर्ताओं जैसे अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के सम्बन्ध में उदार ऋण नीति अपना ली है। बैंक अब उपलब्ध प्रतिभूति के स्वरूप अथवा मात्रा के बजाय प्रस्ताव की सक्षमता, ऋणकर्ता के चरित्र और निष्ठा एवं ऋण परिशोधन के सम्बन्ध में ऋणकर्ता की योग्यता पर अधिकाधिक जोर दे रहे हैं। ऐसे समूहों के मामले में जो एक जैसे क्रियाकलाओं में लगे हुए हैं सामुहिक गारंटी ली जाती है। लघु उद्योग स्थापित करने में रुचि रखने वाले तकनीकी उद्यमकर्ताओं के सम्बन्ध में पात्र मामलों में मार्जिन की शर्त भी पूरी तरह से हटा ली जाती है। ऋणों की मंजूरी में होने वाले विलम्ब को न्यूनतन करने के लिए शाखा स्तर पर अधिकारियों की उपयुक्त अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। सक्षम प्रस्ताव तैयार करने में छोटे ऋणकर्ताओं की सहायता करने के लिये, बैंक विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष योजनाएं भी बना रहे हैं। ऋण आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया जा रहा है और उन्हें स्थानीय भाषाओं में छपवाया जा रहा है ताकि छोटे ऋणकर्ताओं को वे प्रपत्रों भरने में कठिनाई न हो। बैंकों को ये हिदायतें भी दी गयी है कि वे जहां कहीं आवश्यक हो प्रपत्रों भरने में ऋणकर्ताओं की सहायता करें।

सरकारी बैंकों में जमा राशि पर जमा बीमा योजना लागू करना

4541. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सरकारी बैंकों में जमा राशि पर जमा बीमा योजना लागू की गयी है ; और

(ख) क्या यह योजना ग्रामीण सहकारी बैंकों में जमा राशि पर भी लागू होती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) एक जुलाई, 1971 से आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों और संघोय राज्य क्षेत्र-गोवा, दमन और दीव में सहकारी बैंकों में जमा राशि पर भी जमा बीमा योजना लागू की गयी है। इन राज्यों में कार्य कर रहे राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों में जमा की जाने वाली राशियां इस योजना के अन्तर्गत आती हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्वामित्व का स्वरूप

4542. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया और इसके उप-बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप क्या है ; और

(ख) स्वामित्व का यह स्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्वामित्व के स्वरूप से किस प्रकार भिन्न है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 की शर्तों के अनुसार अन्य व्यक्तियों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक भी स्टेट बैंक आफ इंडिया के शेयर ले सकता है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पूंजी में भारतीय रिजर्व बैंक के शेयर किसी भी

समय स्टेट बैंक आफ इण्डिया की जारी पूंजी के 55 प्रतिशत से कम नहीं होगे । भारतीय रिजर्व बैंक, निगम, बीमाकर्ता, स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी संस्था और सरकारी या निजी, धार्मिक या धर्मार्थ न्यास के न्यासी को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक आफ इण्डिया में 200 से अधिक शेयर नहीं रखेगा । स्टेट बैंक आफ इंडिया के शेयरों में स्वामित्व की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

भारतीय रिजर्व बैंक	92.13 प्रतिशत
अन्य	7.87 प्रतिशत

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंकों के सम्बन्ध में, स्टेट बैंक इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की शर्तों के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा रखे गये सातों सहायक बैंकों में से प्रत्येक बैंक के शेयर किसी भी समय, उस सहायक बैंक की जारी पूंजी के 55 प्रतिशत से कम नहीं होंगे । शेयर रखने के सम्बन्ध में अन्य उपबन्धों वैसे ही हैं जैसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम के हैं । सातों सहायक बैंकों में से प्रत्येक बैंक में स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्यों की शेयरों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

सहायक बैंक का नाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा रखे गये शेयरों का प्रतिशत	अन्यों द्वारा रखे गये शेयरों का प्रतिशत
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	93.16	6.84
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	100.00	–
स्टेट बैंक आफ इंदौर	81.03	18.97
स्टेट बैंक आफ मैसूर	58.66	41.34
स्टेट बैंक आफ पटियाला	100.00	–
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	100.00	–
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	75.58	24.42

(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया और सहायक बैंकों के स्वामित्व का ढांचा राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्वामित्व के ढांचे में यह अन्तर है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्वामित्व पूर्णतः भारत सरकार के हाथों में है ।

Number of Persons who Visited Asia 72' and daily Earnings from the Sale of Tickets

4543. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of persons, Indian and Foreigners who have visited Asia '72 Fair so far and the daily earnings of Government from the sale of tickets ; and

(b) whether Government propose to extend the last date of the Fair and if so, up to which date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Two statements—one showing the number of visitors who have visited the Asia '72 from 3.11.1972 to 10.12.1972 ; and another statement showing daily earnings on account of sale of Entry Tickets, Mini-bus Tickets and Theme Pavilion tickets from 3rd November to 10th December, 1972 are attached **[Placed in Library. See No. LT-4044/72]**.

(b) The Third Asian International Trade Fair will formally close on the 17th December, 1972 as scheduled and a part of it will reopen three days later as 'Festival of India' till 31st January, 1973.

Pay of Employees of Air India and Indian Airlines

4544. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the minimum and maximum pay of employees of the Air India and Indian Airlines and the names of the posts for which the same are allowed ; and

(b) whether the pay scales of the employees and pilots of Indian Airlines are higher than the pay scales allowed in any other Public Sector undertaking in India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The minimum pay scale is Rs. 100-5-150-10-190 in both Air-India and Indian Airlines and is applicable to Peons, Loaders, Canteen Vendors, Watchmen, Handymen etc. The maximum scale is Rs. 3000-125-3500 and is applicable to the Managing Director. A comparison of the pay scales in the Air Corporations with those in other public sector undertakings is not practicable. In the case of some categories there are certain allowances which increase their total emoluments substantially.

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा भारत को ऋण संबंधी राहत

4545. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों द्वारा हमारे देश की चालू वर्ष में ऋण की अदायगी में कितनी राहत दी गई है ;

(ख) क्या ऋण की अदायगी के सन्बन्ध में और समय मांगा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा ऋण सम्बन्धी कोई राहत नहीं दी गयी है किन्तु भारत सहायता संघ के सदस्य देशों ने ऋण राहत देना मान लिया है । भविष्य के लिए ऋण राहत के प्रश्न पर अगले वर्ष भारत सहायता संघ द्वारा विचार किए जाने की सम्भावना है ।

पटसन और चाय के निर्यात के लिए अन्य देशों के साथ संयुक्त प्रबंध

4546. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और चाय के निर्यात के सम्बन्ध में अन्य मुख्य निर्यातक देशों के साथ संयुक्त प्रबन्ध किए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रबन्ध की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जहां तक चाय निर्यातों का सम्बन्ध है अन्य निर्यातकर्ता देशों के साथ कोई संयुक्त प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है।

पटसन निर्यातों के सम्बन्ध में, विश्व अर्थव्यवस्था में पटसन तथा पटसन निर्मित माल के हित को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक सामान्य नीति बनाने के उद्देश्य से एक संयुक्त भारत-बंगला देश अध्ययन दल स्थापित किया गया है। दल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है।

Enquiry into the Victimisation of Employees of State Bank of Bikaner and Jaipur

4547. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propse to conduct an enquiry into cases of victimisation of those employees who had helped the Investigation Authorities at the time of the probe into certain irregularities in the State Bank of Bikaner and Jaipur during the last two years ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to check victimisation ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) In the absence of specific particulars, it is presumed that the question relates to the statutory inspection conducted by the State Bank of India and the investigations made by the Reserve Bank of India during the last two years in respect of the Chandni Chowk, New Delhi and New Rohtak Road branches of the State Bank of Bikaner and Jaipur. The State Bank of Bikaner and Jaipur have reported that the inspection by the State Bank of India and the investigations by the Reserve Bank of India were independent and none of the employees was deputed by the bank to assist during the inspection and investigation of these branches. It has also been reported that the reports of these officers do not mention that any of the employees of the bank assisted them during the investigations. In the circumstances, the question of Government conducting an enquiry into cases of victimisation and taking steps to check victimisation does not arise.

Hoardings regarding Asia 72' put up in Delhi

4548. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether more than 50 hoardings regarding Asia 72' Fair have been put up in the capital but no such boarding has been put up in Hindi any where ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) Delhi being a metropolitan/consmopolitan city drawing visitors from various parts of the country and outside India, it was considered necessary and advisable to have hoardings in English. However, special other measures were taken to publicise the Fair in Hindi.

(c) DTC bus queue shelter panels taken in the city are in Hindi. Number of mofussil buses plying between Delhi and neighbouring states are installed with boards in Hindi. The Fair Administration is also bringing out a daily News bulletin in Hindi besides advertising in Hindi papers.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त स्थानों को भरना

4549. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में काम कर रहे कार्यालय अधीक्षकों, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों में से ही प्रशासनिक अधिकारियों के लगभग 136 पदों को भरे जाने को तब तक अनिश्चित काल तक लम्बित रखा जायेगा जब तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के उन सभी पदों पर पदोन्नति पर लगी रोक को हटाया न जाये अथवा उसमें छूट दी जाये जो किसी के मुकदमें से उत्पन्न प्रश्नों की जांच के लिये विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें कब भरा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) वर्तमान समय में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के केवल 19 पद खाली हैं । ये पद सम्बन्धित कर्मचारियों की वरिष्ठता नियत करने और उसमें संशोधन करने के बारे में, किसी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न मुद्दों की जांच हो जाने तक, श्रेणी II और श्रेणी III के पदों की पदोन्नतियों पर लगे अस्थायी प्रतिबन्ध के कारण खाली हैं । यह प्रतिबन्ध उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से लगाया गया था जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, वरिष्ठता क्रम में संशोधन हो जाने पर, वरिष्ठता सूचियों में उच्चतर स्थान प्राप्त करेंगे । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी मांगों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए वरिष्ठता आदि में संशोधन करने के बारे में शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की सम्भावना है और उसके बाद पदोन्नतियों पर लगा अस्थायी प्रतिबन्ध में भी समाप्त कर दिया जायगा । इस बीच, उन मामलों में प्रतिबन्ध ढील देकर पदोन्नतियों की अनुमति दी जा रही है जिनमें सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी ग्रेड विशेष में सम्बन्धित कर्मचारियों की वर्तमान वरिष्ठता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अथवा जिन मामलों में अपवाद बरतने के लिये अन्य प्रबल कारण विद्यमान हों ।

घटिया धागे के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया जाना

4551. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने ऊनी चिथड़ों के नाम से आयात की गई कुछ वस्तुओं को ऐसे व्यक्तियों को दिया है जिनके पास परमिट तथा घटिया धागे के उत्पादन के लिये निर्बाध आयात लाइसेन्स हैं ;

(ख) क्या सरकार ने साथ ही उन वस्तुओं को घटिया धागे का उत्पादन कर रहे ऐसे उत्पादन शुल्क दाता कारखानों को नहीं दिया है जो एल०-4 लाइसेन्स के अन्तर्गत सरकार को उत्पादन शुल्क दे रहे हैं ; यदि हां, तो भेदभाव-पूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) संभवतः उन आयातकों के बीच अन्तर का प्रश्न है जिनके पास वास्तविक उपभोक्ता लाइसेन्स तथा प्रतिपूर्ति लाइसेन्स हैं। उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क के केन्द्रीय बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1972 में चीथड़ों की खेपों पर छापा मारने के बाद चीथड़ों वाली उन 25 खेपों को, जिन्हें विदेशों में विकृत कर दिया गया था, इस बात का विचार किये बिना ही पत्तनों पर रिलीज कर दिया गया था कि उनके आयातक कौन थे। उन 25 खेपों में से 22 खेपें उन आयातकों को रिलीज की गई जिनके पास वास्तविक उपभोक्ता लाइसेन्स थे और 3 खेपें उन आयातकों को दी गई जिनके पास प्रतिपूर्ति लाइसेन्स थे।

भारत और ब्रिटेन के बीच दो तरफा व्यापार

4552. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत और ब्रिटेन के बीच आयात और निर्यात के वर्षवार आंकडे क्या हैं ; और

(ख) क्या इन दो देशों के बीच व्यापार में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत और ब्रिटेन के बीच गत तीन वर्षों के दौरान हुए आयात तथा निर्यात के अलग अलग आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

		मूल्य लाख रु० में
वर्ष	**आयात**	**निर्यात**
1969-70	10259	16507
1970-71	12676	17044
1971-72	21686	16870

(ख) 1971-72 के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कुल व्यापार में वृद्धि हुई है।

आयकर अधिकारियों के छापे

4553. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों ने पिछले छह महीनों में मद्रास नगर में कितने छापे मारे और इन छापों से प्राप्त हुए सूत्रों के अनुसरण में देश के अन्य भागों में कितने छापे मारे गए ; और

(ख) यह छापे किन व्यक्तियों और फर्मों के स्थानों पर मारे गए और इनमें कितनी धनराशि पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मद्रास शहर में पिछले छः महीनों में मारे गये छापों, मद्रास में मारे गये छापों से प्राप्त सूत्रों के अनुसरण में देश के दूसरे भागों में मारे गये छापों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों अथवा फर्मों के नामों के बारे में सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4045/72]**

प्रत्येक मामले में पकड़ी गई रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

यूगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात

4554. **श्री वयालार रवि :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों के निर्यात के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1972 के 'अकोनामिक एण्ड पोलीटिकल वीकली (बम्बई)' के पृष्ठ 2211 पर वैगन व्यापार के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने कुल 37.44 करोड़ रु० मूल्य के 3,600 वैगनों (2,300 खुले किस्म के और 1,300 बन्द किस्म के) की सप्लाई के लिए यूगोस्लाविया कम्यूनिटी आफ रेल्वेज के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं। संविदा में, अन्य बातों के साथ-साथ, समुद्री भाड़ा बचाने के विचार से आस्थगित भुगतान के आधार पर भुगतान करने तथा वैगनों को अर्ध खुले रूप में निर्यात करने तथा यूगोस्लाविया में उन्हें जोड़ने की व्यवस्था की गई है।

(ख) तथा (ग) पूंजीगत उपस्करों तथा संयंत्रों की सप्लाई के लिए अधिक मूल्य की संविदाओं में, निर्यातक देशों द्वारा अनुपालित पद्धति के अनुसार आमतौर पर आस्थगित भुगतान की शर्तें होती हैं। अधिक सम्भाव्यता वाले नये बाजार में अपने पैर जमाने के विचार से, काफी अधिक प्रतियोगी कीमतों पर संविदाएं निष्पन्न की जाती हैं। इससे उद्योग को नयी प्रौद्योगिकी का आवश्यक अनुभव भी प्राप्त हो जाता है।

केरल के क्विलोन हवाई अड्डे को सुधारने का प्रस्ताव

4555. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के क्विलोन स्थित हवाई अड्डे को सुधारने का कोई प्रस्ताव है ताकि वहां एवरो फोकर फ्रेंडशिप तथा अन्य विमान उतर सकें ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जनता से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, नहीं। क्विलोन की हवाई पट्टी का नियन्त्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) हाल में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

केरल की गैर-योजना परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

4556. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल की गैर-योजना परियोजनाओं के लिये दिये गये ऋण, अनुदान तथा अन्य प्रकार की सहायता की कुल राशि क्या है ; और

(ख) किन-किन शीर्षकों के अन्तर्गत यह ऋण तथा सहायता दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्र द्वारा केरल को 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान दी गयी आयोजना-भिन्न सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	1970-71	1971-72 **	1972-73
I अनुदान			
1. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान (स्थाई व्यवस्था)	9.93	9.93	9.93
2. रेल यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान	0.29	0.29	0 29
3. दैवी विपत्तियों पर किये गये व्यय के लिये दिये सहायता अनुदान	—	0.24	–*
4. अन्य आयोजना-किन अनुदान	1.38	3.01	16.08
जोड़ : –	11.06	13.47	26.30
II ऋण			
1. छोटी बचतों के संग्रह में राज्य सरकार के हिस्से के आधार पर ऋण	1.95	0.06	2.50
2. दैवी विपत्तियों पर किये गये व्यय के लिए ऋण सहायता	2.20	2.55	–*

(करोड़ रुपयों में)

	1970-71	1971-72 **	1972-73
3. साधनों में आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए विशेष सहायता	20.80	8.61	13.00
4. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	0.55	1.94	4.65
जोड़ II	25.50	13.16	20.15
कुल जोड़ :	37.10	26.63	46.45

** अनन्तिम

‡ अनन्तिम निर्धारण

* 1972-73 में दैवी विपत्तियों की सहायता पर व्यय करने के लिए 1.27 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है और इसके लिए अब तक 50 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जा चुके हैं। और रकम व्यय की प्रगति के आधार पर दी जायगी।

चौथी योजना में केरल में पर्यटन विकास हेतु कुल परिव्यय

4557. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में केरल राज्य में पर्यटन विकास हेतु कुल कितना परिव्यय निर्धारित है और विकास का विशिष्ट कार्यक्रम क्या है ;

(ख) क्या विकास का यह कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में 224.35 लाख रुपए की व्यवस्था है। इस राशि में से, 221.50 लाख रुपये कोकाकुलम का एक समुद्रतटीय बिहार स्थल के रूप में विकास करने के लिये हैं। इस प्रायोजना में ये सम्मिलित हैं : 100 कमरे के होटल, 40 पर्यटक कुटीरें, एक समुद्र तटीय सेवा केन्द्र, एक योग व मालिश केन्द्र, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजन सुविधाओं के लिए एक थियेटर। शेष 2.85 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था त्रिवेन्द्रम में एक युवा होस्टल के निर्माण के लिये है।

(ख) कुटीरें पूरी हो चुकी हैं तथा 17 दिसम्बर, 1972 को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। होटल निर्माण सम्बन्धी कार्य निश्चित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न हो रहा है। होटल के जून, 1973 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। समुद्र-तटीय सेवा केन्द्र का कार्य जो पूरे जोशों

पर चल रहा है। योग-व-मालिश केन्द्र के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा जल-क्रीड़ा सुविधाओं की व्यवस्था के लिये ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

युवा होस्टल के सम्बन्ध में, व्यय सम्बन्धी मंजूरी जारी की जा चुकी है तथा कार्य सौंपने के लिये राज्य सरकार द्वारा टैंडर मंगवाये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवी योजना में केरल में पर्यटन विकास

4558. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना में केरल में पर्यटन विकास के प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पाँचवी योजना में सम्मिलित की जाने वाली पर्यटन स्कीमें अभी तैयार की जा रही हैं।

केरल में 'एयर टैक्सी' सेवा लागू करने की अनुमति

4559. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में एयर 'टैक्सी' सेवा लागू करने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिसार फ्लाइंग क्लब के एक विमान का सोनीपत के निकट 18 नवम्बर, 1972 को दुर्घटना ग्रस्त होना

4560. **श्री नवल किशोर वर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार फ्लाइंग क्लब का एक विमान 14 नवम्बर, 1972 को दिल्ली के हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही सोनीपत के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था; यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा नाम क्या हैं ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये जांच समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति सरकार को कब तक अपना प्रतिवेदन देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। पुष्पक विमान वी० टी० डी० जैड० एल०, जोकि सफदरजंग विमान क्षेत्र से हिसार तक की दीर्घांतर उड़ान पर था, 14 नवम्बर, 1972 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में केवल मात्र यात्री श्री ए० के० पाटिल, जोकि हिसार फ्लाइंग क्लब का प्रशिक्षणार्थी विमानचालक भी था, मारा गया तथा विमानचालक श्री आर० एस० शहराबत को आग से क्षति पहुंची।

(ख) और (ग) : दुर्घटना के कारण की नागर विमानन विभाग द्वारा जांच की जा रही है, क्या इसकी रिपोर्ट लगभग एक महीने में प्राप्त हो जाने की आशा है।

एशिया विकास बैंक से ऋण

4561. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' दिनांक 21 नबम्बर, 1972 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एशियन विकास बैंक ने आसान शर्तों पर ऋण की राशि में वृद्धि करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो बैंक द्वारा भारत को कितना ऋण दिया जायगा ; और

(ग) भारत ने अब तक कितना ऋण लिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत द्वारा एशियाई बैंक से अभी तक कोई ऋण नहीं लिया गया है। भारत की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार ने ऐशियाई विकास बैंक से ऋण न मांगने का फैसला किया है।

एशियाई देशों को इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें

4562. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री एस० एस० शिवस्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स पांचवीं योजना के दौरान एशियाई देशों को "थर्ड लेवल" विमान सेवायें तथा क्षेत्रीय सेवायें आरम्भ करके अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और सुब्रह्मण्यम समिति द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या इस व्यवस्था से घाटा होने की आशंका भी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने इन सेवाओं के लिये राज सहायता का अनुरोध किया है ; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स के पांचवी योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि प्रबंधक वर्ग से अफगानिस्तान, नेपाल, वर्मा, बंगला देश और श्रीलंका के अतिरिक्त जिनके कि लिए इण्डियन एयरलाइंस पहले ही विमान सेवाएं चला रहे हैं, कुछ अन्य एशियाई देशों के लिये भी विमान सेवाएं प्रारम्भ करने में रुचि दिखाई है। इसकी यथा समय जांच की जायेगी।

(ग) प्रस्ताव की लाभप्रदता के विषय में कोई टिप्पणी अभी इतनी जल्दी दे सकना सम्भव नहीं।

(घ) जी, नहीं ।

फोर्ड फाउन्डेशन तथा राकफैलर फाउन्डेशन के कर्मचारियों की ओर आयकर की बकाया राशि

4563. **डा० रानेन सेन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन तथा राकफेलर फाउन्डेशन के गैर-भारतीय कर्मचारियों की ओर आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है ;

(ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों की ओर बकाया कर की राशि का भुगतान इकनामिक अफेयर्स विभाग ने दिया है जैसाकि 19 नवम्बर, 1972 के न्यू ऐज के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इन दो फाउन्डेशनों के प्रत्येक गैर-भारतीय कर्मचारी की ओर से उक्त विभाग द्वारा ऐसी कितनी राशि का भुगतान किया गया और इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) कर की कोई बकाया नहीं थी। फोर्ड फाउन्डेशन और राकफैलर फाउन्डेशन के गैर-भारतीय कर्मचारियों के वेतनों के सम्बन्ध में देय कर की अदायगी अर्थ-विभाग द्वारा की गयी है ।

(घ) अदा किये गये कर की रकम निम्न प्रकार है :

निम्नलिखित वर्ष को समाप्त होने वाली अवधि	फोर्ड फाउन्डेशन	राकफेलर फाउन्डेशन	अदा किया गया कुल कर (पूर्णांकों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1965-66	1,02,06,007	9,95.602	1,12,01,700
1966-67	2,41,46,841	32,14,426	2,73,61,300
1967-68	3,42,00,807	36,43,907	3,78,44,700
1968-69	3,72,39,810	36,44,349	4,08,84,159
1969-70	3,80,51,310	46,16,872	4,26,68,000
1970-71	11,16,35,904	1,34,12,096	12,50,48,000
1971-72	26,30,94,648	2,89,43,309	29,20,37,957

कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण के लिये विश्व बैंक से आर्थिक सहायता

4564. **डा० रानेन सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण को पांचवीं योजना के दौरान विश्व बैंक से पर्याप्त सहायता मिलने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त होगी ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में विश्व बैंक और राज्य सरकार से आगे बातचीत की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजनाओं की सहायता के लिए विश्व बैंक समूह से बातचीत हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण ने इस बातचीत में पूरी तरह से भाग लिया है। अभी इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि सहायता की सम्भाव्य राशि कितनी होगी ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में छठे वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन

4565. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से लिये गये ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में छठे वित्त आयोग को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में सीतलबाड समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) छठे वित्त आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, उन मामलों से सम्बन्धित आयोग को प्राप्त पत्र गोपनीय समझे जाते हैं, जिन पर उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा यदि कोई ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हों, तो उनकी विषय वस्तु के बारे में बताना सम्भव न होगा।

(ग) कई राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार की ओर से उन्हें दिये गये "अनुत्पादक ऋणों" को बट्टे खाते डालना और/अथवा केन्द्रीय सरकार के प्रति ऋण सम्बन्धी दायित्वों को चुकाने के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के बारे में समय-समय पर सुझाव देती रही हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को दिये गये ऋणों की वापसी-अदायगी का मामला अब छठे वित्त आयोग को सौंप दिया गया है।

पूर्वी अफ्रीकी देशों द्वारा भारत को कच्चा काजू भेजना

4576. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दौरान पूर्व अफ्रीकी देशों से कच्चा काजू भेजने के लिए, भारत काजू निगम द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) भारतीय काजू निगम द्वारा यह कार्य किन नौवहन कम्पनियों द्वारा करवाया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय काजू निगम द्वारा पोत-परिवहन पर विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय की गई राशि इस प्रकार है :

1970-71	पौंड स्टर्लिंग	394,365
1971-72	पौंड स्टर्लिंग	1,012,052
पोत-परिवहन कम्पनियों से वसूल किये गये अतिरिक्त माल प्रीमियम का हिसाब लगाकर 1971-72 के लिए निवल विदेशी मुद्रा व्यय	पौंड स्टर्लिंग	989,206

(ख) **1970-71**

(1) जनरल ट्रेडर लि० बरमुडा।
(2) हौलैंड-अफ्रीका लाइन एजेंसी।
(3) रेड एयर लाइन, हांगकांग।
(4) डी० एस० आर० लाइन्स, जी० डी० आर०।
(5) ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी।
(6) बैंक लाइन्स लि०, लंदन।

1971-72

जनरल ट्रेडर्स लि० बरमूडा।

भारत में चार्टरिंग के मुख्य नियंत्रक से विचार विमर्श करके सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक शर्तों के आधार पर ये निर्धारण तय किये गये थे और काजू आयात का मार्गीकरण होने से पहले प्रचलित दर से 18% कम हैं।

बोनस के भुगतान के बारे में नारियल जटा बोर्ड की बैठक

4567. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में नारियल जटा बोर्ड ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया है और बिल की मंजूरी के लिए मंत्रालय से लिखा-पढ़ी की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ऋण

4568. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री समर गुह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' दिनांक 21 नवम्बर, 1972में ''बैंक फिगर्स डू नाट बिअर आऊट चव्हानस् क्लेम" (बैंकों के आंकड़े चव्हाण के दावों के विरुद्ध) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) "स्टेट्समैन" में प्रकाशित यह समाचार सरकार को दिए गए कुल शुद्ध बैंक ऋण तथा रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए शुद्ध ऋण सम्बन्धी भ्रांति पर आधारित था । पूर्ववर्ती ऋण बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले ऋण तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेशित रकमें शामिल होती हैं और केवल रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए शुद्ध ऋण की राशि घाटे की वित्त व्यवस्था होती है । वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले निवेश में जो वृद्धि होती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता की संगृहीत वास्तविक बचतों के अनुसार होती है और इसलिए उससे मुद्रा का प्रसार नहीं होता । वित्त मंत्री ने, 13 नवम्बर 1972 को संसद में अपने वक्तव्य में वित्तीय वर्ष 1972-73 की प्रथम छमाही में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए गए शुद्ध ऋण में 86 करोड़ रुपये की जो वास्तविक वृद्धि बताई थी वह सही है । यह राशि सरकार को दिए गए कुल शुद्ध बैंक ऋण में वृद्धि की द्योतक नहीं है और इसे उत्तरवर्ती ऋण की राशि नहीं समझना चाहिए ।

बम्बई में सान्ताक्रुज में इलैक्ट्रानिक्स के लिये निर्यात संवर्धन जोन की स्थापना

4569. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सान्ताक्रुज में इलैक्ट्रानिक्स के लिये एक निर्यात संवर्धन जोन की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें व्यापारिक स्तर पर उत्पादन कब तक आरम्भ होने की आशा है ; और

(ग) क्या भारत पहली बार इलैक्ट्रानिक्स के निर्यात में प्रवेश कर रहा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार ने सान्ताक्रुज बम्बई में इलैक्ट्रानिक उपस्कर तथा संघटकों के लिए निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का निश्चय किया है । प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है और भविष्य में जोन की स्थापना कर दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं । भारत ने 1970-71 में लगभग 300 लाख रु० मूल्य के और 1971-72 में लगभग 286 लाख रु० मूल्य के इलैक्ट्रोनिक उपस्करों तथा संघटकों का निर्यात किया ।

एयर इण्डिया में यात्रियों की संख्या वृद्धि के साथ आय में आनुपातिक वृद्धि

4570. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया में गत दो वर्षों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो आय में अनुपातिक वृद्धि न होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 1970-71 में एयर इण्डिया द्वारा अपनी अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं पर ले जाये गये यात्रियों की संख्या में 17% वृद्धि हुई । 1971-72 में उसमें 3% की कमी हुई , विश्व की प्रवृत्तियों के साथ कदम मिला कर चलने के लिये लागू किये गये विभिन्न प्रोत्साही किरायों के कारण राजस्व में यथा अनुपात वृद्धि नहीं हुई है ।

मन्त्रालय तथा आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के अन्वेषकों के लिए संयुक्त सम्वर्ग

4571. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय तथा आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में कार्य करने वाले अन्वेषकों के संयुक्त सम्वर्ग को 1962 में अलग-अलग कर दिया गया था ;

(ख) क्या मन्त्रालय में कार्य करने वाले अन्वेषकों की उच्च तथा राजपत्रित वेतनमानों में पदोन्नति हो गई है जब कि आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में कार्य करने वाले अन्वेषकों की गत 13 वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और इस असंगति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मन्त्रालय तथा आयात निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में न तो 1962 से पहले और न बाद में ही अन्वेषकों का कोई संयुक्त संवर्ग था। 1962 में आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय में अन्वेषक के पद के लिए भर्ती नियमों को अधिसूचित किया गया।

(ख) विदेश व्यापार मन्त्रालय में अन्वेषक के पद से उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए गुंजाइश है, जबकि आयात-निर्यात के मुख्य-नियन्त्रक के कार्यालय में उसी तरह के उच्चतर पद नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

4572. **श्री राज देव सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक इस बात को मानता है कि भारत में आयोजित आर्थिक विकास के पिछले दशकों में बहुत प्रगति हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त रुपया दिया जायगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) हाल ही में प्रकाशित "भारत तथा विश्व बैंक समूह" नामक सूचना-पत्र में विश्व बैंक ने यह बताया है कि 1951 से, जब से योजनाबद्ध आर्थिक विकास का सूत्रपात हुआ था भारत की राष्ट्रीय आय दुगुनी हो गयी है और भारत ने एक बहुत बड़े और विविधतापूर्ण औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया है तथा कृषि क्षेत्र में तीव्र विकास की नींव रखी है।

(ख) विश्व बैंक ने विभिन्न आयोजनागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पहले भी वित्तीय सहायता दी है और अब भी दे रहा है। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय आयोजना के सम्बन्ध में कोई विशेष आश्वासन नही मांगा गया है।

सरकारी और गैर-सरकारी नियन्त्रण के अधीन कपड़ा मिलें

4573. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी नियन्त्रक के अधीन आने वाली कपड़ा मिलों की कुल संख्या कितनी है और क्रमश: उन मिलों की नियोजन क्षमता कितनी है तथा उनमें वास्तव में कितने लोग काम करते हैं तथा उनमें मोटे कपड़े का कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) सरकारी नियन्त्रणाधीन मिलों को तथा निजी नियन्त्रण वाली मिलों को सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दरभंगा का कलकत्ता, दिल्ली तथा काठमांडु से विमान सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रस्ताव

4574. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा का कलकत्ता, दिल्ली तथा काठमांडु से विमान सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) विमानों की तंगी की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

करों की वसूली के लिए शहरी सम्पत्ति आदि का सर्वेक्षण

4575. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग का प्रस्ताव कुछ चुनीदा शहरी सम्पत्ति तथा कुछ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण करने का है और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या इससे कर अपवंचन पर जोकि करदाताओं के कुछ वर्गों में बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रकाश पड़ने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) आयकर विभाग नव-निर्मित अथवा अर्जित अचल सम्पत्तियों, जिनमें मालिकों के फ्लैट भी शामिल हैं, के मालिकों और साथ ही डाक्टर, वकील, लेखाकार आदि की वृद्धि करने वाले व्यक्तियों का चुनीदा सर्वेक्षण कर रहा है । इस कार्य को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है । सर्वेक्षण के परिणामतः आशा है ऐसी सम्पत्तियों में लेखा-वाह्य निवेश, व्यवसायकों की वह आय जिसे विभाग को पहले प्रकट नहीं किया गया था और साथ ही साथ नये धन-कर- निर्धारित प्रकाश में आएंगे ।

मध्य प्रदेश में खजुराहो हवाई अड्डे का विकास

4576. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में खजुराहो हवाई अड्डे का विकास करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। धावन-पथ के सुधार के लिये तथा टर्मिनल एवं तकनीकी भवनों के निर्माण के लिये लगभग 48 लाख रुपये के व्यय की मंजूरी दी जा चुकी है। टर्मिनल भवन का निर्माण-कार्य 31 मार्च, 1973 तक पूरा हो जाने की आशा है, तथा अन्य कार्यों के लगभग दो वर्ष के समय में पूरा होने की आशा है।

विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिये स्वतन्त्र निकाय

4577. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच का कार्य एक स्वतन्त्र निकाय को सौंपा जाना चाहिये जो कि नागर विमानन महानिदेशालय के प्रशासनिक नियन्त्रण से बाहर हो ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्वतन्त्र निकाय का गठन तथा कृत्य क्या होंगे ?

पर्यटन और नागर बिमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

बम्बई में तस्करी की घड़ियों का जब्त किया जाना

4578. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग के अधिसूचना दस्ते देवनर, उत्तर बम्बई स्थित सहकारी आवास समिति के एक मकान से 3.5 लाख रुपये के मूल्य की तस्करी की घड़ियां जब्त की थीं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) तस्करी के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। बम्बई में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने, 13 अक्तूबर, 1972 को देवनार, बम्बई स्थित एक सहकारी आवास संस्था के परिसर से (भारतीय बाजार दर पर) लगभग 3.5 लाख रुपए मूल्य की 4750 कलाई घड़ियां पकड़ीं।

(ख) से (घ) अभिग्रहण के समय जो दो व्यक्ति उक्त परिसर में लाए गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा बाद में प्रत्येक को 1 लाख रुपए की जमानत पर मैजिस्ट्रेट द्वारा रिहा किया गया। आगे जांच पड़ताल जारी है।

C. C. A. and H. R. A. to Central Government Employees Working in Faridabad Complex

4579. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(b) whether Central Government employees working in "Faridabad Complex" are entitled to City Compensatory Allowance and House Rent Allowance in accordance with the existing orders of the Ministry of Finance on the subject applicable to the employees working in Delhi ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Faridabad has been classified as a 'C' class town for the purpose of drawal of house rent allowance. Consequent upon the setting up of Faridabad Complex Administration, the question whether entire Compiex as such can be treated as a single municipality, contiguous to the municipal boundaries cf Delhi Corporation, for the purpose of drawal of compensatory allowance at Delhi rates, is under examination.

Scheme to Provide more Incentives to Exports

4580. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a new scheme for providing more incentives to exports is under the consideration of Government ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the target fixed for exports during the financial year 1972-73 in terms of Indian currency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b) No new scheme for providing more incentives to exports is under consideration of Government. However, changes in the existing level of incentives in respect of various eligible export products are made by the Government as and when such changes are considered essential for the promotion of exports.

(c) the export target for the financial year 1972-73 has been fixed at Rs. 1760 crores.

सिंगापुर तथा हांगकांग में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का कार्यकरण

4581. **श्री राम भगत पसवान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर तथा हांगकांग में स्थित राष्ट्रीकृय बैंकों की शाखाओं के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये बनाए गए दल ने उन् देशों में इन शाखाओं का अलग अलग अस्तित्व बनाए रखने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल ने इसके क्या कारण बताए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्थानीय व्यावसायिक स्थितियों और ग्राहकों की अधिमान्यता और आवश्यकताओं के संदर्भ में और पक्ष और विपक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद समिति इस परिणाम पर पहुंची कि कुशल कार्यचालन और व्यावसायिक सम्भावनाओं की दृष्टि से इस समय इन शाखाओं का वर्तमान पृथक अस्तित्व बनाए रखना लाभकारा होगा ।

ताम्बरम् के कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता

4582. **श्री था किरुतिनन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मल्लावरम् छावनी और अत्णदूर नगरपालिकाओं के बीच तथा मद्रास शहर के समीपवर्ती नगर, ताम्बरम् में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मकान किराया भत्ता और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते की वर्तमान योजना के अनुसार ताम्बरम् नगर, 'ए' श्रेणी के नगरों को लागू दरों पर मकान किराया भत्ता और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता पाने का पात्र नहीं है, क्योंकि वह न तो मद्रास नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत आता है और न उन सीमाओं से संलग्न है । 1971 की जनगणना के अनुसार यह नगर अपनी जनसंख्या के आधार पर 'सी' श्रेणी के नगर के वर्गीकरण के योग्य है और जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कार्य के स्थान वहां पर स्थित है, उनको मकान किराया भत्ता मिलने के प्रयोजनार्थ इस नगर का वर्गीकरण एक अगस्त 1972 से इसी अनुसार किया गया है ।

यूरोप के पर्यटन यातायात में भारत के पर्यटन यातायात का हिस्सा

4584. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के बढ़ते हुए पर्यटन यातायात में से भारतीय पर्यटन यातायात उद्योग को बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता है ;

(ख) क्या पर्यटन विशेषज्ञों द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यूरोप से होने वाले पर्यटक यातायात के भारत के लिये अंश में यद्यपि कुल मिलाकर वृद्धि अवश्य हो रही है तथापि यूरोप से होने वाले कुल पर्यटक यातायात की तुलना में अभी वह नगण्य है ।

(ख) और (ग) सरकार को इस प्रवृत्ति की पूरी जानकारी है तथा यूरोप एवं अन्य देशों से और अधिक संख्या में पर्यटक आकृष्ट करने के लिये समय उपाय किये जा रहे हैं ।

"एशिया 72" में दिल्ली मंडप में माल के निर्यात सम्बन्धी आर्डरों के लिए बातचीत

4585. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया-72 मेले के दिल्ली मंडप में दिल्ली निर्मित लगभग 25 लाख रुपये के माल के निर्यात के सम्बन्ध में बातचीत पक्की की गई है ;

(ख) क्या इसमें से सबसे अधिक राशि का अकेला आर्डर ब्रिटेन को सिले सिलाए कपड़े निर्यात करने का है ; और

(ग) क्या पश्चिम एशिया के देशों को लगभग 5 लाख रुपये के मूल्य की मशीनरी के निर्यात के लिए भी बातचीत की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी नहीं ।

नेपचून बीमा कम्पनी के कस्टोडियन की नियुक्ति

4586. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपचून बीमा कम्पनी के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा 13 मई, 1972 को जारी किये गये आदेश तथा निदेशों को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय का सारांश क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जी, हां । सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यह कम्पनी उन कम्पनियों की श्रेणी में नहीं आती जो साधारण बीमा (आपात व्यवस्था) अधिनियम 1971 की धारा 15 (क) के अन्तर्गत आती है और इसलिए

यह कम्पनी उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहेगी, जिसमें बीमा कम्पनियों के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ मे लिये जाने की व्यवस्था है। अतः न्यायालय ने कम्पनी कस्टोडियन की नियुक्ति के, 13 मई 1971 को जारी किये गये, आदेश को वैध ठहराया है।

(ग) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अपेक्षित आगे की कार्यवाही इस कम्पनी के सम्बन्ध में भी यथासमय की जायगी।

कलकत्ता के बड़े होटलों द्वारा विदेशी पर्यटकों से होटल बिलों की अदायगी विदेशी मुद्रा में लेना

4587. **श्री एस० कतामुतु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के बड़े होटलों को विदेशी पर्यटकों से होटल बिलों की अदायगी विदेशी मुद्रा में लेने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के परिपत्र को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के अन्य भागों में अन्य बड़े होटलों और पर्यटक केन्द्रों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस मामले में विभाग को कलकत्ता या अन्य स्थानों के होटलों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कुछ होटलों ने नेमी स्पष्टीकरण मांगे हैं जिनका उत्तर दे दिया है। ऐसा विश्वास करने के कारण विद्यमान हैं कि नये उपायों से विदेशी मुद्रा की आय में पहले ही वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गयी हैं।

भारतीय रुई निगम के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा गुजरात से रुई की खरीद

4588. **श्री सोमचन्द सोलंकी :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही मे भारतीय रुई निगम से गुजरात से रुई खरीदने के लिये कहा था और भारतीय रुई निगम ने गुजरात के कृषकों से निर्धारित दर पर रुई खरीदने के लिए कुछ मनोनीत व्यक्ति नियुक्त किये थे ;

(ख) उन्हें रुई की खरीद किन शर्तों पर करनी थी और मनोनीत तथा उपमनोनीत व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें इन मनोनीत व्यक्तियों पर हेर फेर तथा कुप्रबन्ध के आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) रुई बर्ष 1971-72 के आरम्भ में रुई की कीमतों में भारी गिरावट के संदर्भ में, रुई उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें दिलाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अप्रैल, 1972 में भारतीय रुई निगम से कहा गया था कि वह पूर्व निर्धारित कीमतों पर, जिनमें क्वालिटी तथा पिक के अनुसार समायोजन किया जा सकता है, देश के सभी भागों में, जिनमें गुजरात भी शामिल है, कीमत समर्थन खरीदारियां करे। गुजरात में, निगम ने राज्य सहकारी विपणन समिति, प्राथमिक सहकारी समितियों, गुजरात एग्रो उद्योग निगम और जहां इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं थी वहां राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए गैर सरकारी माध्यमों से रुई की खरीदारियां कीं। सरकार गैर सहकारी समितियों/मंडलियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें गुजरात में रुई खरीदारियों में निगम के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा किए गए कदाचारों के अभिकथन है लेकिन इन उम्मीदवारों में कोई निश्चित अभिकथन नहीं किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के उधार खातों में वृद्धि

4589. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के उधार खातों में अब तक, वर्षवार, वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वांछित रूप में सूचना उपलब्ध नहीं है। वह सम्भव सीमा तक इकट्ठी की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप महंगाई में वृद्धि

4590. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों तथा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारी आर्थिक नीतियों, तकनीक में क्या दोष हैं, जिनके कारण मूल्यों में ऐसी वृद्धि होने से देश के विकास में बाधा पड़ रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यद्यपि लोगों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति के मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता तथापि महंगाई भत्ते की अदायगी तथा वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का आपस में कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। मूल्य-वृद्धि एक जटिल मामला है जिसके कई कारण हैं। आज की भारतीय अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में अधिक महत्व-पूर्ण कारण वे हैं जिनका सम्बन्ध वस्तुओं की सप्लाई से है।

(ख) सरकार इस मत से सहमत नहीं है कि हाल में मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, वह सरकार द्वारा अपनायी गयी आर्थिक नीतियों तथा तकनीकों में किसी प्रकार के दोषों के कारण है। उत्पादन को बढ़ाकर और आवश्यकता पड़ने पर आयातों के माध्यम से वस्तुओं की सप्लाई, विशेषत: अनाजों को सप्लाई को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। अत्यावश्यक वस्तुओं के उचित और कारगर ढंग से वितरण के लिए भी उपाय शुरू किए गए हैं।

विदेशी कम्पनियों को शेयरों के दिए जाने से विदेशी मुद्रा की हानि

4591. **श्री वी० मायावन :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक भारतीय कम्पनियों ने अपने 'शेयर' विदेशी कम्पनियों को दे दिये हैं ताकि वह उनके व्यापार चिन्हों को प्रयोग कर सके और इसके परिणाम-स्वरूप, विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि देश से बाहर जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार की यह नीति नहीं है कि केवल विदेशी ब्रांडों के नामों और व्यापार चिन्हों (ट्रेड मार्क) के उपयोग के लिए अनिवासियों को शेयर दिए जाने की अनुमति दी जाय ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निर्यात प्रोत्साहन का दुरुपयोग

4592. **श्री वी० मायावन :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों के दौरान निर्यात प्रोत्साहन का दुरुपयोग करने के कितने मामले पकड़े गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई में तस्करी के सोने का पकड़ा जाना

4593. **श्री वी० मायावन :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने बम्बई में 18 नवम्बर, 1972 को 5.5 लाख रुपये के मूल्य का सोना बरामद किया था ;

(ख) इस इस बारे में कोई गिरफ्तारियां की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा 16-11-72 को भारतीय बाजार दर पर लगभग 5.5 लाख रुपये के मूल्य का विदेशी मार्के का 23.32 किलोग्राम सोना और 10,000/-रुपये की रकम की भारतीय मुद्रा पकड़ी गया। गयी थी।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें क्रमशः 1 लाख रुपये तथा 50,000/ रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

गुजरात में बड़ौदा में जाली सिक्के बनाने वाली टकसाल का पता चलना

4594. **श्री वी० मायावन :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ौदा में 14 नवम्बर, 1972 को 50 पैसे के जाली सिक्के बनाने वाली छोटी टकसाल का पता चला है ;

(ख) क्या यहां 50 पैसे के 7,000 सिक्के परिचालन के लिए तैयार थे तथा लगभग 25,000 सिक्के बन रहे थे ; और

(ग) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने यह बात स्वीकार की है कि अन्य राज्यों में भी ऐसे संयंत्र लगे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (ख) से (ग) गुजरात सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बैठक

4595. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने हाल ही में प्रमुख अनुसूचित तथा वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) के साथ कई बैठकें की थीं ; यदि हां, तो इन बैठकों में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मुद्रा और मूल्य को विद्यमान स्थिति का पता लगाने और 1972-73 के व्यस्त मौसम की ऋण नीति की रूपरेखा सूचित करने के लिए 14 नवम्बर, 1972 को प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारियों के साथ एक बैठक की थी इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4046/72]**

अधिक मूल्य के ठेकों सम्बन्धी विश्वव्यापी टेंडरों में भारतीय निर्यातकों द्वारा भाग लिया जाना

4596. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक मूल्य के ठेकों के लिये विश्व व्यापारी टैंडरों में भाग लेने के इच्छुक भारतीय निर्यातकों का अनेक अलाभप्रद स्थितियों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो ऐसी अलाभप्रद स्थितियों का स्वरूप क्या है ;

(ख) क्या गत वर्ष के दौरान ऐसी अलाभप्रद परिस्थितियों के कारण भारतीत निर्यातकों को न मिलने वाले टैंडरों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । अलाभप्रद स्थितियां मुख्व रूप से ये हैं : वित्त व्यवस्था, मुद्रा तथा भावों के उतार-चढ़ाव की जोखिम, निर्यात ऋण गारंटी सुरक्षा, आस्थगित भुगतान की शर्तें, एजेन्सी कमीशन का भुगतान आदि ।

(ख) तथा (ग) 1972 में न मिलने वाले अलग अलग टैंडरों का कोई विशिष्ट आककलन नहीं किया गया है । लेकिन इनमें से जिन कुछ अलाभ की स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है उन पर विचार किया जा रहा है ।

मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता से प्राप्त अतिरिक्त लाभ का समाप्त हो जाना

4597. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "फाइनेन्शल एक्सप्रैस" दिनांक 18 अक्तूबर, 1972 में "प्राइस राइज एबसोरबस एक्ट्रा बेनेफिट" (अर्थात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता और श्रमिकों को बोनस) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) समाचार में यह कहा गया है कि 17 अक्तूबर, 1971 को समाप्त होने वाले तीन सप्ताहों में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके परिणामस्वरूप औद्योगिक मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों को बोनस अथवा अन्तरिम सहायता के रूप में उपलब्ध अतिरिक्त क्रय शक्ति का सफाया हो गया है । इसमें कोई शक नहीं कि मूल्य-वृद्धि का नकद आमदनी में होने वाली किसी भी वृद्धि के वास्तविक मूल्य पर प्रभाव पड़ता है लेकिन यह बात ध्यान में देने योग्य है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949=100) में जो उपभोक्ताओं की आय की क्रय शक्ति के परिवर्तनों

का थोक मूल्यों के सूचकांक की अपेक्षा अधिक सही मापदण्ड है, अगस्त 1972 में 252 से अक्तूबर, 1972 में 254 तक ही सीमान्तिक वृद्धि हुई है। सरकार बढ़ते हुए मूल्यों के कारण जनता को होने वाली कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह सजग है और मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

'एशिया 72' में अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाने वाले देश

4598.**श्री अम्वेश :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से देश एशिया 72 मेले में अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाएंगे ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एशिया 72 मेले में जो देश अपने राष्ट्रीय भवन बना चुके हैं और जो मनायेंगे उनकी सूची संलग्न है।

विवरण

देश का नाम	राष्ट्रीय विकास की तारीख
1. इटली	7 नवम्बर, 1972
2. सोवियत संघ	8 नवम्बर, 1972
3. कनाडा	9 नवम्बर, 1972
4. आस्ट्रेलिया	10 नवम्बर, 1972
5. स्पेन	11 नवम्बर, 1972
6. मलयेशिया	12 नवम्बर, 1972
7. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	13 नवम्बर, 1972
8. हंगरी	15 नवम्बर, 1972
9. आस्ट्रिया	16 नवम्बर, 1972
10. बंगलादेश	18 नबम्बर, 1972
11. मंगोलिया	19 नवम्बर, 1972
12. बुल्गारिया	21 नवम्बर, 1972
13. बैल्जियम	23 नवम्बर, 1972
14. अफगानिस्तान	24 नवम्बर, 1972
15. लिबिया	25 नवम्बर; 1972
16 टर्की	26 नवम्बर, 1972
17, युगोस्लाविया	27 नवम्बर, 1972
18. सोवियत संघ गणराज्य	29 नवम्बर, 1972

देश का नाम	राष्ट्रीय विकास की तारीख
19. मारीशस	1 दिसम्बर, 1972
20. दक्षिण कोरिया	4 दिसम्बर, 1972
21. थाईलैंड	5 दिसम्बर, 1972
22. फ्रांस	6 दिसम्बर, 1972
23. रूमानिया	7 दिसम्बर, 1972
23. न्यूजीलैंड	8 दिसम्बर, 1972
25. जापान	9 दिसम्बर, 1972
26. पोलेंड	10 दिसम्बर, 1972
27. अफ्रीका (सुडान, केनिया, तंजानिया तथा जांविया)	11 दिसम्बर, 1972
28. चैकोस्लोवेकिया	12 दिसम्बर, 1972
26. फिजी	13 दिसम्बर, 1972
30. स्वीडन	14 दिसम्बर, 1972
31. नेपाल	15 दिसम्बर, 1972

Impact of the Steps taken to Check Price Rise

4599. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have assessed the impact of the steps recently taken by them to check the price rise ; and

(b) if so, the outcome of the assessment made ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) While it is difficult to assess the impact of any single measure, Government are hopeful that the cumulative impact of recent measures which have been taken in order to stabilise the price level will be favourable. It is encouraging to note that since the middle of October the General Index of Wholesale Prices has remained fairly stable.

Articles Imported from and Exported to Bangladesh

4600. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of the articles exported to Bangladesh so far and the value and quantity of the articles ; and

(b) the names of the articles imported from Bangladesh so far and the quantity and value of the articles ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Statistics of exports are available only for the months of April to June 1972 according to which the following commodities were exported to Bangladesh :

(Value in Rs. Lakhs)

Commodities	**Unit**	**April—June 1972**	
		Qty.	Value
Wheat	000 T	229	19,66
Castor Oil	000 Kg.	370	11
Pulses	Tonne	264	4
Cement	000 T	38	75
Ram cotton	Tonne	590	52
Tobacco-Un-manufactured	000 Kg.	1679	70
	Grand total (including others)		———
Statistics beyond June 1972 are not available.			2317

(b) Imports from Bangladesh during 1971-72 and April-May 1972 were negligible. Statistics of imports beyond May 1972 not yet available.

Capital Invested in Foreign Companies Operating in India

4601. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state the amount of foreign capital invested in each foreign company in India indicating the names of the countries which have invested it ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : The information regarding foreign capital invested in each of the Indian subsidiary of foreign companies together with the capital invested in it by its foreign holding company is given in the statement annexed. **[Placed in Library.See No. LT-4047/72]** Similar information in respect of branches of foreign companies at work in India is not available as the information regarding shareholdings of these companies is not required to be filed under the Companies Act.

भारत बंगला देश मत्स्य करार में बाधाये

4602. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 18 नवम्बर, 1972 के 'आनन्द बाजार पत्रिका" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी बंगाल गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा के कुछ समृद्ध मत्स्य व्यापारियों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं के कारण, मत्स्य आयात सम्बन्धी भारत-बंगला देश के करार में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ;

(ख) क्या बंगला देश सरकार द्वारा खोले गये 17 केन्द्रों में से पश्चिमी बंगाल तथा भारत के अन्य पूर्वी भागों के लिए केवल तीन केन्द्रों से ही मछली प्राप्त की जाती है ;

(ग) क्या दिल्ली में बंगला देश के वाणिज्य मंत्री ने यह कहा था कि भारत द्वारा मत्स्य निर्यात में असफल रहने के कारण बंगला देश को 6 करोड़ रुपये के घाटे का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और इस मामले में भारत के मत्स्य निगम ने क्या भूमिका निभाई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने सम्बन्धित प्रेस समाचार देखा है ।

(ख) मछली व्यापार पर भारत-बंगला देश संयुक्त समीक्षा समिति ने गत अक्तूबर में हुई अपनी बैठक में विनिश्चय किया था कि परिवहन सम्बन्धी रुकावटों के कारण मछली प्राप्त करने का कार्य पांच केन्द्रों नारायणगंज, गोलुनडो, खुलना, अखैरा तथा बंसतपुर पर शीघ्र ही शुरू कर देना चाहिए और जैसोर, शिओला तथा तमाबिल पर तीन और केन्द्र यथासम्भव शीघ्र खोले जा सकते हैं ।

कार्य के प्रथम चरण के लिए चुने गए 5 केन्द्रों में से, नारायणगंज, गोलुनडो, खुलना तथा अखौरा में चार केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । नारायणगंज और खुलना से आयात पहले ही किए जा रहे हैं और गोलुन्डो तथा अखोरा से शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाने की आशा है । बसंतपुर तथा जैसोर में दो और केन्द्र शीघ्र ही खोले जाने वाले हैं ।

(ग) तथा (घ) बंगला देश के वाणिज्य मन्त्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मछली के उठान में कमी रहेगी । उनको यह बताया गया कि भारत की ओर से मछली के आयात की कोई सीमा नहीं रखी गई है लेकिन भारत सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंगला देश के कई केन्द्रों में प्रबन्ध करने की समस्या है ।

चूंकि मछली का व्यापार केवल अक्तूबर, 1972 में प्रारम्भ हुआ था अतः करार के अन्तर्गत निर्धारित सीमा की अपेक्षा आयातों का मूल्य काफी कम रहने की सम्भावना है । हाल के सप्ताहों में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, यह आशा है कि आयात की गति काफी बढ़ जायेगी जो बंगला देश उन कीमतों पर मछली की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिनसे कलकत्ता तथा अन्य बाजारों में मछली उचित कीमतों पर बिक सकें ।

बंगला देश द्वारा भारतीय फिल्मों का आयात

4603. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश वहाँ के सिनेमाओं में प्रदर्शन के लिए भारतीय फिल्मों का आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश के साथ ऐसी फिल्मों के व्यापार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) बंगला देश को अब तक निर्यात की गई फिल्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) ऐसी भारतीय फिल्मों के निर्यात से कितनी आय हुई है और फिल्म निर्माताओं को कितनी राशि मिली है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख) 28-3-72 को बंगला देश सरकार तथा भारत सरकार के बीच किये गये व्यापार करार की शर्तों के अनुसार 15 लाख रुपये मूल्य की फिल्में भारत से बंगला देश को निर्यात और बंगला देश से भारत में आयात की जाएंगी ।

(ग) अभी तक बंगला देश को कोई फिल्म निर्यात नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पति और पत्नी की आय को मिलाना

4604. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 सितम्बर, 1972 को कलकत्ता में हुये सेमिनार, जिसमें लगभग 100 महिला संगठनों ने भाग लिया था, की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सेमिनार में आयकर निर्धारण हेतु पति तथा पत्नी की आय को जोड़ने का विरोध किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) (क) तथा (ख) : जी, हाँ ।

(ग) इस मामले की पिछले कुछ समय से जांच की जाती रही है । इस विषय में वांचू समिति और राज समिति के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार की पर्यटक सूची में दीघा को समाविष्ट करने का प्रस्ताव

4605. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की पर्यटक सूची में दीघा, जो उड़ीसा को छोड़ कर पूर्वी भारत का एकमात्र समुद्री-तट स्वास्थ्य केन्द्र है, समाविष्ट नहीं किया गया है ;

(ख) क्या दीघा में काफी संख्या में भारतीय तथा विदेशी पर्यटक जाते हैं ;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने दीघा समुद्र-तट को भारत का सबसे बढ़िया समुद्र-तट माना है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दीघा (पश्चिम बंगाल) को केन्द्रीय सरकार की पर्यटक सूची में समाविष्ट करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं । अवकाश के दिनों में, कलकत्ता से काफी अधिक संख्या में लोग यहाँ आते हैं । परन्तु, इस समुद्र-तट की यात्रा करने वाले यात्रियों की ठीक-ठीक संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

छहरटा स्थित हिन्दुस्तान एम्ब्रायडरी मिल्स लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की मांग

4606. **श्री मधुकर** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की गई है कि छहरटा स्थित हिन्दुस्तान एम्ब्रायडरी मिल्स लिमिटेड को सरकार अपने हाथ में ले ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

श्रीराम ग्रुप के उद्योगों का विस्तार

4607. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीराम ग्रुप औद्योगिक गृह विभिन्न नामों से अपने उद्योगों का विस्तार कर रहा है ; और

(ख) क्या चरतराम ग्रुप, भरतराम ग्रुप और श्रीराम ग्रुप एक ही हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति रिपोर्ट में, श्री राम समूह से सम्बन्धित दर्शायी गई कम्पनियों को 1-1-70 से 1-7-72 तक के अवधि के मध्य, 12 (बारह) औद्योगिक लाइसेन्स तथा 4 (चार) अभिप्राय-पत्र प्रदान किये गये थे । औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति रिपोर्ट के अनुसार श्री चरत राम तथा श्री भरत राम, दोनों, कथित श्रीराम समूह से सम्बन्धित हैं ।

कम्पनियों में कुप्रबन्ध सम्बन्धी शिकायतें

4608. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स "जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड" और 'भारत बाल बियरिंग लिमिटेड' में कुप्रबन्ध होने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) कम्पनी रजिस्ट्रार पश्चिमी बंगाल को मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड द्वारा एक माल-विक्रेता अभिकर्त्ता की नियुक्ति के निबन्धनों एवं प्रतिबन्धों की बाबत जीवन बीमा निगम से एक शिकायत प्राप्त हुई है । रजिस्ट्रार को इस कम्पनी से 4 दिसम्बर 1972 को उत्तर प्राप्त हो गया है, जिसकी परीक्षा की जा रही है ।

मै० भारत बाल बीयरिंग लिमिटेड, जो अब श्री राम बीयरिंग्स लि० के नाम से विख्यात है, की बाबत विभाग को गत छै वर्ष से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ को मान्यता

4609. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

प्राधिकरण के कार्यालय में "अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण कर्मचारी संघ" नामक एक कर्मचारी संगठन की स्थापना हो गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रबन्धकों ने इस संघ को मान्यता दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, अभी तक नहीं ।

(ग) प्राधिकरण के अधिकांश कर्मचारी (नागर विमानन विभाग से आये हुए) सरकारी कर्मचारी हैं तथा उनका प्राधिकरण की सेवा में विलय कर लेने का प्रश्न विचाराधीन है । सरकारी कर्मचारी होने के कारण वे अपने सम्बद्ध आचार नियमों (कांडक्ट रूल्स) से शासित होते हैं । प्रति-नियुक्तियों पर आये हुए इन कर्मचारियों के "स्टेटस" को अन्तिम रूप से तै कर दिये जाने के बाद ही ग्रुप मन्त्रालय द्वारा ऐसे संघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये निर्देशक सिद्धान्तों के आधार पर अब गठित किये गये इन संघों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

कम्पनियों द्वारा धन का प्रेषण

4610. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भारत स्थित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण के बुलेटिन जारी किए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे कोई बुलेटिन जारी नहीं किए हैं जिनमें भारत में कार्य कर रही अलग-अलग विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गए प्रेशणों की जानकारी दी गयी हो ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा सेवा-शुल्क का प्रेषण

4611. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मन्त्री कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा लाभांश के विदेश प्रेषण के सम्बन्ध में 30 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा सेवा-शुल्क के प्रेषण की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो निर्यात की तुलना में कितने प्रतिशत प्रेषण की अनुमति है ; और

(ग) यदि प्रतिशतता स्थिर नहीं है, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

पूर्वी क्षेत्रों के हवाई अड्डों पर रात को हवाई जहाजों के उतरने के लिये सुविधायें

4612. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में 'एयरलाइन्स' द्वारा प्रयोगों में लाये जाने वाले कलकत्ता हवाई अड्डे के अतिरिक्त 29 हवाई अड्डों में से किसी अड्डे पर भी रात को हवाई जहाजों के उतारने की सुविधा नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। रात्रि-कालीन अवतरण सुविधाएं अगरतला, पटना, गया, गोहाटी तथा मोहनबाड़ी विमानक्षेत्रों पर उपलब्ध हैं, तथा बारह अन्य विमानक्षेत्रों पर हंसग्रीवा प्रदीप व्यवस्था उपलब्ध है जिसका प्रयोग इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा आपातस्थिति में अवतरण के लिये किया जाता है।

बम्बई में जुहू तट पर होटलों के निर्माण हेतु एयर इण्डिया द्वारा नियुक्त किए गए विदेशी वास्तुविद

4613. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने बम्बई के जुहू तट पर तथा अन्य स्थानों पर होटल बनाने के लिये विदेशी वास्तुविदों को नियुक्त किया है ;

(ख) क्या ऐसा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा हाल ही में लिये गये इस निर्णय, कि एयर इण्डिया को इस उद्देश्य के लिये विदेशी वास्तुविदों को नियुक्त करने की अनुमति न दी जाये, के विपरीत है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में भी होटल बनाने के लिए विदेशी वास्तु-विदों को नियुक्त करने की अनुमति देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) वास्तुविदों एवं परामर्शी इंजीनियरों की एक भारतीय फर्म की वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करने के लिये नियुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त एयर इण्डिया ने सरकार की अनुमति से अपनी होटल परियोजना के लिये परामर्शी सेवायें प्राप्त करने के लिये एक जर्मन फर्म से करार किया है।

(ग) किसी विदेशी वास्तुविद की परामर्शी सेवाओं की अनुमति निजी क्षेत्र में उसी सीमा तक दी जा सकती है जहां तक कि ये सेवाएं किसी होटल विशेष के सम्बन्ध में एक अनुमोदित सहयोग करार के अन्तर्गत किसी विदेशी सहयोगी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली तकनीकी सेवाओं का एक भाग स्वरूप होती है।

Arrears of Taxes Against Industrialists with Income of above Rs. One lakh in Madhya Pradesh

4614. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total income of industrialists and businessmen other than the former Rulers and Landlords in Madhya Pradesh having an annual income of more than rupees one lakh during the last year ; and

(b) the total amount of arrears on account of Income-tax, Wealth-tax and surcharge outstanding against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) For the purposes of direct taxes (Income-Tax, Wealth-Tax, Gift-Tax and Estate Duty)the assessees are not classified according to their profession or source of income. However, the requisite particulars as on 31.3.1972 regarding all assessees, in whose cases total income on the basis of the latest assessment completed during the Financial Year 1971-72 exceeded rupees one lakh, in the Charge of Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal, are being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Removing of Regional Imbalance in Madhya Pradesh

4615. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Life Insurance Corporation propose to take urgent action to remove regional imbalance in Madhya Pradesh State ; and

(b) if so, the nature of action being taken or proposed to be taken in this regard during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b) Keeping in view the interests of the Community as a whole the LIC seeks to achieve, as far as available investment opportunities permit, a fair spread of its investments throughout the country and to remove regional imbalances. In making investments in a state the Corporation also takes into account the business underwritten and the premium collected in that state. There has been a progressive increase in fresh investments made in Madhya Pradesh in recent years. The State Government is in touch with the LIC for investment in its territory.

Court Cases Filed in Madhya Pradesh High Court Relating to the Ministry of Finance

4616. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of cases filed in the High Court of Madhya Pradesh (Jabalpur) in which the Revenue and Insurance Department of his Ministry was respondent ;

(b) the number of cases which where about the Hindi work of his Department ;

(c) the number of cases disposed of by the Court so far and the judgments given thereon ; and

(d) whether some officers of the said Department were found guilty of irregularities, frauds and favouritism and the action proposed to be taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Tours Undertaken by Officers of State Bank of India and Industrial Development Bank of India to Backward Districts of Madhya Pradesh

4617. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Officers of the State Bank of India and Industrial Development Bank of India have ever undertaken tours of backward Districts of Madhya Pradesh during the last three years and if so, the number of tours undertaken and the names of backward Districts toured by them ; and

(b) the assessment made by them of the situation in these Districts and the recommendations made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) and (b) A joint institutional study team comprising representatives of the Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Finance Corporation of India and State Bank of India undertook an industrial potential, survey of Madhya Pradesh in April/May, 1971. During the survey the team had toured parts of som of the backward districts in the State, such as Bastar, Bilaspur, Bhind, Chhatarpur, Chindwara, Dewas, Hoshangabad, Khargone, Morena, Panna, Raipur, Ratlam and Rewa. Having regard to the availability of infra-structure, raw-material and other facilities, the study team was of the opinion that the following eleven backward districts offer comparatively better investment opportunities :

Bastar, Bilaspur, Raipur, Dewas, Hoshangabad, Sagar, Sidhi, Balaghat, Raigarh, Shajapur and Guna.

The team has suggested that State Government and other concerned institutions should make concerted efforts in attracting entrepreneurs from outside and that the lead banks could also play a positive role in identifying specific lines of industrial opportunities and thus help in the development of these districts. The study team has also suggested a number of projects and industries that could be taken up in these districts.

Enquiry Against Income-tax Officers in Madhya Pradesh

4618. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number and names of Officers of Income-tax Department in Madhya Pradesh found in possession of property disproportionate to their sources of income during the last three years ; and

(b) the value of the proporty in possession of each one of the officers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) None, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में एशियाई व्यापार मेले पर होने वाला खर्च और उससे प्राप्त आय

4619. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एशियाई व्यापार मेले पर होने वाला कुल व्यय पुर्वानुमानों से अधिक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ है और इससे कुल कितनी आय होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) एशियाई व्यापार मेले पर व्यय के लिए 5.83 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी जबकि अब तक वास्तविक व्यय 4.861 करोड़ रु० हुआ है । मूल प्राक्कलनों से आधिक्य, यदि कोई हो, की जानकारी मेले के लेखाओं को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही उपलब्ध हो सकेगी । मेले से 2.00 करोड़ रु० से अधिक की आय होने की आशा है ।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे के इलेक्ट्रानिक केन्द्र के बारे में मन्त्रालयों के बीच विवाद

4620. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर स्थापित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक केन्द्र के सम्बन्ध में अन्तमंत्रालयी विवाद पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद किस प्रकार का है ; और

(ग) क्या मामले को अन्तिम निर्णय के लिये मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

स्पेन से गैर-परम्परागत वस्तुओं के लिए आर्डर

4621. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिये भारत का 25 लाख रुपये के मूल्य का स्पेन से कोई आर्डर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) आयात की मदों में सिले सिलाये परिधान, पीतल के बर्तन, लकड़ी का सामान, ई० पी० एन० एस० वेयर, गृह-सज्जा सामग्री, बाजे, ताले तथा पैडलाक, रेशमी फैब्रिक, कार एरियल, गुड़ियों, खेलकूद का सामान, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, कमीजें आदि शामिल हैं ।

Trade Agreement with Spain

4622. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a trade agreement has been entered into between India and Spain ?

(b) if so, the names of the articles to be exported to Spain under the said agreement and the estimated amount of foreign exchange to be earned thereby ; and

(c) the value of the first order placed by Spain under this agreement and the names of the articles for which it has been placed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A copy of the Trade Agreement has been placed in the Parliament Library. The Trade Agreement is on the pattern of our Agreements usually entered into with free market economy countries and does not contain any export/import obligations.

World Bank's Report on India's Economic Development

4623. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the World Bank has presented a comparative statement in regard to the economic progress made by India during the last two decades and expressed its views thereon ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) In the information paper entitled "India and the World Bank Group" published recently, the world Bank has observed that India's national income has doubled since the inception of planned economic development in 1951 and that India has created a large and complex industrial structure and laid the foundation for accelerated growth in agriculture.

बलगारिया में हुए प्लोवडिव अन्तर्राष्ट्रीय में मेले में भारतीय तथा बलगारिया की फर्मों के बीच हुए करार

4624. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलगारिया में हाल ही में सम्पन्न हुये प्लोवडिव अन्तर्राष्ट्रीय मेले में कुछ बलगारिया की फर्मों तथा कुछ भारतीय व्यापार फर्मों के बीच करार हुये थे ; और

(ख) यदि हां, तो करारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) प्लोवडिव अन्तर्राष्ट्रीय मेला 1972 में भाग लेने वाली बलगारिया तथा भारत की व्यावसायिक फर्मों के बीच 297,99,500 रुपये की राशि की संविदायें सम्पन्न हुईं । इनमें चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुएं, खेलकूद का सामान, लिनोलियम, काजू, चाय, वेक्युम फ्लास्क, कयर की चटाइयां, कफलिक, आयल पिनें, सुइयां, स्नेप फास्टनर्स, कैंचियां, प्लास्टिक तथा अवधर्षक जैसी वस्तुएं शामिल हैं ।

सूती कपड़ा मिलों में मोटे कपड़े का उत्पादन

4625. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में उन सूती कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक कम से कम मात्रा में मोटा कपड़ा तैयार नहीं किया है ; और

(ख) ऐसी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1 जून, 1971 से लागू योजना के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही में 1,000 लाख वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़ा तैयार करने की उद्योग की वचनबद्धता पूरी हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोलम्बो योजना परामर्शदात्री सम्मेलन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती

4626. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुई कोलम्बो योजना परामर्शदात्री सम्मेलन के कार्य के लिए एक पूर्ण सचिवालय स्थापित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या तरीके अपनाए गए थे ;

(ग) वर्गवार कुल कितने अधिकारी / कर्मचारी नियुक्त किए गए थे ; और

(घ) क्या उस सचिवालय में किसी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया था ; और यदि हां, तो उनकी वर्गवार संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के अस्थायी पद अल्प-काल के लिए स्वीकृत किए गए थे जो वित्त मंत्रालय और अन्य मन्त्रालयों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरे गए थे।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(घ) चूंकि ये अस्थायी पद वित्त मन्त्रालय आदि के पहले से काम कर रहे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए थे इसलिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया था।

विवरण

कोलम्बो आयोजना सम्मेलन सचिवालय में नियुक्त किए गए कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा :—

1. महासचिव	1
2. उपमहासचिव	2
3 सहायक महासचिव	2
4. समिति अधिकारी	7
5. कक्षों के कार्यभारी अधिकारी	15
6. अन्वेषक/मिलानकर्त्ता	10
7. सहायक	20
8. निजी सहायक	16
9. लिपिक	12
10. संदेशवाहक	15
	100

वर्ष 1970-71 से 1971-72 तक एक लाख रुपए से अधिक मूल्य के तदर्थ आयात लाइसेन्स प्राप्त करने वाली पार्टियां

4627. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें वर्ष 1970-71 से 1971-72 तक की अवधि में एक लाख रुपए के मूल्य से अधिक के तदर्थ आयात लाइसेन्स दिये गये थे ; और

(ख) कौन कौन सी वस्तुओं का आयात किया गया और उनका कैसे उपयोग किया गया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) मूल्य का विचार किये बिना जारी किये गये सभी आयात लाइसेन्सों का ब्यौरा (पार्टी के नामों व पतों सहित) "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेन्सिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सिज" में प्रकाशित होता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) प्रत्येक आयात लाइसेन्स पर आयात की गई वस्तुओं तथा उनके उपयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

चाय उद्योग के एकाधिकारियों के विरुद्ध आरोप

4628. **श्री डी० के० पंडा :**
डा० हरि प्रसाद वर्मा :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1972 के ब्लिट्ज में "150 करोड़ लूट बाई दी कार्टल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के चाय उद्योग पर नियन्त्रण करने वाले कुछ एकाधिकार गृहों द्वारा विदेशों में अर्जित की गई अत्यधिक विदेशी मुद्रा जमा करने वाले गिरोह पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित विदेशी चाय एकाधिकारवादियों के नाम क्या हैं जिनका भारत के चाय उद्योग पर नियंत्रण है और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए विशिष्ट आरोप क्या हैं ; और

(ग) क्या इस गिरोह के विरुद्ध कोई जांच पड़ताल की गई है, और हां, तो किस संस्था के माध्यम से और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) यह जो समाचार है कि भारत के चाय उद्योग पर थोड़े से एकाधिकार गृहों के नियंत्रण से संबंधित प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री द्वारा भेज दिया गया है, वह प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव

4629. **श्री दिलीप सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) गोवा को लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां के समुद्र तटों का विकास करने का प्रस्ताव है। विकासात्मक संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। विकास की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र का निर्णय 1973 के प्रारम्भ में सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के उपरान्त किया जायेगा ।

विदेशी मुद्रा की हानि

4630. **श्री दिलीप सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य स्थानों में विदेशी मुद्रा का चोरी छिपे विनिमय किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवैध कार्य से राष्ट्र को कितनी हानि हो रही है ; और

(ग) गत वर्ष सरकारी बैंकों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा का विनिमय किया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ शहरों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेन-देन बैंकों की मार्फत किये जाने की बजाय अन्य माध्यमों से किये जाते हैं।

(ख) इन लेन-देनों का स्वरूप ही ऐसा है कि इनसे होने वाली हानि का अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) 1971 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों से की गयी खरीद और उनको की गयी बिक्री का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

(हजारों में)

	खरीद	बिक्री
स्टर्लिंग पौंड	182,057	145,125
अमरीकी डालर	306,838	173,275
कनाडी डालर	3,450	3,372

बम्बई और कलकत्ता में आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे मारना

4631. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० नागेश्वर राव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर, 1972 को आयकर विभाग ने बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ फिल्म वित्तपोषकों, फिल्म निर्माताओं और फिल्म दलालों के कार्यालयों और निवासस्थानों पर छापे मारे थे और यदि हां, तो उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके कार्यालय और स्थानों पर छापे मारे गये थे; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी नकद राशि जब्त की गयी और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) जी, हां, एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम, जिनके कार्यालयों तथा निवासस्थानों पर छापे मारे गये, और प्रत्येक के मामले में पकड़ी गयी नकदी की रकम दर्शायी गयी है। इन मामलों की जाँच-पड़ताल की जा रही है। पकड़ी गयी सामग्री की छानबीन पूरी होने के बाद, कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

विवरण

क्र० सं०	नाम	पकड़ी गयी नकदी
बम्बई		
1.	श्री आर० भट्टाचार्य	—
2.	श्री एस० एस० खोखर	—
3.	श्री एस० एन० एन० सिप्पी	—
4.	श्री अमर जीत	—
5.	श्री श्रीदार दमानी	—
6.	श्री बी० आर० पचीसिया	49,270
7.	श्री चम्पालाल कोठारी	—
8.	श्री नरोत्तम सी० मोदी	—
9.	श्री जवाहर लाल मुनीत	—
10.	श्री पी० बी० झबेरी	—

क्र० सं०	नाम	पकड़ी गयी नकदी
कलकत्ता		
1.	श्री हरकचन्द कंकारिया	18,840
2.	श्री श्रीदास दमानी	—
3.	म्यूजिकल फिल्म्स लि०	12,325
4.	श्री लक्ष्मी पिक्चर्स	—
5.	दमानी पिक्चर्स (प्रा०) लि०	95,417
6.	सरदार मल कंकारिया	6,800
7.	पारसमल दीपचन्द	42,851
8.	मुलतानमल किशनलाल (प्रा०) लि०	5,572

टिप्पणी : बम्बई और कलकत्ता दोनों स्थानों पर हमने नकदी के अलावा काफी मात्रा में जवाहरात, कई लेखा-पुस्तकें और दस्तावेज (जिनमें प्रोनोट, करार तथा रसीदें शामिल हैं) पकड़े हैं।

Decline in export of Mica

4632. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether export of Mica has declined considerably ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

रूस को निर्यात

4633. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार रूस को कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ख) निर्यात की गई मुख्य वस्तुयें क्या हैं तथा प्रति वर्ष इनमें इंजीनियरिंग वस्तुयें कितने प्रतिशत थीं ; और

(ग) इन्जीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किए गए ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पिछले तीन वर्षों में सोवियत संघ को किए गऐ निर्यातों का मूल्य नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपये में)

1969	1970	1971
166	204	211

(ख) सोवियत संघ को निर्यात की जाने वाली मदें ये हैं--चाय, कच्ची, अर्धकमायी हुई तथा बनायी हुई बकरी की चमड़ियां, पटसन बोरे, पटसन का कपड़ा, काजू की गिरी, जिसमें उपभोक्ता पेक शामिल हैं, सूती वस्त्र, काफी, तम्बाकू, ऊनी बने हुए वस्त्र, मसाले, सिले-सिलाये परिधान, अभ्रक, कच्ची ऊन, कच्चा पटसन, अरण्डी का तेल, एच० पी० एस० मुंगफली, तेलरहित खली, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, चमड़े के जूते तथा विभिन्न इन्जीनियरी माल । 1969,1970 तथा 1971 के दौरे में इन्जीनियरी माल, जिसमें लोहे तथा इस्पात के उत्पाद शामिल हैं, का प्रतिशत क्रमशः 8.5 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत था ।

(ग) सोवियत संघ को इन्जीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) 1972 तथा 1973 के व्यापार संलेखों में इन्जीनियरों मदों के निर्यात बढ़ाने हेतु और अधिक व्यवस्था की गई है ।

(2) सोवियत संघ के साथ सम्पन्न किए गए व्यापार संलेख में मोटर गाड़ी अनुरंगी साधन तथा मैग्नेटिक टेपों आदि जैसी नई मदों को विशेष तौर पर शामिल किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपदान राशि में से दो महीने का वेतन काटे जाने से छूट

4634. **श्री था किरुतिनन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिन्होंने परिवार पेन्शन नियम, 1964 के लिए अपना विकल्प दिया था, दिए जाने वाले उपदान की राशि में से दो महीने का वेतन काटे जाने से छूट देने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Fall in Purchasing Power of Rupee

4635. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minisrer of **Finance** be pleased to state:

(a) the fall in terms of percentage in the purchasing power of rupee during the last three years so far as general consumer goods are concerned ;

(b) whether in view of this fall the minimum limit of Rs. 5000 is proposed to be raised for the purpose of levying Income-Tax ; and

(c) if so, when and by how much and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The fall in the purchasing power of Indian Rupee between 1969 and 1972 (average of 10 months for which latest data are available) as measured by the All-India Consumer Price Index for Industrial Workers with the year 1949 as base works out to 12.3 per cent.

(b) Government do not propose to raise the exemption limit of Rs. 5,000 for income-tax.

(c) A statement showing the reasons for not raising the exemption limit is enclosed.

Statement

(i) It is necessary to involve as many taxpayers as possible in the national endeavour to raise resources for the execution of our development plans.

(ii) The total number of income-tax payers on the registers of the Income-Tax Department as at the end of January, 1971, was 30.5 lakhs, of which individuals and Hindu undivided families accounted for about 26 lakhs. The proportion of income-tax payers to the active population is as low as 1.3% : even with reference to the active population engaged in non-agricultural pursuits, the proportion is only 4.3%. This proportion will be reduced still further if the exemption limit is raised. In Government's view, income-tax should be a broad based tax covering ultimately a much larger section of the population.

(iii) The tax payable at lower income levels is already small. The taxable income is computed after excluding certain incomes altogether and after making deductions in respect of long-term savings and, in the case of long-term savings and, in the case of salaried employees, also for the expenditure incurred by them on travelling for the purpose of employment. In respect of income derived from investments in shares, securities, bank deposits etc., income upto to Rs. 3,000 is excluded from the taxable income. In respect of long-term savings through life insurance, provident fund, etc., the whole of the first Rs. 1,000 of such savings from the taxable income is allowed as deduction. In regard to expenditure incurred by a salaried taxpayer on travelling for the purpose of employment, the minimum deduction is Rs. 600 for the year. The effect of all these provisions is that in the case of a salaried taxpayer who has a gross salary income of Rs. 6,000 no tax is payable if he saves Rs. 400 in the form of life insurance, provident fund etc.

Companies Under Shri R. P. Goenka

4636. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of paid-up capital, capital value and annual sale and purchase of each Company of R. P. Goenka Group ; and

(b) the total amount of various types of loans received by each Company and the total amount of Income-Tax and other Central taxes etc. outstanding against each Company at present ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) The reference in the question presumably is to the Goenka House as composed by the Monopolies Inquiry Commission in 1964, and as recognised by the ILPIC Report of 1969. According to the information available with the Department of Company Affairs, the paid up capital, value of asset, annual sales and purchases of each of the companies in the Goenka House during 1969-70 are given in the statement annexed. **[Placed in Library. See No. LT-4048/72]**. The amount of secured and unsecured loans as outstanding during 1969-70 against each one of the companies are also shown in this statement.

Information regarding the amount of Income-Tax and central taxes etc. outstanding against these companies is being collected and will be laid on the Table of the House.

महाराष्ट्र सर्किल में जीवन बीमा निगम में नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4637. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सर्किल में 1 जनवरी, 1972 को भारतीय बीमा निगम में कुल कितने कर्मचारी थे तथा उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी थे ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षित कोटा इनमें रखा हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) महाराष्ट्र मण्डल में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की संख्या 1 अप्रैल, 1972 को 11279 थी। इनमें से 364 अनुसूचित जातियों के और 25 अनुसूचित जनजातियों के थे। जीवन बीमा निगम अपने आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर रखता है, और इसलिए 1 जनवरी, 1972 की स्थिति के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण जीवन बीमा निगम सभी आरक्षित रिक्त पदों पर उन जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने में असमर्थ रहा है। फिर भी, आरक्षित रिक्त पदों को तीन वर्ष तक आगे ले जाया जाता है। जीवन बीमा निगम ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को आयु, अर्हताएं तथा लिखित और मौखिक परीक्षाओं के अंकों के सम्बन्ध में भी शिथिलता दी है और उनसे आवेदन का शुल्क भी रियायती दरों पर वसूल किया जाता है।

महाराष्ट्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभ्यार्थियों की भर्ती

4638. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1 जनवरी, 1972 तक कितनी बार नये अभ्यार्थियों की भर्ती की थी तथा इसी अवधि में कितने अभ्यार्थी चुने गए थे ;

(ख) इसी अवधि में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने अभ्यार्थी चुने गए थे ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा इनमें रखा गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिये सरकार का विचार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) बैंकों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकों को निम्नलिखित कार्रवाई करने का परामर्श दिया है :—

(i) इन जातियों के सदस्यों के लिए अर्हताओं के निम्न स्तर निर्दिष्ट किए जाएं ।

(ii) अधीनस्थ कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ही रखा जाए ।

(iii) सरकार की हिदायतों के अनुसार रिक्त पदों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार किया जाए ।

(iv) भरती के लिये किये गये विज्ञापनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ; और उस विज्ञापन की एक प्रति बैंकिंग विभाग को भेजी जाय ।

(v) प्रत्येक बड़ी भरती के बाद उसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट निदेशक बोर्ड के समक्ष रखी जाय जिसमें बैंक द्वारा भरती किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या तथा यदि उनके प्रतिशत में कोई कमी हो गयी हो तो वह भी दी जाय और इसके कारण बताए जायें कि पूरा कोटा क्यों नहीं भरा गया है ।

Overdraft by Bihar

4639. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of overdraft drawn by Bihar from the Reserve Bank of India till date ;

(b) whether the Central Government have given any ultimatum to the Bihar Government in this regard ; and

(c) if so, the position of the Bihar Government as compared to that of other State Governments in regard to overdrafts ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Bihar has have no overdraft on the Reserve Bank of India since 1st May, 1972.

(b) and (c) Does not arise.

मजूरी, आय तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण

4640. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजूरी, आय तथा सम्पत्ति के बारे में हाल ही में कोई एकीकृत नीति निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की समग्र नीति के संदर्भ में मजूरी, आय और सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक एकीकृत नीति बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की आय पर प्रतिबन्ध लगाने की योजना

4641. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की आय पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ; ओर

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अनुसार किसी करदाता द्वारा किसी कर्मचारी अथवा किसी भूतपूर्व कर्मचारी को वेतन की अदायगी के लिए अथवा ऐसे किसी कर्मचारी को कोई परिलब्धियां आदि प्रदान करने के लिए किये गये खर्च की, ऐसे वेतन की 5000 रु० मासिक से अधिक की राशि और ऐसी परिलब्धियों की 1000 रु० मासिक से अधिक की राशि को कटौती-योग्य व्यय के रूप में छूट नहीं दी जायगी । कम्पनी-कार्य विभाग, कम्पनियों द्वारा अपने प्रबन्धकीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशियों का विनियमन भी करता है । लेकिन विशेष रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र के अपेक्षाकृत उच्च वेतनभोगी व्यक्तियों की आमदनियों पर रोक लगाने की कोई योजना अलग से तैयार नहीं की गयी है ।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत धन इकट्ठा करने के लक्ष्य

4642. **श्री चिन्तामण पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत धन इकट्ठा करने के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक बचत की कितनी राशि इकट्ठी की गई है ; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में इकट्ठी की गई बचत की राशि इससे कम थी अथवा अधिक ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चालू वितीय वर्ष में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत धन इकट्ठा करने के लिए कुल 230 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) तथा (ग) अप्रैल से सितम्बर, 1972 तक की अवधि में अल्प बचतों से लगभग कुल 98.69 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि इकट्ठी की गयी, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में 50.47 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी हुई थी ।

कच्चे पटसन के आयात पर प्रतिबन्ध

4643. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि किसी भी पटसन मिल को किसी भी विदेश से कच्चे पटसन के आयात के लिए अनुमति न दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं । आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से व्यवस्थित किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुछ देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन

4644. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 तथा 1971-72 में कुछ देशों के साथ व्यापार सन्तुलन हमारे प्रतिकूल था ; और

(ख) यदि हां, तो कितना, और किन देशों के साथ है तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4049/71]**

धातु चमकाने वाले मिश्रण का विनियम के आधार पर आयात

4645. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बहुत अधिक मात्रा में धातु चमकाने वाले मिश्रण का विनियम के आधार पर आयात करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Payment of Interest on Central Loans by States

4646. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of interest on loans being paid by each of the States to the Central Government as also the total amount of interest payable by each of them at present ;

(b) whether many States are unable to pay the total amount of interest outstanding against them and still they are advanced loans by the Central Government ; and

(c) if so, the names of the States together with the amount of interest outstanding against each of them ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) According to the Finance Accounts and Audit Report 1970-71, the amount of interest paid by each of the State Governments during that year and the amount of default in the payment of interest (outstanding

at the end of the year) is given below :—

(Rs. in crores)

State	Amount of interest paid during 1970-71	Amount of interest outstanding on 31.3.71.
1. Andhra Pradesh	26.22	..
2. Assam	0.75	..
3. Bihar	28.16	..
4. Gujarat	12.34	..
5. Jammu & Kashmir	6.48	8.45
6. Kerala	11.50	..
7. Madhya Pradesh	19.48	..
8. Madras	11.95	..
9. Maharashtra	19.96	0.10
10. Mysore	15.10	..
11. Orissa	15.88	..
12. Punjab	9.81	..
13. Rajasthan	24.92	..
14. Haryana	7.38	..
15. Uttar Pradesh	32.37	..
16. West Bengal	0.01	8.52
17. Nagaland	0.82	..

The amount of interest paid by each State to the Central Government during 1971-72 and the amount estimated to be payable during 1972-73 is indicated below :—

(Rs. in crores)

State	Amount of interest paid during 1971-72	Amount of interest estimated to be payable uring 1972-73
1. Andhra Pradesh	27.16	28.13
2. Assam	15.47	14.88
3. Bihar	29.15	31.37
4. Gujarat	12.65	13.27
5. Haryana	8.00	8.74
6. Himachal Pradesh	4.22	4.86
7. Jammu & Kashmir	..	14.10
8. Kerala	12.65	13.16
9. Madhya Pradesh	19.56	..*
10. Meghalaya	0.7	1.28
11. Maharashtra	21.70	24.23
12. Mysore	16.06	16.95
13. Manipur	..	1.34
14. Nagaland	0.94	1.05
15. Orissa	17.55	20.30
16. Punjab	9.88	7.94
17. Rajasthan	27.02	24.79
18. Tamil Nadu	21.73	16.52
19. Tripura	..	1.80
20. Uttar Pradesh	34.41	35.78
21. West Bengal	27.35	28.45

(*Information is not readily available)

The above figures are provisional. As the certified figures are not available, the defaults by States in the payment of interest during 1971-72 have not been indicated.

Some of the States may be having temporary ways and means ni difficulties. As, however, the estimated resources and plan and non-plan expenditure (including interest liability) of each State are discussed with the Planning Commission and the Ministry of Finance before finalisation of estimates for the following year and, if necessary, special accommodation granted to the deficit States, to cover their non-plan gap, there should not be any difficulty in the payment of interest by the States. The loans are advanced to the States either for specific projects, schemes and for plan schemes or relating to small savings collections in accordance with the agreed formula and principles. Wherever necessary the recovery of arrears of interest and/or repayment of loans is adjusted against fresh loans granted to them.

Places where Handicrafts Exhibitions were organised in India

4647. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the names of places where handicrafts exhibitions were organised in India during 1971 and the total amount of expenditure incurred thereon ;

(b) whether any handicrafts exhibition was organised in any foreign country during 1971 and whether India participated therein ; and

(c) if so, the names of foreign countries and the total amount of expenditure incurred by India thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) A statement is attached.

(b) The Government have not organised, or participated in any Handicrafts Exhibition during 1971 in any foreign country.

(c) Does not arise.

Statement

Names of places where handicrafts exhibitions were organised in India during 1971 and the total amount of expenditure incurred thereon is indicated below :—

S. No.	Name and place of the Exhibition	Amount incurred thereon
1.	Handicrafts Bazar, New Delhi	Rs. 22,776.31
2.	Indian Rail Exhibition	Rs. 1,44,861.25
	(visited 30 to 40 stations in India)	Rs. 1,27,763.18
3.	Exhibition of Eastern Region's Crafts, Bombay	Rs. 9,920.42
4.	Exhibition of U. P. Crafts, New Delhi	Rs. 18,709.10
5.	Exhibition of Andhra Pradesh Sarees, New Delhi	Rs. 1,883.82
6.	Craft Designs, New Delhi	Rs. 25,700.00
7.	Exhibition of Andhra Pradesh Crafts, Bombay.	Rs. 23,810.40
8.	Exhibition of Parulia Masks, Calcutta	Rs. 412.95

Expenditure Incurred on Economic Division of Finance Ministry

4648. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total annual expenditure incurred on Economic Division of his Ministry and the functions thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : An amount of Rs. 8,70,000/-, by way of establishment and other charges and travelling expenses, is incurred annually on the Economic Division in the Department of Economic Affairs.

The Economic Division is an Advisory Wing of the Department of Economic Affairs and its main function is to examine trends in the economy and undertake technical economic studies with a view to advise the Ministry on questions of economic policy. It also prepares Economic and Functional Classification of the Central Government Budget which is presented to the Parliament every year. The Division is responsible for the overall Price Policy of the Government. It also prepares briefs on economic matters for Indian delegations to the meetings of the United Nations General Assembly, the Economic and Social Council, the I. M. F. and I. B. R. D., the Aid India Consortium and various international conferences.

Investigation into the Causes of Air Crashes Involving the Aeroplanes of Indian Airlines and Air India

4649. **Shri M. C. Daga**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the causes of all the air crashes in the country involving the aeroplanes of Indian Airlines and Air India during the last two years were investigated by Government :

(b) if so, the main causes of most of the air crashes ; and

(c) the measures that have been taken by Government in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Yes, Sir. Out of nine accidents, seven have been investigated. The final investigation reports in two cases are awaited.

(b) Out of 7 accidents in respect of which investigations have been completed, 6 were due to pilot error and 1 due to mechanical failure.

(c) The defaulting pilots were warned to be careful and others found deficient in their techniques were kept off command till such time as they acquired the required proficiency after corrective training and checks. The engineers involved were reprimanded and inspection procedures improved. The operators were directed to lay great emphasis on training.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अकाल राहत के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता की कथित कमी

Shri M. C. Daga (Pali) : I call the attention of the Minister of Agriculture to the following matter of urgent public importance and request that he make a statement thereon—

"The reported lack of central assistance to Rajasthan to tide over famine conditions prevailing in 12,500 villages there."

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : जैसा कि सदन को मालूम है, दक्षिण-पश्चिमी मानसून वर्षा की कमी के कारण चालू वर्ष के दौरान सूखा पड़ने से कई राज्यों में कमी की स्थिति पैदा हो गयी थी, जिनमें राजस्थान भी एक राज्य है। राज्य सरकार से

प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के 26 जिलों में से 24 जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें लगभग 19,000 गांव हैं। तथापि, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्य को इस प्रयोजन के लिए विहित कार्यविधि के अनुसार आवश्यक केन्द्रीय सहायता दी गयी है और दी जाती रहेगी।

इस वर्ष अप्रैल में राज्य सरकार ने एक दल नियुक्त करने के लिए हमें अनुरोध किया था जोकि पिछली रबी फसल के आंशिक रूप से असफल रहने के परिणामस्वरूप राज्य के जिन भागों में कमी की स्थिति चल रही थी वहां राहत कार्य शुरू करने के लिए खर्च की सीमा की सिफारिश करेगा। एक केन्द्रीय दल ने राज्य का मई, 1972 में दौरा किया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर जून और जुलाई, 1972 के महीनों के लिये 2.18 करोड़ रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गयी थी।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून के असफल रहने से स्थिति और बिगड़ गई और जिससे राज्य का बहुत इलाका प्रभावित हो गया। ज्योंही हमें स्थिति से अवगत कराया गया त्योंही राहत कार्यों को चालू रखने के लिए राज्य को एक करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता दी गई थी और स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए एक अन्य केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय किया गया था। इस बीच में राज्य के कुछ भागों में बाढ़ों से क्षति होने के कारण राज्य सरकार ने इस क्षति का अन्दाजा लगाने के लिए एक दल भेजने का अनुरोध किया था। तदनुसार, केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था और उसकी सिफारिशों पर राज्य के पूर्वी जिलों के कुछ भागों में बाढ़ सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए 4.38 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा निर्धारित की गई थी।

दूसरे केन्द्रीय दल ने नवम्बर, 1972 के अन्त में राज्य का दौरा किया था और उसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में प्राप्त होने की आशा है।

जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है, केन्द्रीय सहायता राहत प्रयोजन के लिए अपनाई गई सीमा के अन्दर खर्च की प्रगति के आधार पर दी जाती है। राज्य सरकार को अब तक राहत सम्बन्धी खर्च के लिए 2 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जैसाकि राज्य सरकार ने हाल ही में सूचित किया है, सितम्बर, 1972 के अन्त तक खर्च मंजूरशुदा राशि के अन्दर ही हुआ है।

आपातिक उत्पादन कार्य-क्रम के अधीन मेरे मन्त्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 3.4 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है जिसमें से 75 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इसके अलावा, हमने कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋणों के रूप में 1.28 करोड़ रुपये दिए हैं।

राज्य सरकार बराबर आवश्यक राहत उपाय कर रही है जिनमें ये उपाय शामिल हैं— राहत कार्य खोलना, पेय जल पहुंचाने की व्यवस्था, चारे की सप्लाई और मवेशी कैम्प खोलना, मुफ्त सहायता देना और खाद्यान्नों की सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त करना। मेरे मन्त्रालय ने राज्य सरकार की खाद्यान्नों से सम्बन्धित सभी उचित मांगों को पूरा किया है।

अत: माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता की कोई कमी नहीं आने दी गई है और राज्य सरकार द्वारा भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। हम स्थिति पर बराबर निगरानी रख रहे हैं तथा राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिए यथा आवश्यक समय समय पर सभी उपाय किए जाएंगे।

Shri M. C. Daga : A large number of villages and people in Rajasthan are worst hit by drought and famine. Whereas a sum of Rs. 10 crores have been provided to Maharashtra, only Rs. 2 crores have been given to Rajasthan. In Maharashtra 20 lakhs people have been provided with jobs but in Rajasthan only 40,000 people have been provided with jobs.

The famine condition in Rajasthan is very garve. The people are leaving their villages. The problem of Rajasthan is the problem of the entire country. About 15 million people are on the verge of starvation in the State. In Maharashtra 23,000 fair price shopes have been opened but in Rajasthan even the accumulated stock of foodgrains has been taken away.

Rajasthan is heavily under debt, and its economic structure is going to collapse. There is no industry in Rajasthan. About 7,700 wells have gone dry for want of power. We have asked many times to complete the Rajasthan canal by treating it a national project.

The Kharif crop in the state has been damaged. We had asked to supply 50 lakh tons of foodgrains but only 10 lakh tons have been supplied. We require foodgrains instead of consolation. In case of failure of rains, you will have in arange for irrigation facilities.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को अच्छी तरह समझता हूं कि क्या सूखे की स्थिति से बुरी तरह ग्रस्त राजस्थान के लोगों को पर्याप्त राहत दी जायेगी। राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ही आवश्यक राहत देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पिछले छः-सात महीनों में 3 केन्द्रीय दलों ने राज्य का दौरा कर 7 से 8 करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश की है परन्तु राजस्थान सरकार ने इनमें से केवल 91 लाख रुपया खर्च किया है। अन्तिम केन्द्रीय दल ने हाल में नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में राजस्थान का दौरा किया है। जब यह दल अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा तब भारत सरकार उसके आधार पर राजस्थान को भारी सहायता देगी। राजस्थान को इसी महीने 25,000 टन अनाज दिया गया है। हम कुछ मक्का देना चाहते थे परन्तु स्वयं राज्य के मुख्य मंत्री ने उसे लेने से इंकार कर दिया। मक्का ही नहीं हमने गेहूं भी आवंटित किया है। मैं आश्वासन देता हूं कि राजस्थान की सभी न्यायोचित आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी।

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में सूखा लगातार पड़ता रहता है और मवेशियों को वहां से सामान्यतः ले जाया जाता है। परन्तु इस वर्ष बड़ी संख्या में मवेशी वहां से हटाये जा रहें हैं। राज्य सरकार ने 270 कैम्प मवेशियों के उत्प्रवास के लिए खोले हैं। हम राजस्थान सरकार को यह सूचना मिल जाने पर कि उसने पहले दी गई 7–8 करोड़ रुपये की सहायता पूरी खर्च कर ली है, केन्द्रीय सरकार और सहायता देगी।

जहां तक राजस्थान नहर का सम्बन्ध है उसके लिए 11 करोड़ रुपया मंजूर किया गया था। भारत सरकार आगामी महीनों में और अधिक धन आवंटित करेगी।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : The present conditions in Rajasthan can be compared with that of the shephered boy who used to shout daily for protection from wolf. Today the famine has assumed serious dimensions in Rajasthan. It is mainly due to the strengent economic condition of the State. As the hon. Minister has sai l, the Rajasthan Government could utilize only Rs. 91 lakhs out of the relief assistance of Rs. 7-8 crores. It is due to the fact that the people do not want to go there for work since Rajasthan Government offers only Rs. 1 to Rs. 1.50 as wages which are not adequate even for filling the belly and Rajasthan Government cannot echance it in view of its deficient resources.

Rajasthan is also facing another problem of drinking water shortage which becomes more acute on account of failure of rains. The State Government do not have sufficent number of water tankers. I want to know whether adequate number of fair price shops have been opened in the state and whether they are being supplied required quantity of foodgrans.

I want an assurance from the hon. Minister that he would accede to the request of the state Government to allocate money for material and labour components too under the drough eradication programme.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : निस्संदेह राजस्थान के सामने पेय जल की भयंकर समस्या है। राजस्थान सरकार ने स्वयं इसके लिए 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उसकी यह योजना भी है कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में 6,000 कुएं खोदे जायें। जहां तक मजदूरी देने का सम्बन्ध है, यदि राज्य सरकार उसे बढ़ाना चाहती है तो केन्द्रीय सरकार उसमें बाधक नहीं होगी। मार्गोपाय सम्बन्धी प्रमुख मामलों के बारे में राजस्थान सरकार वित्त आयोग से बातचीत कर सकती है। भारत सरकार वर्तमान स्थिति को देखते हुए अकाल राहत के लिए तदर्थ अनुदान दे सकती है। जहां तक मैटिरियल कम्पोनेंट का सम्बन्ध है राजस्थान सरकार को उस पर गौर करना पड़ेगा।

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore) : I appreciate the difficulty of the hon. Minister as explained by him. I make only one request that whatever assistance you give, that should be given quickly and it should be so much that can meet the requirment of the state.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अकालग्रस्त क्षेत्रों में मुख्य समस्या रोजगार देने की है। यदि राजस्थान सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का कोई विशाल कार्यक्रम आरम्भ करना चाहती है, तो हम उसे सहायता देंगे। राजस्थान के 10 जिलों को अकाल संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। यदि राजस्थान सरकार कार्यक्रम का विस्तार करना चाहती है और केन्द्रीय दल की सिफारिश के अतिरिक्त अग्रिम धन आवंटित करना चाहती है तो हम उसे सहायता कर सकेंगे।

Shri Panna Lal Borupal (Ganganagar) : It is but natural that being Maharashtrians the hon. Ministers of agriculture and Finance should have a soft corner for Maharashtra and as such they have opened more fair price shops there and have provided larger sums for that state Unlike Bihar and Maharashtra, the drought in Rajasthan has been a permanent fea ture since long The Schedule Castes and the Schedule Tribes are the main communities which have been worst. affected by drought. There is great corruption in handling the grant for drought relief. Only 60 per cent of the money sanctioned for relief work is utilised for the purpose and the rest goes to the pockets of the individuals. Such corruption should be pervented.

The Rajasthan Canal has not been completed so for inspite of the popular demand to construct it on a war footing. 50 lakh area of land can be irrigated on early completion of this canal and consequently it will help increased production of food grains and fodder and in setting up of industries in the State.

The Government should ensure that the foodgrains supplied to fair price shops are not sold in the black market. At present the financial condition of the State Government is weak. Therefore the State should be provided with finacial assistance and raw material as early as possible. The labourers should be paid wages accesting the central labour laws. The Govt. should find out a permanent solution of the problem.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अनियमितताओं और तथाकथित कदाचार के सम्बन्ध में हमने समय समय पर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तथा राजस्थान सरकार ने राहत कार्यों

के संचालन में सुधार किया है। जहां तक सहायता के ढांचे का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार किसी भी दैवी विपदा या सूखे के मामले में कुल 75 प्रतिशत राशि देती है और 25 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को वहन करना होता है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में होता है। यदि माननीय सदस्य या राज्य सरकार को इस बारे में शिकायत है, तो वे छठे वित्त आयोग के सामने उसे रख सकते हैं, जो इन समस्याओं पर विचार कर रहा है।

राजस्थान नहर के बारे में आज सभा में आने से पूर्व मैंने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से परामर्श किया था। आगामी वर्ष के लिए नियतन 11 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए करने का विचार है। यदि राजस्थान सरकार उपलब्ध धनराशि खर्च करती है, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए अधिक राहत कार्य आरम्भ करना सम्भव होगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हम राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। जहां भी बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, वहां पर सहायता देना हमारा कर्त्तव्य है। योजना आयोग के केन्द्रीय दल वहां पर जाकर स्थिति का अध्ययन करते हैं तथा केन्द्रीय सरकार उनकी सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करती है।

कुछ माननीय सदस्य ***

— ———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दान-कर अधिनियम आदि के अधीन नियम और अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दान-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर, 1972 (अंग्रेजी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सां०-आ० 706 (ङ) और भारत के राजपत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4039 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०–4028/72]**

(दो) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 की एक प्रति जो भारत के राज-पत्र, दिनांक 15 नवम्बर, 1972 (अंग्रेजी संस्करण में अधिसूचना संख्या सां० आ० 707 (ङ) और भारत के राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4040 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०--4029/72]**

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded.

(तीन) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 में अन्तर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1972 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर, 1972 (अंग्रेजी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सां० आ० 708 (ङ) और भारत के राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सां० आ० 4041 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी०--4030/72]**

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के बारे में एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०आं० नि० 468 (ङ) और 469 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०-- 4032/72]**

कम्पनी अधिनियम के अधीन नियम

कम्पनी कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1529 में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०--4033/72]**

टैरिफ आयोग अधिनियम आदि के अधीन प्रतिवेदन आदि

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) पटसन के सामान की विभिन्न किस्मों की कीमत के ढांचे के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1971)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 16016/1/71 टैक्स (डी), दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(2) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के भीतर उपर्युक्त मद (5) में उल्लिखित दस्तावेज सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद (5) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4034/72]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-4035/72]

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, मैंने किसी भी सदस्य का नाम नहीं पुकारा है। सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

***

तत्पश्चात् श्री मधुदण्डवते तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर चले गये।

Mr. Madhu Dandavata and some others then left the House

राज्य सभा से प्राप्त सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 12 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 1972 को पास किये गये कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1972 से, बिना किसी संशोधन के- सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 14 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1971 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को राज्य सभा 83वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not recorded.

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1972

(2) विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1972

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

54वां प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमलापुरम) : मैं विदेश मन्त्रालय, औद्योगिक विकास विभाग और पुनर्वास विभाग सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970-विनियोग लेखे (सिविल) 1968-69 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के पहले प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रेल अभिसमय समिति
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं "लेखा सम्बन्धी विषयों" के सम्बन्ध में रेल अभिसमय समिति, 1971 का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमन्. मैं 18 दिसम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आज की कार्यसूची से आगे ले जाए जाने वाले सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार

(2) विचार तथा पास करना :—

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1972

राष्ट्रीय पुस्तकालव विधेयक, 1972

रिचर्डसन और क्रूड्डास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1972

(3) रेल अभिसमय सम्बन्धी संकल्प पर विचार ।

(4) राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) विधेयक, 1972, पर आगे विचार तथा पास करना

(5) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये सहमति प्रस्ताव के बारे में विचार ।

(6) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(7) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा पास करना :—

शिशु, (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।
चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1972

राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू और काश्मीर का विस्तार) विधेयक, 1972

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1972

समुद्री तोपखाना अभ्यास (संशोधन) विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि), 1972

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : A demonstration is being held outside the House by the employees of Post and Telegraphs, Railways and Defence Services for grant of bonus and immediate submission of report of the pay commission. These demands of workers should be considered sympathetically.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, एक लाख से भी अधिक रेलवे कर्मचारी बोनस के भुगतान के लिये बोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा सभी श्रमजीवियों को बोनस मिलना चाहिये । यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है, तो मन्त्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये ।

वेतन आयोग का प्रतिवेदन देने में बहुत विलम्ब हुआ है । मन्त्री महोदय यह कहने में भी असमर्थ हैं कि प्रतिवेदन इस महीने में पेश कर दिया जायेगा । मैं इसके विरोध में सभा से बाहर जा रहा हूं ।

[तत्पश्चात् श्री एस० एम० बनर्जी सभा से बाहर चले गये]

[Shri S. M. Banarjee there left the House]

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि दल-बदल रोक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। उड़ीसा में सरकार की सांगगांठ से दल-बदल हो रहा है। दल-बदल सम्बन्धी समिति की सिफारिशों, जिसमें श्री सीतलवाड, श्री दफ्तरी, श्री कुमारमंगलम और श्री सीरवाई जैसे न्यायशास्त्री थे, और अध्यक्ष सम्मेलन में की गई मांग के बावजूद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं जानना चाहता हूं कि यह विधेयक कब रखा जायेगा ?

दूसरी बात मैं संसद् कार्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों की बोनस की न्यायोचित मांग पर कब चर्चा होगी ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सभा का ध्यान विदेश मन्त्री द्वारा पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा के अंकन के बारे में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को राष्ट्र को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि कितना भारतीय राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया है और पाकिस्तान कितना राज्यक्षेत्र मिला है। सरकार जम्मू तथा अन्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अंकन के लिये भी सहमत हो गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के अन्तर्गत संविधान में अपेक्षित परिवर्तन के बिना न तो कोई भारतीय राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा सकता है और न ही कोई भूमि पाकिस्तान से स्थायी रूप में ली जा सकती है। पश्चिमी बंगाल में घेरूवाड़ी के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार की कार्यवही को संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के विपरीत होने के कारण अवैध घोषित किया था। सरकार को विवरण देना चाहिए और उस पर सभा में चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमन्, काश्मीर से कुमारी अन्तरीप तक और गुजरात से कामरूप तक के केन्द्रीय सरकार के लाखों कर्मचारी यहां आये हैं। विरोधी पक्ष सभा का त्याग कर चुका है। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम दल-बदल पर रोक सम्बन्धी विधेयक पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। विधेयक अभी तैयार नहीं है।

प्रो० समर गुह ने जो बातें उठाई हैं वे असंगत हैं।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष-न्यायालय) विधेयक
DUSTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 30 मार्च, 1973 तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 30 मार्च, 1973 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में घरों के जलाये जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING ALLEGED BURNING OF HOUSES IN CERTAN VILLAGES IN UTTAR PRADESH

अध्यक्ष महोदय : चूंकि हमें अपराह्न भोजन के लिए देरी हो रही है इसलिए आप इसे सभा-पटल पर रख दे ।

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ के ग्राम नोनारी व सजनी में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही के दौरान उल्लेख किया गया है । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 व 15 नवम्बर, 1972 को ग्राम नोनारी की दो प्रतिद्वन्द्वी जातियों के बीच एक गम्भीर घटना घटी जिसके दौरान दो व्यक्ति मारे गये और बताया गया है कि एक जाति विशेष के कुछ मकानों को जलाया तथा लूटा गया । 11 व्यक्ति घायल हुए । राज्य सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है । इस सिलसिले में 6 मामले दर्ज किए गये हैं तथा खुफिया विभाग द्वारा उनकी जांच की जा रही है । 14 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे ।

दूसरी घटना 12 दिसम्बर को दो विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के बीच ग्राम सजनी में हुई जिसमें लगभग 43 मकान आंशिक रूप में जल गये और कुछ व्यक्तियों को चोट आई । आगजनी, दंगे तथा लूटपाट के कुछ मामले दर्ज किये गये हैं और 24 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया—17 को मूल अपराधों के लिये और 7 को निरोधात्मक उपबन्धों के अधीन । संबंधित स्टेशन अधिकारी को मुअतल कर दिया गया है । वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर गये और स्थिति नियन्त्रण में बताई जाती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अधीन नोनारी और सजनी गांव में हुई घटनाओं की उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत जज से जांच करानी आरम्भ की है ।

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक
STATE FINANCIAL CORPORATION (AMENDMENT). BILL

अध्यक्ष महोदय : हम राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक पर अपराह्न के पश्चात् आगे चर्चा करेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourtecn of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 6 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई

The Lok Sabha then reassembled after lunch at six minutes past fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—जारी
STATE FINANCIAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri R. V. Bade (Khargoun) : Maharashtra and Tamil Nadu have received the maximum assistance from State Financial Corporation. Madhya Pradesh has not received any money either from the State Financial Corporation or from the Central Government. There are seventy thousand small scale units in the State. Out of these units only four thousand units have not been able to get some assistance I fail to understand the reason therefor.

In our State the Director of industries is taken from the I. A. S. cadre who is not a technical hand. He should be replaced by a technical hand in order to make the Corporation run smoothly.

I have got a copy of the annual report of Industrial Trade and development in India in which it has been mentioned that a Committee known as Talwar Committee was appointed to examine the scope for and formulate the Mechanics of Coordination between S. F. Cs and commercial Banks in assisting industries in the small and medium sectors. It would be very kind on the part if the Minister throws some light on those recommendations made by that committee.

In the Bill a provision has been made that regulations made under sub-section (3) of 48 of the principal Act shall be published in the official Gazette and any such regulation shall have effect from such earlier or late date as may be specified in the regulation. I fail to understand as to what are those regulations which were proposed to be given retrospective effect. My submission is this that such a provision is very dangerous, and thus it should not be there in the Bill. . .

The hon. Minister is aware of the fact that eighteen State Financial Corporations have been set up in the country. I would like him to infor.n the House as to how much money they

will get for the Central Government and how much for the banks. He should state whether any criterion been laid in this regard or not.

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : वित्त मंत्री ने गत नवम्बर में एक सम्मेलन बुलाया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। ये जो तीन संशोधन विधेयक बैंक के बारे में सभा के सामने लाए गए हैं यह उसी का परिणाम है।

माननीय सदस्यो को इन विधेयकों का क्या उद्देश्य है ? इस बात को समझना चाहिए। राज्य वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य मध्यम और छोटे दर्जे के उद्योगों का ख्याल रखना है। जो लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और उनके पास योजना है उनके रास्ते में धन की रुकावट न आए यह देखना निगम का काम है। निगम 30 लाख रुपये से अधिक धन की गारंटी नहीं करता। अतः लोगों का यह विचार कि निगम बड़े उद्योगों की अधिक सहायता करता है गलत सिद्ध हो जाता है। विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य वित्त निगम के क्षेत्राधिकार में उन उद्योगों को लाना भी है जो वित्तीय कार्यसंचालन से अब तक वंचित रहे हैं। अधिक सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए और सुविधायें उपलब्ध होंगी। इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य उद्यम, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना और देश के लिए अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाना है। अतः सभी माननीय सदस्यों को इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए।

यह आरोप लगाया गया है कि कुछ राज्यों को प्राथमिकता दी गई है। यह बात ठीक है परन्तु योजना आयोग, औद्योगिक विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालय किसी न किसी तरह से इसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। योजना आयोग ने देश के सभी पिछड़े जिलों के नाम प्राप्त कर लिए हैं। आई. डी. बी. आई. ने वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर लिया है कि किस किस पिछड़े जिले में कौन-कौन सा उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वे यह देखें कि जितने संसाधन उन्हें जुटाये गए हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग हुआ है या नहीं। इस मामले में राज्य वित्त निगम वास्तव में सहायता कर सकते हैं। राज्य व्यापार निगमों और राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। विशेष वर्ग पूंजी निर्धारित करने से पिछड़े क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। धन रियायती दरों पर उधार दिया जा सकता है और इससे पिछड़ापन दूर हो सकता है बशर्ते उसका पूरा उपयोग किया जाय।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रिजर्व बैंक से ऋण में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे राज्य वित्तीय निगमों को अधिक साधन उपलब्ध हो गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार उद्योग आरम्भ करने के लिए धन जुटाने में कितनी रुचि रखतो है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की थी कि प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति सम्बन्ध उपलब्ध में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन होता है। सरकार ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती है जिससे स्वायत्तता का उल्लंघन हो। इस सम्बन्ध में हमारा उद्देश्य केवल यही था कि प्रबन्ध निदेश की नियुक्ति करते समय हम किसी निर्यात संगठन की सलाह ले लेते क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण पद को धारण करता है। अतः इस उपबन्ध का स्वागत किया जाना चाहिए।

जमानत के बारे में कुछ उदारता बरती गई है। यदि कोई ऐसी योजना सामने आती है जिससे देश में ऐसा उत्पादन हो सकता है जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है तो जमानत के कारण उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए ऐसा उपबन्ध किया गया है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

श्री पंडा ने कहा था कि कम्पनी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए। हम प्राइवेट कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सीमित नहीं करना चाहते हैं। हम इसे सभी उद्योगों को देना चाहते हैं। यह बात उद्योग संगठनों पर निर्भर करती है कि वे उसका कितना लाभ उठाते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई अपवाद नहीं है कि लिमिटेड कम्पनी को 30 लाख से अधिक और स्वामित्वकारी कम्पनी का 15 लाख से अधिक लाभ नहीं मिल सकता।

श्री चटर्जी ने धारा 28 के बारे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों की अवहेलन करके लाया गया है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। विधि मंत्रालय ने इस विधेयक का प्रारूप ध्यानपूर्वक बनाया है। उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय से इसे समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

इस प्रकार श्री सोमनाथ चटर्जी की दलील ठीक नहीं लगती। श्री बड़े ने यह जानना चाहा है कि कितने लघु उद्योगों को सहायता दी गई है। 1971-72 में लगभग 4700 यूनिटों को सहायता दी गई थी। यह लगभग 90 प्रतिशत बैठती है। राज्य वित्त निगमों ने अपनी निधियों में 15,500 यूनिटों को सहायता दी है। बैंक भी वित्तीय सहायता देते हैं। तलवाड़ समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। उस पर यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकारें करती है। राज्य सरकारें कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करती हैं। ये निगम समन्वय कार्य करते हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने राज्यों के निगमों से सम्पर्क स्थापित करके लाभ उठा सकते हैं तथा नये उद्योगों की स्थापना में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

श्री आर० बी० बड़े : माननीव मन्त्री महोदय अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र और तमिलनाडु को अधिक सहायता क्यों दे रही है और मध्य प्रदेश को जो एक पिछड़ा राज्य है, को अधिक सहायता क्यों नहीं दे रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी क्षेत्र में चीनी की बहुत मिलें हैं। उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। भारत के उद्योग विकास बैंक के एक अध्ययन दल ने 15 या 16 राज्यों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। उससे यह पता चलेगा कि कौन सा जिला किस उद्योग की स्थापना के लिए उचित रहेगा। इस बारे में राज्य सरकारों को भी पहल करनी होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा आरम्भ करते हैं। श्री चटर्जी ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। परन्तु वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 15 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Vol. 2 to 15 were added to the Bill.

खण्ड 16— **(धारा 26 का संशोधन)**

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 6, पंक्ति 16—

'Any arrangement' ["किसी व्यवस्था"] **के पश्चात**
"under clause (a) (ca) or (g) of"

[खण्ड (क) (ग क) या (छ) के अधीन]

अन्तःस्थापित किया जाये। (संख्या)

[श्रीमती सुशीला रोहतगी।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 16, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 17 से 28, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clauses 17 to 28, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की अगली मद को लेंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाख से अधिक रेलवे, डाक व तार और प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारी बाहर एकत्र हुए हैं । सरकार को इनकी बोनस के साथ अन्य मांगों को स्वीकार करना चाहिए अन्यथा बड़ी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । ये लोग देश के सभी भागों से आये हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जायें ।

श्री समर गुह : 2 लाख से अधिक कर्मचारी एकत्र होकर मांग कर रहे हैं । यह एक असाधारण संख्या है । ये लोग सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं । देश की सुरक्षा इनके हाथ में है । सरकार को इस समय यह घोषणा कर देनी चाहिए कि इन लोगों को बोनस मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार इस बात को बार बार उठाना ठीक नहीं है ।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक
SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक उनके इस दृष्टि से शीघ्र पुनर्वास के लिए, कि ऐसे पुनर्वास से सस्ते किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जन-साधारण का हित साधन हो सके, उनका, लोकहित में, प्रबन्ध ग्रहण करने का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक 31-10-72 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा । इसके अधीन 46 रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के अधीन लाना है ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि कपड़े के उत्पादन में कमी न हो और रोजगार में कमी न हो । सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन उन 57 कपड़ा उफक्रमों प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था, जो या तो बन्द हो गए थे या होने को थे । सरकार को जनता के लगे धन का ध्यान रखना है । सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप धागे के उत्पादन में वृद्धि हुई है और एक लाख कर्मकारों को रोजगार मिल गया है । सरकार ने और अनेक कदम उठाये हैं ताकि इन उपक्रमों के काम में सुधार लाया जा सके ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो कपड़ा मिलों के कार्यकरण का अध्ययन करेगी और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देगी । सरकार उन उपक्रमों की पूरी पूरी सहायता करेगी जो इसकी मांग करेंगे ।

उन 57 यूनिटों के अलावा सरकार ने अन्य यूनिटों पर निगाह रखी है । यह रुग्ण उपक्रम

बड़ी गम्भीर अवस्था में थे और उनके बन्द हो जाने की आशंका थी। वहां पर उत्पादन कम हो गया था और मालिक कम्पनियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ एक मामलों में तो सरकार द्वारा जांच समितियां नियुक्त की गई थी। उन समितियों ने सिफारिश की थी कि सरकार इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले। कुछ मामलों में सरकार की जांच समितियों ने यह पाया कि कुछ मिलें रुग्ण अवस्था में चल रही हैं और वे किसी भी समय बन्द हो सकती है।

ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अध्यादेश जारी किया गया था। उसी के स्थान पर यह विधेयक लाया गया है।

इन 46 रुग्ण उपक्रमों का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभिरक्षकों के अधीन होगा। सरकार महा अभिरक्षक भी नियुक्त कर सकेगी इसी प्रावधान के अधीन सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम को महा अभिरक्षक नियुक्त किया है।

मुझे पूरी आशा है कि इस विधेयक से रुग्ण मिलों के कार्यकरण में सुधार होगा और जनसाधारण को अच्छा और कम दामों पर कपड़ा मिल सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं सरकार की नीति समझ नहीं पाया। कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। अब यह विधेयक राष्ट्रीयकरण की ओर एक कदम कहा जा सकता है। सरकार को इस प्रकार हमें गुमराह नहीं करना चाहिए। सरकार को पूरे रूप से राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। इसी से ही इस उद्योग को बचाया जा सकता है। सरकार इन बड़े बड़े मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इनका सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं कर रही है।

सरकार को तुरन्त कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। कपास के समूचे देश में समान मूल्य निर्धारित किये जाने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं।

नदी निगम विधेयक
RIVER CORPORATION BILL

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : मैं अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास के लिए एक नदी निगम की स्थापना का उपबन्ध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास के लिए एक नदी निगम की स्थापना का उपबन्ध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक
NATIONAL RIFLE TRAINING SCHEME BILL

उपाध्यक्ष महोदय : राइफल चलाने के अनिवार्य प्रशिक्षण का उपबन्ध करने वाले श्री सामन्त के विधेयक पर आगे विचार आरम्भ किया जाता है ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस विधेयक के उद्देश्य निस्संदेह सराहनीय और आकर्षक हैं, परन्तु इस विधेयक का इसलिए विरोध करना पड़ेगा क्योंकि इसके पारित हो जाने पर व्यावहारिक कठिनाइयां आयेंगी, राइफल चलाने का अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों को बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु इतने अधिक वित्तीय संसाधन कहां से आयेंगे । वित्तीय कठिनाइयों के कारण आधारभूत आवश्यकताएं तक पूरी नहीं की जा सकी हैं । ऐसी स्थिति में राइफल चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण देने के लिए कोई उपबन्ध करना एक काल्पनिक विचार है ।

इस बारे में दूसरी आशंका कानून और शांति की समस्या के सम्बन्ध है । जब लाठी चलाने का प्रशिक्षण देने के कारण देश में अव्यवस्था और अशांति की स्थिति पैदा हुई है, जिसके सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता के संशोधन का एक प्रस्ताव गत सत्र में प्रस्तुत हो चुका है, तो यदि लोगों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, तब देश के वर्तमान ढांचे को देखते हुए अवश्य ही अव्यवस्था फैलेगी । राइफल क्लबों की संख्या बढ़ाने का उपबन्ध किया जाना चाहिए और ये क्लब स्वभाव से ऐच्छिक होने चाहिए और उनकी सदस्यता सीमित होनी चाहिए । विभिन्न विश्वविद्यालयों में युवकों को सैनिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए एन० सी० सी० की योजना है, परन्तु धन की कमी के कारण विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थी यह प्रशिक्षण नहीं ले पाते । ऐसी स्थिति में देश में 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु वाले सभी व्यक्तियों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने की कोई पूर्णरूपेण योजना कैसे क्रियान्वित की जा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने 18 जुलाई, 1972 के पत्र में सभा को विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिश की सूचना दी है, परन्तु प्रतिरक्षा मंत्रालय का कोई मंत्री यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह विधेयक गृह कार्य मंत्रालय से भी सम्बन्धित है । प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने व्यस्त होने के कारण इस विधेयक का कार्य करने के लिए मुझे कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह के सभी मामलों में सभा के अध्यक्ष को यह सूचना देना आवश्यक है कि किसी विधेयक की जिम्मेदारी अमुक मन्त्री से लेकर दूसरे मंत्री को सौंप दी गई है ।

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : इस विधेयक का यह उद्देश्य कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राइफल चलाना आना चाहिए स्वीकार्य है, परन्तु उसमें अनिवार्यता का पुट आपत्तिजनक है ।

राइफल प्रशिक्षण प्रतिरक्षा सेवाओं, प्रादेशिक सेना, होमगार्ड, एन० सी० सी० और ग्राम रक्षा दल आदि द्वारा पहले से ही दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण संस्था तथा अन्य क्लब हैं जो नागरिकों को भी राइफल का प्रशिक्षण देते हैं ।

आज इस बात की आवश्यकता है कि हरेक व्यक्ति को राइफल चलाना आना चाहिए, परन्तु प्रशिक्षण देने की जो पद्धति उपबन्धित की गई है वह सही नहीं है क्योंकि जिस किसी काम को अनिवार्य बनाया जाता है लोग सामान्यतः उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते । अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं और श्री सामन्त से निवेदन करता हूं कि वह या तो विधेयक को संशोधित करें या उसे वापस ले लें तथा राइफल प्रशिक्षण का कार्य ऐच्छिक संगठनों के लिए छोड़ दें ।

गृह कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है । इस बारे में दो राय नहीं हैं कि हमें सभी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए । परन्तु इस समय हमारे देश में राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने वाले संगठन मौजूद हैं जैसाकि प्रादेशिक सेना जोकि 18 से 35 वर्ष के युवकों के लिए प्रशिक्षण देती है । किसी भी राष्ट्रीय आपात की स्थिति में उन्हें देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने को कहा जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय छात्र सेना दल है जो स्वस्थ शरीर वाले विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण देता है । राष्ट्रीय छात्र सेना दल में इस समय वरिष्ठ डिवीजन में 6 लाख और कनिष्ठ डिवीजन में 7 लाख विद्यार्थी हैं ।

इनके अतिरिक्त, गृह कार्य मंत्रालय के अधीन दो और प्रशिक्षण योजनाएं हैं । होमगार्ड योजना के अधीन देश में 7 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है । सीमा क्षेत्रों में भी लोगों को राइफल आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, एक नागरिक राइफल प्रशिक्षण योजना है जो लोक सभा में एक संकल्प के पारित होने पर 1954 में आरम्भ की गई थी । इसके अन्तर्गत सामान्य जनता को आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है । यह योजना 1963 में पुनः चालू की गई और 1964 में नागरिक राइफल ट्रेनिंग का एक केन्द्रीय बोर्ड गठित किया गया जिसकी कार्यविधि 3 वर्ष थी । यह अवधि हाल ही समाप्त हुई है । अतः इसके लिए एक नई समिति नियुक्त की जानी है । इसके अलावा सीमा सुरक्षा दल भी है ।

अतः सदस्य यह महसूस करेंगे कि हमारे युवकों को ऐसा प्रशिक्षण देने की पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं और प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति के बारे में हमें अधिक व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है । किसी भी देश के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के पास पर्याप्त शक्ति है ।

इस समय इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है । अतः मैं विधेयक के प्रस्तुतकर्ता सदस्य महोदय से अपील करूंगा कि वह इसे वापिस ले लें ।

श्री एस० सी० सामन्त (तमलुक) : मंत्री महोदय ने 1954 में लोक सभा द्वारा पारित किये गये जिस संकल्प का उल्लेख किया है वह मेरा संकल्प था । यह संकल्प संशोधित रूप में पारित हुआ था । मैंने यह विधेयक केवल इस अभिप्राय से प्रस्तुत किया है कि कुछ बातों को संहिताबद्ध करके एक विधेयक का रूप दिया जाये । यद्यपि राष्ट्रीय छात्र सेना दल, होमगार्ड आदि संगठन थे परन्तु तो भी यह संकल्प पारित कर दिया गया था । मेरा अभिप्राय इस प्रशिक्षण योजना के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड बनाने का था । यह आवश्यक है कि नागरिकों को भविष्य में यह प्रशिक्षण दिया जाता रहे ।

छः महीने का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें राइफल सम्भालना आयेगा और जब कोई आपात की स्थिति उत्पन्न हो तो उन्हें देश की प्रतिरक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर मैं नागरिक राइफल प्रशिक्षण संस्था सम्बन्धी व्यवस्था को संहिताबद्ध करना चाहता हूं।

यदि यह आश्वासन मिल जाये कि विधेयक में उल्लिखित योजना को सरकार आरम्भ करेगी तो मैं विधेयक वापिस लेने के लिए तैयार हूं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : केन्द्रीय बोर्ड बनाया जा चुका है और हमने राज्य सरकारों से ऐसी समितियाँ बनाने का अनुरोध किया है। हम किसी राइफल प्रशिक्षण संस्था में शामिल होने के लिए किसी नागरिक के रास्ते में रुकावट नहीं डालते। हम यह अनिवार्यता का तत्व नहीं लाया जाना चाहते कि हरेक व्यक्ति को राइफल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से लेना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव में संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

Amendments No. 1 and 2 were put and negatived

श्री एस० सी० सामन्त : मैं अपने विधेयक को वापिस लेने की सभा से अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि बीस से तीस वर्ष तक की आयु के समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को राइफल चलाने का अनिवार्य प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाला विधेयक वापिस लेने की श्री एस० सी० सामान्त को अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1972
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1972

आठवीं अनुसूची का (संशोधन)

डा० कर्ण सिंह : राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने और उसे आठवीं अनुसूची में सही स्थान दिलाने वाला विधेयक पुनः पुरःस्थापित करने का जो यह अवसर मिला है मैं उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। दो करोड़ से भी अधिक व्यक्ति राजस्थानी बोलते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थानी को एक भाषा की मान्यता नहीं दी गई है। वास्तव में हम इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। हम राजस्थानी लोगों ने हिन्दी सीखी है, उसे जन्म से नहीं बोलते।

पहली जनगणना के अनुसार अनुमानतः दो करोड़ व्यक्ति राजस्थानी भाषा-भाषी थे। ये लोग विश्व भर में फैले हुए हैं। मैंने राजस्थान से आये लोगों को मद्रास और कलकत्ते तक में राजस्थानी बोलते देखा है, यही नहीं वरन् वर्मा, कम्बोडिया, हांग कांग, इंगलैंड और विश्व के अनेक स्थानों पर राजस्थानी लोग अपनी भाषा में ही बातचीत करते हैं। क्योंकि जिस भाषा को हमने बचपन से सीखा है उसमें ही हम बात करना चाहते हैं।

राजस्थान साहित्य सम्मेलन में जयपुर में पंडित नेहरू ने कहा था, "हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगू, कन्नड, मलयालम और राजस्थानी जैसी प्रान्तीय समस्याओं का हम विकास चाहते हैं।" हम राजस्थानी लोग अपने राष्ट्र के लिये हर बलिदान करने को तैतार हैं, परन्तु तभी जब देश की सभी प्रमुख भाषाओं को 20 या 30 वर्षों के अंदर हटाकर हिन्द्री को एकमात्र भाषा बनाने के लिये एक समयबद्ध कार्य सभा के समक्ष रखा जाय। ऐसी दशा में मैं अपना विधेयक अभी भी वापस लेने को तैयार हूं। परन्तु अन्य प्रादेशिक भाषाओं के जारी रहने पर तो राजस्थानी को भी अन्य भाषाओं के बराबर स्थान दिया जाना चाहिये।

यह कहना गलत होगा कि राजस्थान में कोई एक भाषा नहीं है। इंग्लैंड में भी जब मैं वेल्स, स्काटलैंड या लंदन या दक्षिणी इंग्लैंड में भी गया तो वहां के लोगों को अंग्रेजी भाषा एक ही तरह से बोलते हुए नहीं देखा। इस प्रकार बोलियों के अंतर होने के कारण राजस्थानी को एक भाषा कहना उचित न होगा।

मरुस्थलीय प्रदेशों में स्कूल अध्यापकों को हिन्दी पढ़ाते समय पहले उसे राजस्थानी में अनुवाद करना पड़ता है तब उसे हिन्दी में स्पष्ट करना होता है। यह कोई असामान्य बात नहीं है। क्योंकि कोई बालक उसे इतना शीघ्र ग्रहण नहीं कर सकता।

अपने समृद्ध साहित्य के कारण भी राजस्थानी को एक भाषा के रूप में मान्यता मिलनी उसका यह अधिकार निर्विवाद है। मीराबाई राजस्थान की महिला थीं जिसके भजन आज जगत प्रसिद्ध हैं। बार्दिक (राजस्थानी) पद्य महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। बीकानेर के राठौर पृथ्वीराज की कृष्ण-रुक्मिणी सम्बन्धी कृति राजस्थानी साहित्य की समृद्ध खान से निकला एक महान रत्न है।

साहित्य अकादमी किसी भाषा की मान्यता के लिए कुछ कसौटियां निर्धारित की हैं जो ये हैं--कि ऐसी भाषा संरचनात्मक दृष्टि से एक स्वतंत्र भाषा होनी चाहिए, उसका अपना व्याकरण होना चाहिए, उसका एक निरन्तर इतिहास तथा तीन शताब्दियों से चली आ रही परम्परा होनी चाहिए, और उसका शब्दकोष होना चाहिए। जहां तक व्याकरण का सम्बन्ध है हमारे यहां अनेक व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारे यहां राजस्थानी भाषा का एक वृहद् शब्दकोष भी है। राजस्थान के विभिन्न स्थानों से राजस्थानी में अनेक पत्र पत्रिकाएं भी निकलती हैं। 'मेवाड़ टाइम्स' राजस्थानी में प्रकाशित होने वाला जोधपुर का एक दैनिक समाचार पत्र है। जहां तक लिपि का सम्बन्ध है राजस्थानी के लिए देवनागरी-लिपि का प्रयोग किया जाता है। मराठी के लिए भी देवनागरी-लिपि का प्रयोग किया जाता है परन्तु फिर भी उसे एक पृथक भाषा का स्थान मिला हुआ है। यही बात राजस्थानी के लिए भी लागू होनी चाहिए। डा० टेरीटोरी का कहना है कि 'पश्चिमी राजस्थानी और प्राचीन गुजराती सम्पूर्ण गुजरात और पश्चिमी राजपूताना में प्रचलित थी और वे 16वीं शताब्दी के अन्त के आसपास बहुत फलीफूली और अन्तिम रूप में दो पृथक देशी

भाषाओं की तरह विकसित हुई—एक आधुनिक गुजराती और दूसरी आधुनिक मारवाड़ी। अतः राजस्थानी की परम्परा 3 शताब्दियों से भी अधिक समय की है। राजस्थानी भाषा पर शोध करने वाले 13 संस्थान हैं। राजस्थानी भाषा में तीन फिल्में भी बन चुकी हैं।

वास्तव में साहित्य अकादमी द्वारा निर्धारित कसौटियों पर राजस्थानी एक भाषा के रूप में खरी उतरती है। साहित्य अकादमी ने पिछले वर्ष राजस्थानी को भारत की अन्य भाषाओं की तरह एक भाषा की मान्यता प्रदान की है।

हम चाहते हैं कि यह देश एकीकृत महान राष्ट्र बने ताकि हम अपना सिर ऊंचा करके खड़े हो सकें। परन्तु देश में विभिन्न भाषा की विविधता को ध्यान में रखना होगा। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सभी भाषाओं को उनको उचित स्थान दिया जाये। अपने पड़ौसी राज्यों जैसे कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि तथा अन्य राज्यो की तरह जहां कि अपनी अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, हम भी गर्व के साथ अपनी भाषा बोल सकते हैं। इसी कारण से यह विधेयक जिसमें राजस्थानी को मान्यता देने और उसे अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है, प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।" क्या श्री मूलचन्द डागा अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना चाहेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

"कि विधेयक पर 31 मार्च, 1972 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री माधुर्य हालदार (मथुरापुर) :* उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से डा० कर्णी सिंह के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। राजस्थानी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह आशंका बिल्कुल निराधार है कि हिन्दी ओर राजस्थानी भाषाओं में भी विवाद उठ खड़ा हो सकता है। यह बहुत ही अनुचित होगा कि एक ऐसी भाषा को, जो देश के दो करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, मान्यता नहीं दी गई है, अतः इसे अब संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नेपाली भाषा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बहुत से लोगों द्वारा बोली जाती है, इसकी मान्यता के लिए उनके द्वारा बहुत समय से किए जा रहे आन्दोलनों तथा उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे भी संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संथाली भाषा को भी अष्टम अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए। यह विहार के संथाल परगना, पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले और उड़ीसा के बहुत बड़े क्षेत्र के अनेक लोगों की भाषा है। इसलिए इसे उचित मान्यता मिलनी चाहिए।

* बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षेप हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated verssion based on English translation of the speech delivered in Bengali

मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि हमने अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया है, इसे अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे भी अष्टम अनुसूची में रखा जाना चाहिए—जबकि आंग्ल भारतीयों की भाषा है तथा नागालैंड और मेघालय ने इसे अपनी राजभाषा भी बना लिया है। मेरे विचार में भारत के पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राजभाषा, अन्तर्राज्यीय भाषा तथा सम्पर्क भाषा है। अष्टम अनुसूची का प्रयोजन है कि हिन्दी उसमें सम्मिलित भाषाओं से अपने आपको समृद्ध बनाये। राजस्थानी से अधिक से अधिक शब्द लेना हिन्दी के हित में है। राजस्थानी हिन्दी की बोली नहीं है। विश्व के भाषाविदों का मत है कि हिन्दी अपभ्रंश से बनी है जबकि गुजराती, सिन्धी और राजस्थानी सौरसैनी से विकसित हुई हैं।

भाषा के आवश्यक तत्व हैं— व्याकरण, वाक्य-विन्यास तथा शब्दकोष, जैसा डा० कर्णी सिंह ने कहा, राजस्थानी का चार खण्डों का एक शब्दकोष है जिसमें 2 लाख शब्द हैं। बंगाली की तरह राजस्थानी में हिन्दी के समान क्रिया में लिंग-भेद नहीं है। हिन्दी और राजस्थानी में वाक्य-विन्यास में भेद है।

यह आशंका निराधार है कि राजस्थानी के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से हिन्दी भाषी लोगों की संख्या कम हो जायेगी। हम तो हिन्दी के समर्थक हैं, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि उसे बोलने वाले लोग कितने हैं।

आज यदि कोई डाक्टर राजस्थान के किसी कोने में जाये और यदि वह राजस्थानी नहीं समझताहै और न बोलता है, तो वह रोग का निदान नहीं कर सकता। यदि कोई न्यायाधीश राजस्थानी नहीं जानता, तो वह दिए गए साक्ष्य को भी नहीं समझ सकता। इसी प्रकार यदि कोई प्रशासक राजस्थानी नहीं समझता तो वही राजस्थान के किसी भी हिस्से में प्रशासन का कार्य नहीं कर सकता है। राजस्थानी राजस्थान की राजभाषा है तथा न्यायालयों और कार्यालयों में राजस्थानी बोली जाती है। अतः अष्टम अनुसूची में स्थान पाने का गौरव प्राप्त करना राजस्थानी का उचित अधिकार है।

यह सच है कि राजस्थानी की अनेक बोलियां हैं। इसी तरह हिन्दी की भी भिन्न-भिन्न बोलियां हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिन्दी की बोली भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी-अपनी बोलियां हैं। साहित्य अकादमी ने राजस्थानी को पहले ही मान्यता दे दी है। भाषा आयोग के पहले अध्यक्ष, प्रोफेसर टैरीटोरी से लेकर टैगोर श्री नेहरू से लेकर श्री नम नारायण व्यास तक सभी भाषाशास्त्रियों की सर्वसम्मत राय है कि यह एक स्वतंत्र भाषा है।

इस प्रश्न पर हुई विगत चर्चा के समय श्री गोखले ने आशंका व्यक्त की थी कि ऐसा करने से अनेक भाषाओं के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की मांग की जायेगी। मैं तो समझता हूं कि इससे तो हमारा राष्ट्रीय जीवन समृद्ध होगा। एकीकरण और एकता का अर्थ समानता नहीं है। विभिन्नता में एकता वास्तविक एकता है। हम एकता के समर्थक हैं।

मैं अन्त में एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक नेता राजस्थान गए और हिन्दी में लोकतन्त्र और राजतन्त्र का अन्तर समझाने लगे। एक नव-विवाहित वधू ने समझा कि वे इत्र बेच रहे हैं क्योंकि राजस्थानी में अन्तर का यही अर्थ है। विश्व के सभी शिक्षा शास्त्री एकमत हैं कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मातृभाषा है। हमें अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं करना चाहिए। अतः राजस्थानी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए ताकि लड़के और लड़कियां भी राष्ट्रीय कल्याण में अपना योगदान कर सकें।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० कर्णी सिंह के विधेयक का समर्थन करती हूं। डा० कर्णी सिंह ने राजस्थानी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने के अनेक कारण बताये हैं मेरे लिए कहना कुछ शेष नहीं रह गया है।

इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि हम हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में चाहते हैं। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं, यह बड़े दुख की बात होगी यदि राजस्थानी बच्चे अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ाये जाते। यदि बंगाल में बच्चे बंगाली में न पढ़ सकते तो यह बंगाल के लिए दुर्भाग्य की बात होती। हमारा समूचा देश समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं का समुद्र है और यदि हम इसकी उपेक्षा करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी मातृभाषा को भूल जाएगी। इसलिए देश की सांस्कृतिक परम्परा को समृद्धशाली बनाने और उसकी विविधता के लिए राजस्थानी को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

Shri Panna Lal Borupal (Ganganagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Bill brought forward by Dr. Karni Singh. I can speak in Rajasthani but when I last spoke in Rajasthani my speech was not included in the record of proceedings since it is not included in the Eighth Schedule-

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

I know when it comes to voting I will have to vote against the Bill suppressing my conscience since I am bound down by party discipline.

There are lakhs of books in Rajasthani as it is a very rich language full of synonyms. It will be great injustice to Rajasthan if Rajasthani, which is spoken by two and a half crores of people in Rajasthan and by another crore of people outside Rajasthan, is not included in the Eighth Schedule. I am opposed neihter to English nor to mothertongues of other countrymen nor to any regional language. They are all languages of our country. I am susprised that Shri Patodia, who hails from Rajasthan and is a Deputy Minister, opposes the inclusion of Rajasthani in the Eighth Schedule.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, मैं प्रो० डी० ए० ग्रीअरसन द्वारा 1908 में 12 खण्डों में लिखे गये राजस्थानी सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डा० राधाकृष्णन ने जब वे भारत के राष्ट्रपति थे उन्हें पुनः मुद्रित कराया है। उन्होंने राजस्थानी को राजस्थान या रजवाड़े, जो राजपूतों की भूमि है, की भाषा बताया है, जो एक ओर पश्चिमी प्रदेश की हिन्दी तथा दूसरी ओर गुजराती से भिन्न है। वर्तमान युग के भाषा विशेषज्ञ डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने, जो एशियाटिक सोसाइटी आफ कलकत्ता के अध्यक्ष हैं, दि लेंग्वेजेस एण्ड लिटरेचर्स आफ

माडर्न इन्डिया' नामक अपनी पुस्तक में कहा है कि सिंधी, राजस्थानी, नेपाली, भोजपुरी और मैथिली भाषाओं को विशेष स्थान मिलना चाहिए। सिंधी को अब इक्कीसवें संविधान (संशोधन) अधिनियम के द्वारा उचित स्थान दे दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि अब भारत में सिंध राज्य नहीं है।

मुझे 19वीं शताब्दी के अन्त का वह समय याद आता है जब उड़ीसा बंगाल का भाग था, तो अंग्रेजों ने उड़ीसा को बंगाली की एक बोली मानने का प्रयास किया था। परन्तु मयूरभंज के राजा भंजदेव तथा बामरा के राजा वासुदेव सुधालदेव की अद्वितीय तथा देशभक्तिपूर्ण सेवा से उड़ीसा को उचित स्थान मिला। बाद में सभी प्रान्तों के उड़ीसा भाषी क्षेत्रों को मिलाकर 1936 में भाषायी आधार पर उड़ीसा राज्य बनाया गया।

एक गैर-सरकारी विधेयक को पारित करा सकना बहुत कठिन है। सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि राजस्थानी को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने के लिये विधेयक लाया जायेगा और डा० कर्णी सिंह से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपना विधेयक वापस ले लें ताकि सरकार अपना विधेयक ला सके।

Shri M. C. Daga (Pali) : The State of Rajasthan has adopted Hindi as its official language. In colleges in the State you have adopted two language formula. Where is the mother-tongue there and where is the three language formula ? Shri Barupal said that Rajasthani was spoken by three crores of people of Rajasthan. But I will like to know from him if the entire area of Siroha is not a Gujrati speaking area. If give recognition to Rajasthani, will they not like to merge with Gujarat Mr. Rao, the protagonist of Greater Haryana will seek the merger of Hindi speaking area into Haryana. Similarly the people of Bharatpur will like to go to the areas where *Brijbhasha* is spoken. Thus it would result in disintegration of Rajasthan.

I am one for enriching the Rajasthani and its literature. No one is opposed to it. But I have yet came across a judgment given in Rajasthani by a court right from the High Court to any lower court. Even the advocates do not use it in courts. Then there are people speaking quite different languages such as *Mewari, Marwari, Bhiliwari,* etc. After a distance of about 45 miles the language changes.

A reference was made to a number of books published in Rajasthani. I have yet to come across a newspaper which may be published in Rajasthani. I am surprised to find the supporters of the proposed Bll speaking in Hindi everywhere. There are numerous dialects in the country. Rajasthani is not taught in Rajasthan even at the primary level. All the students read Hindi. All the prominent leaders of various political parties do not address the people of the State in Rajasthani but in Hindi.

Mr. Chairman, Sir, I have given notice of a motion for circulation of the Bill for eliciting public opinion so that we may know how many people in Rajasthan are in favour of it. My submission is that whole of Rajasthan speaks Hindi.

श्री जी० विश्वनाथन (बान्डीवाश) : डा० कर्णी सिंह 1968-69 में इस विधेयक को लाये थे। परन्तु तब और दल के सभी सदस्यों ने उसका विरोध किया था परन्तु अब श्री डागा को छोड़कर अधिकांश कांग्रेसी सदस्य इसके पक्ष में बोले हैं। मेरा राजस्थान के संसद् सदस्यों से अनुरोध है कि वे राजस्थान विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करायें कि राजस्थानी को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाये। फिर सरकार नहीं न कर सकेगी।

1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी बोलने वाले लोगों की संख्या 1,49,33,016 थी। परन्तु 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या केवल 20,93,557 रह गई। यह संख्या जानबूझकर घटाई गई है। वास्तव में सरकार हिन्दी-भाषी लोगों की संख्या बढ़ाने के लिये देश में अन्य भाषा-भाषी लोगों की संख्या घटा देती है। यह देश की जनता के हित में नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : डा० कर्णी सिंह सभी राज्यों में हिन्दी प्रयोग किये जाने के विरुद्ध नहीं हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (झुनझुनु) : वे दोनों भाषाएं बोलते होंगे।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं उनसे सहमत नहीं हूं। डा० राधाकृष्णन ने कहा था कि लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रादेशिक भाषाओं की सांस्कृतिक प्रगति का अनुमान उनकी भाषा के रूप में ही लगाया जा सकता है, हिन्दी के रूप में नहीं। मैं समझता हूं कि 2 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। जब हमने अष्टम अनुसूची में 16 भाषाएं सम्मिलित की हैं, तो राजस्थानी को यह गौरव क्यों न प्राप्त हो ? 1971 की जनगणना के अनुसार केवल 2,212 लोगों ने संस्कृत को तथा 12,04,678 लोगों ने सिंधी को अपनी मातृभाषा घोषित किया था। जब लगभग 2,000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है, तो राजस्थानी को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है कि राज भाषा प्रयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों से दो प्रकार के नागरिक बन जायेंगे। एक तो हिन्दी भाषी जिन्हें हिन्दी भाषी होने के कारण विशिष्ट वशेषाधिकार प्राप्त हो जायेंगे तथा दूसरे अन्य भाषा-भाषी लोग, जो निम्न श्रेणी के नागरिक हो जायेंगे।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासोन हुए
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

डा० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, गढ़वाली आदि विभिन्न भाषाओं के भाषी उत्तर भारतीय लोगों ने उर्दू को अपनाया (जहां पहले अंग्रेजी स्कूलों ने कार्य करना आरम्भ किया) और उसके बाद उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया क्योंकि उनकी अपनी भाषाओं में गद्य शैली का विकास नहीं हुआ था। इसलिये उन्होंने वही भाषा अपना ली, जो नगरों में आधुनिक स्कूलों ने उनके सामने रखी। अब वे समझने लगे हैं कि चूंकि वे स्कूल की भाषा के रूप में खड़ी बोली बोलते और लिखते हैं, इसलिये वे हिन्दी भाषी हैं और उनकी भाषाएं हिन्दी की बोलियां मात्र हैं। वास्तव में वे हिन्दी के पक्ष में, जो यथार्थ में पाश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब और मध्य भारत के भागों, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की भाषा है, अपनी मातृभाषाओं की प्रगति को रोक रहे हैं। उनके अनुसार यही वास्तविक स्थिति है।

डा० पी० सुब्बारामन ने राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन के अपने विमति में कहा है कि हिन्दी समर्थक हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बताते फिरते हैं और ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास करते हैं कि हिन्दी अन्य भाषाओं से बहुत ही उत्तम है तथा यह राज भाषा से अधिक ऊंचा स्थान पाने की अधिकारी है। वे ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जैसे कि अन्य भाषा-भाषियों का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी सीखें।

मेरे यह सब कहने से अभिप्राय यह है कि दो करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को वह स्थान मिलना चाहिये जो देश की अन्य 16 भाषाओं को मिल चुका है। राजस्थानी को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : इस विषय पर इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए जिससे यह धारणा बने कि हिन्दी और राजस्थानी के बीच कोई झगड़ा है। वास्तव में झगड़े की ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग यह मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए वे भी देश की सेवा कर रहे हैं क्योंकि देश की हर भाषा उतनी ही पवित्र है जितना कि देश पवित्र है।

हमारे लिए यह शर्म की बात है कि विदेशी लोग यहां आकर हमारी भाषाओं का अनुसंधान तथा अध्ययन करें और हम लोग अपनी भाषाओं की निन्दा करें। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसी विशेष भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम है अथवा ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है भाषा को जीवित यानी प्रचलित होना चाहिए।

राजस्थानी भाषा-भाषियों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर आज 20,93,557 है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डा० सुनीति कुमार जैसे भारत के सुविख्यात राष्ट्रीय प्राध्यापक ने भी राजस्थानी को भारत की एक आधुनिक साहित्यिक भाषा माना है। जब इस भाषा के साहित्य को देश के सर्वोच्च विद्वानों तथा सुविख्यात साहित्यकारों ने मान्यता दी है, तो कानून बनाने वालों को भी ऐसी विशेषज्ञ संस्था के निर्णय को मान लेना चाहिए।

साहित्य अकादमी ने देश की बीस भाषाओं को मान्यता दी है जबकि हमारे संविधान में 16 भाषाओं को मान्यता दी गई है। शेष 4 भाषा-भाषियों ने ऐसा कौन सा कसूर किया है जो कि इन भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है हमारा संविधान, कानून, सरकार और विधान ये सभी साहित्य तथा भाषा के आन्दोलन से बहुत पीछे हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। भारत की जीवित भाषाएं और इन भाषाओं के बोलने वाले लोग अपने अधिकार के तौर पर मांग करते हैं कि उन भाषाओं को जिन्हें विश्व प्रसिद्ध साहित्यिक, विद्वानों और भाषा विशेषज्ञों ने मान्यता दी है, संविधान की आठवीं अनुसूची में समुचित स्थान प्रदान करना आवश्यक है और किया जाये।

राजस्थानी को यदि अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो राजस्थान को विभाजन का कोई खतरा नहीं होगा। राजस्थान एक रहेगा और भारत एक रहेगा चाहे भारत में कितनी ही भाषाएं क्यों न हों। जनगणनानुसार हमारे देश में 279 मातृ भाषाएं हैं। इन भाषा-भाषियों द्वारा अपनी-अपनी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग करना न्यायोचित है। संविधान का अर्थ भारत के लोगों की आशाएं तथा आकांक्षाएं प्रतिविम्बित करना है और न कि जनगणना में प्रकट वास्तविकताओं तथा तथ्यों की उपेक्षा करना है।

भाषाओं के दुर्बल होने के कारण उनके बोलने वालों की कमी होना नहीं है बल्कि इसका कारण यह है कि सरकार इन भाषाओं का समर्थन नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि वह

देश में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का समर्थन करे। इसलिए, देश में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में स्थान प्राप्त होना चाहिए जो न्यायसंगत होगा।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैं प्रस्तुत विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मेरे विचार में विघटनवादी प्रवृत्ति, जो मातृ-भाषा की मांग में निहित है, इस देश के लिए अब अतीत की बात बन गई है और मेरी धारणा यह है इस हैसियत से हमारा देश उस स्थिति से निकल गया है जिसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रश्नमात्र हमारे देश के एक हिस्से को हमारे राज्य की राज्यव्यवस्था से अलग कर देगा।

आज जब कि सारा पश्चिमी यूरोप शनैः शनैः अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त कर रहा है और एक ऐसी बड़ी राज्यव्यवस्था ला रहा जो अर्थशास्त्र से प्रेरित है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जैसा एक विकासशील तथा निर्धन देश केवल भाषाओं के प्रश्न पर नहीं फंसा रह सकता है। आज हमारी अपनी सरकार है और उसे लोगों की आवश्यकताओं तथा उनकी युक्तिसंगत मांगों की ओर ध्यान देना है। लोगों को अपने क्षेत्र में अपनी मातृ-भाषा का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए अन्यथा वे पिछड़े ही रह जायेंगे।

आज बंगाल राजनीति में समस्त राष्ट्र से दस वर्ष आगे है क्योंकि उसे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश का कोई भाग तभी उन्नति कर सकता है जब कि उसे अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए, सरकार से मेरा निवेदन है कि वह राजस्थानी को संविधान की अष्टम अनुसूची में यथोचित स्थान प्रदान करने की मांग को स्वीकार कर लें।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Dr. Karni Sianh, who has brought this Bill before the House has raised a very important point which had been engaging our attention ever since 1966. If the arguments put forth by Dr. Karni Singh be in favour of Rajasthani, then there are several languages which will have to be considered. Maithili is one of such languages which is spoken by about two crores of people. It has a very rich grammar and literature which has been given a very high place by Dr. Suniti Kumar Chatterjee, the famous philologist. The National Academy has been giving a very high place to Maithili in their annual reports. Even before independence the Calcutta University had taken up the cause of that language.

Our Constitution has recognised 16 languages. While the Sahitya Academy has recognised 20 languages. Taking all aspects in view, we should consider whether Rajasthani, Maithili, Nepali or any other language spoken by a large number of people can find a place in our Constitution. I would, therefore, request the Government to constitute a Committee consisting of linguists and philologists to consider the claims of different languages for inclusion in the Eighth Schedule of the Consitution. Looking at the way the Government of India has been moving for the promotion and development of various languages by establishing the Sahitya Academy as also by appointing Languages Commission, it appears that the day is not far off when Rajasthani, Maithili, Nepalese and other languages will find a due place in the Constitution.

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh) : Sir, if the use of Hindi as official language had been started immediately after the framing of the Constitution, the question of different regional lenguages that is being raised today would not have arisen. About 75 percent people in the country use Devnagri script with slight variations and the number of Hindi-knowing people is 85 percent. Even then most of the official work say, 85 per cent of work is transacted in

English. Why is the Government afraid of a handful of English-knowing people ? We cannot defend democracy if we continue to use English as our official language for we shall never get rid of the old set up of bureaucracy and red-tapism introduced by the British Rulers, a legacy which has been carried over from them. There is a dire need to change the whole set up.

A demand for inclusion of Rajasthani in the Eighth Schedule has been put forth through this measure. But I feel if today the claim of Rajasthani is accepted then tomorrow the Brij-speaking people would raise the question of their language as their number is about three crores. So it will be better that these regional languages are used only at home and the official work is transacted in Hindi alone.

The D. M. K. people advocated the cause of English which is a foreign language, and the case of that language cannot he supported. If they raise the question of their own language, that is, Tamil, we can support it. The country cannot prosper until English is completely done away with and Hindi is given its rightful place in the transaction of official work.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The demand for inclusion of Rajasthani in the Eighth Schedule of the Constitution is quite justified. We shall not ask for it if it comes in the way of Hindi which is our national and official language. What we want is Rajasthani should prosper and grow under Hindi, and it should get protection and encouragement from the Government. It is not correct to say that the number of Rajasthani-speaking people is going down. It fact the number of such people in Rajasthan is growing who speak three languages—Rajasthani, Hindi and English.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परीक्षणात्मक आणविक विस्फोट*

EXPERIMENTAL NUCLEAR EXPLOSION FOR PEACEFUL PURPOSES

सभापति महोदय : अब श्री समर गुह आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस समय मैं यह प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि भारत को आणविक हथियार बनाने चाहियें या नहीं बल्कि यह चर्चा आरंभ करना चाहता हूं कि क्या इस शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाना चाहिये या नहीं ।

हम आणविक ऊर्जा का प्रयोग स्वास्थ्य, चिकित्सा और बिजली के उत्पादन के लिये कर रहे हैं। जिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये आणविक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उनका पता लगा लिया गया है । उन मेंखनन कार्य और अनेक प्रकार के खनिजों के पता लगाने में सहायता प्राप्त करना है । भूमिगत खनिजों और तेल आदि का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है । रेगिस्तानों को हरे खेतों में बदलने, नदियों को मोड़ने और नदियों को नौवहन के योग्य बनाने में सहायता ली जा सकती है । इस प्रकार यह अनेक प्रयोजनों के लिए लाभप्रद है ।

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-hour discussion.

इस विषय पर मैंने पहले भी चर्चा उठायी थी। यह 20 अप्रैल, 1970 को थी। सरकार की ओर से उस समय कहा गया था कि सरकार आणविक ऊर्जा का आर्थिक उत्थान के लिये लाभ उठायेगी। इसी नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने आणविक हथियारों के फैलाव को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। इस प्रकार हम अपने हाथ बांधना नहीं चाहते थे। दो वर्ष हो चुके हैं परन्तु सरकार ने इस ऊर्जा का विशेष लाभ नहीं उठाया है। सरकार के विचार में इसमें अनेक जोखिम हैं। फिर यह भी समझा जाता है कि यदि पहाड़ी क्षेत्र में विस्फोट किया जाये तो किसी प्रकार के भूकम्प का भय होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि इन सभी खतरों के लिए उचित व्यवस्था की जा सकती है।

हमें अपने संसाधनों और जानकारी बढ़ाकर आगे बढ़ना है। हमें अन्य देशों पर निर्भर न करके अपने देश में अनुसन्धान करके आवश्यक परीक्षणों के पश्चात् आणविक प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिये और इससे शान्तिपूर्ण प्रयोग में अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिये। विस्फोट करने में और विलम्ब नहीं होना चाहिये। हमारे अपने द्वीप हैं, रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर ऐसे विस्फोट करने में सुविधा रहेगी। हमारे देश में अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मैं हैरान हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विलम्ब क्यों कर रही है ?

जहां तक इस पर व्यय की बात है वह अधिक नहीं होगा। एक साधारण विस्फोट पर लगभग 30 लाख रुपये व्यय होंगे। मेरे विचार में यह इससे भी कम होगा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने परीक्षणात्मक विस्फोट क्यों नहीं किये हैं ?

Shri Ramavatar Shastri : Sir, I want to know whether any five year plan has been finalised in regard to (a) experimental nuclear explosions for peaceful purposes; if so, the main features of the same and if not, whether Government has any plan to do so; and

(b) whether Government propose to utilize experimental nuclear explosions for increasing production ; if so, the nature of the proposal ?

श्री डी० के० पंडा : हम पहले ही तापीय और जल विद्युत् का उपयोग कर रहे हैं, जोकि बहुत महंगी पड़ती है। हमें आणविक बिजली के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। इस बिजली को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों जैसे रोगों की चिकित्सा आदि जैसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जिन देशों में इसका ऐसा प्रयोग किया जा रहा है क्या उनके साथ सहयोग के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I am glad that Government is now prepared for utilizing the the nuclear energy for peaceful purposes. Shri K. C. Pant is now a Minister and I hope he will stick to his views which he held previously. He was of the opinion that India should go for nuclear bombs.

I have come across a recent book on China. It says that after 15 years China will become a big nuclear power. We should also manufacture such bombs. This will act as a good deterrent. We can utilize nuclear energy for other peaceful purposes. I want to know when Government propose to undertake this project so that confidence can be restored in people.

I know our scientists are capable of making nuclear bombs. It is Government which is against it. One thing is clear that if we do not catch time by the forelock we will repent and the coming generation will accuse us of negligence. I urge upon this Government to conduct a blast for peaceful purposes.

श्री एस०एम० बनर्जी : मेरे विचार में सरकार को एटम बम नहीं बनाना चाहिए। इस शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करना चाहिए। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी मित्र देश से भी सहायता ली जायेगी ?

[**श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमन्, श्री समर गुह ने इस विषय को समय समय पर उठाया है। वैसे प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में 20 अप्रैल, 1970 को कहा था कि परमाणु अस्त्र बनाने के पक्ष में नहीं है, परन्तु साथ ही परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग किये जाने के विरोध में नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत ने आणविक प्रसार विरोधी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। हमें उसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

हमारा अणु ऊर्जा आयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संसार द्वारा की गई प्रगति से सम्पर्क बनाये हुए है। उसमें अणु ऊर्जा, आणविक शक्ति, भूमिगत विस्फोट और आणविक विस्फोट शामिल हैं। वे सिद्धान्त तथा प्रायोगिक दृष्टि से इस विकास से निरन्तर सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

इन भूमिगत विस्फोटों के आर्थिक महत्व का अध्ययन भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इस प्रक्रिया में यदि धरातल के निकट कुछ रेडियो एक्टीविटी वातावरण में मिश्रित हो जाती है तो उस पर अवश्य ध्यान देना होगा और उसके परिणाम का मूल्यांकन करना होगा। जब तक कोई अपनी कार्यवाही के बारे में विश्वस्त नहीं होता तब तक कोई इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इस प्रकार की समस्याओं का अव्ययन करना पड़ता है और जब इन सब प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो जाता है तभी भूमिगत विस्फोट किया जाता है।

इंजीनियरिंग की दृष्टि से ये सभी बातें सम्भव हैं और उन्हें किया जा सकता है, परन्तु वास्तव में कोई इन्हें इसलिए नहीं करता क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। विश्व में जो विकास हो रहा है हमारे वैज्ञानिक उसकी जानकारी रखते हैं। और हमारी स्थिति का अनुरूप इस प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी वे जागरूक हैं।

इन विषय पर होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत सदैव सक्रिय भाग लेता रहा है।

श्री समर गुह : रिपोर्ट में यह स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं....

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे समाप्त करने दीजिए।

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं। मैंने श्री गुह को अनुमति नहीं दी हे।

श्री समर गुह : यह कैसा सदन है....*

* सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नही किया गया।
*Not recorded.

श्री समर गुह : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : हां, अब आप पूछिये।

श्री समर गुह : यह गैस बग्घी के बारे में है। दो परीक्षण विस्फोट हुए थे। क्या भारत का प्रतिनिधि उस समय उपस्थित था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परीक्षणों के समय हमारा प्रतिनिधि मौजूद था। एक अन्य विस्फोट का परीक्षण जिसे रेलिसन कहा गया, सितम्बर, 1971 में किया था और भारत का इससे भी सम्बन्ध था। वियाना में एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय आई० ए० ई० ए० ने शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए आणविक विस्फोटों के उपयोग के सम्बन्ध में एक बैठक बुलायी थी, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। इस बैठक का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि इस क्षेत्र में प्राप्त जानकारी का विनियम पूरी तरह से किया जा सके। भारत को इस स्थिति और इस क्षेत्र में होने वाली अन्य प्रगति की जानकारी रहती है और चूंकि हम इस क्षेत्र में विशेष रुचि रखते है अतः हम भविष्य में ऐसा करते रहेंगे। आणविक शक्ति के विभिन्न उपयोगों में से भारत अलौह धातुओं जैसे तांबा, जस्ता और सिक्का को खानों से निकालने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने में विशेष रुचि रखता है। अन्य देश इस विषय में जो कार्य कर रहे हैं भारत उसका भी बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहा है।

आणविक विस्फोटों के किसी विशिष्ट शान्तिपूर्ण कार्य के लिए उपयोग सम्बन्धी लागत में मितव्ययिता हेतु विभिन्न कारणों का व्यापक और सावधानीपूर्ण अनुमान लगाना आवश्यक है। इस बारे में शीघ्र निर्णय करने और इस प्रकार के विस्फोट करने के समय अथवा तारीख निश्चित करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं।

भारत इस बारे में कि यह विस्फोट कितने लाभप्रद है और विश्व में इस सम्बन्ध में होने वाले कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सजग है और वह इस प्रौद्योगिकी द्वारा ढूढ़ी गई तकनीकों अथवा प्रक्रियाओं को अपनी विकास कार्यक्रमों में लागू करने के लिए तैयार रहता है। आणविक विज्ञान का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करने हेतु हमारे वैज्ञानिक सक्रिय हैं।

देश में छात्रों में असन्तोष और दिल्ली विश्वविद्याल में 6 दिसम्बर, 1972 को हुई घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा

DISCUSSION ON STUDENTS UNREST IN THE COUNTRY AND INCIDENTS IN DELHI UNIVERSITY ON DECEMBER 6, 1972

सभापति महोदय : अब श्री ज्योतिर्मय बसु छात्रों में बढ़ते हुए असंतोष और दिल्ली विश्व-विद्यालय की घटनाओं की चर्चा पर अपना आगे का भाषण जारी करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : "हिन्दुस्तान टाइम्स" के प्रथम पृष्ठ पर एक चित्र छपा है जिससे पता चलता है कि यह सरकार छात्रों के साथ क्या बर्ताव कर रही है। उस चित्र में आप देख सकते हैं कि छात्रों को पुलिस वाले पीट रहे हैं और एक मेजिस्ट्रेट उन्हें रोक रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र बन गया है।

कठिनाई यह है कि सरकार इस विषय की गहराई में नहीं जाती। छात्रों का भविष्य अन्धकारमय है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है और उन्हे भी हमारी तरह आज आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

"नेशनल हेरल्ड" के 25 सितम्बर, 1972 के अंक में सम्पादकीय के अन्तर्गत यह लिखा गया है कि न तो विश्वविद्यालय और न ही राज्य प्रशासन के पास छात्र-समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई मशीनरी है। यहां तक कि पेय जल व्यवस्था और छात्रों के लिए विश्राम कक्ष आदि बनाने जैसी उचित मांगों को भी उस समय माना जाता है जब हिंसात्मक घटनाएं हों। शिक्षा के क्षेत्र में देश का ऐसा कोई भाग नहीं जहां असंतोष व्याप्त न हो। सरकार इस समस्या को पुलिस की दृष्टि से देखती है और इसे कानून और व्यवस्था की समस्या मानती है। शिक्षा आयोग के अनुसार, शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को, जो सामन्तवादी और परम्परावादी समाज द्वारा साम्राज्यवादी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनायी गई थी, यदि आज की लोकतांत्रिक समाजवादी समाज के उद्देश्यों को पूरा करना है तो उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना आवश्यक है।

इस असंतोष का एक अन्य कारण शिक्षकों में असंतोष है। हरियाणा में शिक्षकों का आन्दोलन इसका एक उदाहरण है। वहां 1000 प्रोफेसरों को गिरफ्तार करके बन्दी बना लिया गया है। इस प्रकार के दमनचक्र स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हरियाणा में विद्यार्थियों की यूनियन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। क्या यह एक लोकतन्त्रीय देश में किया जा रहा है? अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार करना चाहिये। दिल्ली के सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की कठिनाइयों को ही लें, तो आप पायेंगे कि ...

शिक्षा मन्त्री (प्रो० नूरूल हसन) : क्या यह इस चर्चा का विषय है?

सभापति महोदय ; हमारी चर्चा का विषय है :

"छात्रों में बढ़ता हुआ असंतोष और दिल्ली विश्वविद्यालय में घटनाएं।"

आप इसी पर ही बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विद्यार्थियों को कालेजों में दाखिला नहीं मिलता। या केवल धनी वर्ग के लोगों के बच्चों को ही दाखिल किया जाता क्योंकि फीस आदि की ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं जो गरीब पूरी नहीं कर सकते।

फरीदाबाद मेडिकल कालेज में 220 लड़कों और लड़कियों ने प्रत्येक ने 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति फीस और शिक्षा शुल्क के रूप में दिए हैं। इस संस्था के प्रबन्धकों ने 44 लाख रुपये की राशि हड़प कर ली है। सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में प्रभाव डालने के लिए भारी धनराशि व्यय की गई है। फिर भी इनके लोग हार गए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में लाखों रुपया व्यय किया गया और विद्यार्थी नेताओं को खरीदा गया है।

क्या हमारे शैक्षिक जीवन का यही स्तर रह गया है ? पुलिस विश्वविद्यालय में घुसकर अत्याचार करती है । पश्चिमी बंगाल में पुलिस ने बहुत ऊधम मचाया है ।

ऐसा अफवाह है कि जिस बस के अपहरण के कारण छात्रों को दोष दिया जा रहा है उसमें किसी गुप्तचर संस्था का हाथ था । दिल्ली विश्वविद्यालय के मामलों की छानबीन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त संसदीय समिति स्थापित की जानी चाहिये ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : हमें छात्र असंतोष के बारे में व्यापक संदर्भ में विचार करना है । यदि हम इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो इसके मूल कारणों पर विचार करना होगा ।

हमने आशा की थी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जायेगा । शिक्षा का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को विस्तृत ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है । शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाये जिससे शिक्षित व्यक्ति समाज का एक उपयोगी सदस्य और एक महत्वपूर्ण नागरिक बन सके । क्या हम इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं ? इस प्रश्न और अन्य ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं में है । वास्तव में आज की शिक्षा उसे किसी भी काम के योग्य नहीं बना रही है और रोजगार योग्य होने की बजाय उसे बेरोजगार योग्य बना रही है ।

आज छात्रों में असंतोष का कारण उनकी उद्देश्यहीन शिक्षा है । उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद निराशा का सामना करना पड़ता है । हमें अपनी शिक्षा नीति में समुचित परिवर्तन करके उसे उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिये ।

आज हम देखते हैं कि अध्यापक और कुलपति अधिकांश छात्रों में विश्वास की भावना पैदा नहीं कर सके । इसका अभिप्राय यह है कि हमारे कुलपतियों और अध्यापकों में कोई गम्भीर दोष है । हमें छात्रों को राष्ट्र निर्माण के सामूहिक कार्यक्रम में लगाना चाहिये । यही उनकी शक्ति का उपयोग करने का बहुत अच्छा उपाय है । हमारी शिक्षा प्रणाली में और भी जो त्रुटियां हैं उन्हें हटाया जाना चाहिये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : गृह मत्री के वक्तव्य से ऐसा लगता है मानो वह छात्र असंतोष को स्वभावगत अपराध करने की प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने पुलिस का सा कठोर व्यवहार किया है । शिक्षा मन्त्री को भी इतना सख्त रूख नहीं अपनाना चाहिये । विद्यार्थियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये । सत्तारूढ़ दल विद्यार्थियों की सहायता से सत्ता में आ सका है । युवा वर्ग को कानूनों से दबाया नहीं जा सकता । इस असंतोष का मूल कारण यह है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य आज के समय के अनुकूल नहीं है । समूची शिक्षा प्रणाली ही आज पुरानी पड़ गई है और बेकार हो गई है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में यह संकेत दिया गया है कि यह बुराई जड़ें पकड़ चुकी है । यदि इस प्रश्न को छात्रों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने के पहलु के साथ लिया जाये तो यह पाया जायेगा कि इस सम्बन्ध में बहुत काम किया जाना चाहिये । सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

दिल्ली छात्र असंतोष एक ऐसा उदाहरण है जिससे पता चलता है कि कैसे अध्यापकों को छात्र असंतोष में परिवर्तित किया जा सकता है ।

दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापक हड़ताल कर रहे थे । ऐसे छात्रों की संख्या कम थी, जो यह चाहते थे कि कालेज बन्द हो । वह मुख्य कार्यकारी पार्षद से मिलने गये थे । उन्हें बताया गया कि वह 15 दिन तक की प्रतीक्षा करें । अगले कुछ दिनों में जब छात्र वहां गए तो उन्हें बहुत पीटा गया । कुलपति एक भावुक व्यक्ति हैं तथा वह कुछ कार्य नहीं कर पाते । उपराज्यपाल ने तब स्वयं पहल की तथा महानगर परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत की तथा उन्होंने सारी समस्या का समाधान कर लिया ।

यह सुझाव दिया गया कि कुलपति को निष्कासन आदेश या तो स्थगित कर देने चाहिये या उन्हें वापस ले लेना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं किया गया । यदि कुलपति ने उपराज्यपाल के सुझाव को मान लिया होता तो शायद समस्या हल हो जाती । किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । जब छात्र स्वयं तितर बितर हो रहे थे तो लगभग 40 व्यक्तियों ने, जो कुलपति के कमरे में सादे कपड़ों में पुलिस वाले थे, छात्रों को पीटना शूरू कर दिया । कुलपति ने विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बुलायी थी । कुलपति ने दो जनसंघ समर्थित और दो कांग्रेस समर्थित छात्रों को निष्कासित कर दिया । दोनों दलों के लोग जांच समिति का गठन करने के लिए कुलपति के पास अपील करने गये । उन्होंने यह भी अपील की कि निष्कासन आदेशों को स्थगित किया जाये, किन्तु कुलपति ने राज्यपाल को कहा कि वह अपना आदेश जनवरी के महीने में वापस लेंगे । उन्होंने छात्रों के साथ इस प्रकार का रवैया अपनाया और इसे एक कानून और व्यवस्था तथा राजनीति का मामला बना देने की चेष्टा की । ऐसी प्रवृत्ति त्याग देनी चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) : जहां तक छात्रों में सामान्यतः असंतोष की समस्या का सम्बन्ध है, उसके बारे में अलग बातें सामने रखी गई हैं । ऐसा नहीं है कि सरकार इस समस्या से अवगत न हो । इस समस्या के सम्बन्ध में आयोग नियुक्त किये गये हैं और सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं । केरल में ही नहीं वरन् अन्य कई विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थियों की मांगों को मान लिया गया है । चाहे उन्हें क्रियान्वित करने में एक दूसरे से अन्तर रहा हो परन्तु छात्र समुदाय अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ है और वह कुछ और अधिक प्राप्त करने की आशा करते हैं । समूची स्थिति के पीछे यही कारण छिपा हुआ है ।

हरेक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि केवल डंडे के जोर से समस्या का हल निकालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । कोई भी समझदार सरकार या पुलिस ऐसा रुख नहीं अपना सकती । कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी विश्वविद्यालय स्थित हैं यदि उनमें से अधिकांश विश्व-विद्यालयों को देखा जाये तो ज्ञात होगा कि उनमें असन्तोष की घटनाएं अपेक्षाकृत कम नहीं नजर आती हैं । हमें इस असन्तीष की समस्या को उसके उपयुक्त सम्बन्धित संदर्भ पर विचार किये बिना बढ़ाचढ़ा कर नहीं बताना चाहिए। अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते । क्या हमने छात्रों के प्रति वयोवृद्ध के नाते अपना यह कर्तव्य निभाया है कि हम उन्हें यह बतायें कि उनकी ओर से किया जाने वाला दुर्व्यवहार सही नहीं है ? यदि काई राजनीतिक दल अपना यह कर्तव्य नहीं निभाता तो उसे छात्रों पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है । मुख्य जिम्मेवारी छात्रों की नहीं है

वरन् कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिष्ट पार्टी आदि की है जोकि स्वयं को छात्रों से अधिक पौढ़ होने का दावा करती हैं। हमने प्रौढ़ होने के नाते अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभायी है कि नैतिक साहस के साथ युवकजनों से कहें कि वे नितान्त अनुचित काम कर रहे हैं।

हर व्यक्ति जानता है कि छात्रों में भारी असन्तोष है, परन्तु यह समस्या केवल भारत के छात्रों तक ही सीमित नहीं है। इस असन्तोष को दूर करने के लिए लीकतंत्रीय तथा शांतिपूर्ण तरीके अपनाने होंगे। जब तक हमारे देश में लोकतंत्रीय पद्धति कार्य करती रहेगी और उसमें लोगों का विश्वास रहेगा तब तक ऐसी समस्याओं को सुलझाने का मार्ग प्रशस्त रहेगा।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : हर सदस्य ने यही दलील देने का प्रयास किया है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जिसमें देश के युवकों को रोजगार-उन्मुखी शिक्षा नहीं दी जा सकी है। परन्तु हमारे जैसे विकासशील देश के लिए आगामी 15-20 वर्षों तक सभी विद्यार्थियों को जो विश्वविद्यालय से स्नातक होकर निकलते हैं सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नही हो सकता। हर समय यही कहते रहना कि छात्रों को रोजगार-उन्मुखी शिक्षा दी जाये, उचित नहीं है क्योंकि इसी से उनके मन में यह बात पैदा हो जाती है कि जैसे ही वे विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करके आते हैं वे रोजगार पाने के योग्य होते हैं। इस प्रकार यह असन्तोष की समस्या पैदा होती है।

शिक्षापद्धति में सुधार की बात करते समय हम केवल उस स्थिति तक ही पहुंचते हैं जिसमें विश्वविद्यलय से निकलने वाले छात्रों के मन में रोजगार पाने की भावना प्रबल बनाने की हम कोशिश करते हैं। अब हमें इस समूचे सिद्धान्त में धन को मुख्य स्थान देना बन्द कर देना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् विद्यालय छोड़ते समय यह अनुभव करे कि अब उसका एकमात्र उद्देश्य रहन-सहन का एक स्तर प्राप्त करने के लिए केवल धन कमाना नहीं है वरन् उसमें एक नया व्यक्तित्व जागृत हुआ है। मारे विद्यार्थियों में रोजगार के लिए पढ़ाई और धन की पूजा की भावना जो हमारी शिक्षा पद्धति से पैदा की जाती है अब घटाई जानी चाहिए। शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी को केवल धन-उपार्जन की मशीन नहीं बन जाना चाहिए। पश्चिम के अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र ऐसे छात्र बना रही हैं जिनके सामने केवल धन ही सब कुछ नहीं है। हम इस लक्ष्य तक निकट भविष्य में नही पहुंच सकते। हमारे देश के छात्रों में असन्तोष की इस समस्या पर गहराई से विचार करना होगा केवल रोजगार-उन्मुखी शिक्षा ही इस समस्या का हल नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : छात्र में असन्तोष की समस्या विशेष रूप से भारत की ही समस्या नहीं है। यह समस्या तो विश्वभर में चल रही है और इसके अनेक कारण हैं। यह भी सच है कि कोई सा देश हो आज उनके विश्वविद्यालयों की हालत एक सी ही है। इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।

विद्यार्थियों में असन्तोष रहना पूर्णतः बुरी बात नहीं है। वास्तव में थोड़े बहुत असन्तोष का तो स्वागत करना होगा, यदि वह असन्तोष परिवर्तन, गतिशीलता, सार्थक विचार-विमर्श, सोद्देश्य प्रयत्न के लिए है। जब असन्तोष हिंसा और बर्बादी का रूप ले ले तो हमें उसकी आलोचना करना आवश्यक हो जाता है। हमें असन्तोष और हिंसा में अन्तर देखना होगा।

हिंसात्मक कार्यों के लिए तो अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए। परन्तु हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें उस हिंसात्मक घटनाओं की जोकि वरिष्ठ लोगों, विश्वविद्यालय की संस्थाओं, सरकारी नेताओं, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने वचन तोड़ने और समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर लेने वाली बुराइयों के कारण घटती हैं, हमें जानकारी है ? इसके लिए किसी हद तक अध्यापक भी उत्तरदायी हैं।

इस असन्तोष का एक कारण यह भी है कि अध्यापक और छात्र के बीच तथा वयोवृद्ध और युवक के बीच परस्पर कोई सम्पर्क नहीं है। छात्रों के प्रति अत्यधिक मानवीय और व्यक्तिगत सौहार्द्र भावना का होना आवश्यक है और छात्रों में यह भावना उत्पन्न की जानी चाहिए कि वयोवृद्ध लोग तथा शैक्षिक संस्थाओं को उनका पूरा-पूरा ध्यान है। यदि ये सब बातें हों, तो छात्रों में असन्तोष की समस्या को आंशिक रूप से हल किया जा सकता है।

छात्रों में असन्तोष की समस्या को केवल दलबन्दी या राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। इस समस्या पर हमें अधिक व्यापक दृष्टिकोण से अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Whatever is happening in Delhi University or at other places are agonising. The intellectuals should pay their attention to the fact that the capacity of thinking in the right direction in our students and teachers is declining.

Political parties are interfering in the field of education and the Government should see that the student communisy is kept aloof from the influence of political factions. The future generation should be spared for it involves their future. Politics should not be allowed to make intrusions in the Universities.

शिक्षा, समाज कल्याण यथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र श्री जगन्नाथ राव जोशी के इस कथन की शुद्धि करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के शासन काल में पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश नहीं किया। 1942 में जब मैं अध्यापक था, मुझे अपने विद्यार्थियों की अपनी सामर्थ्यानुसार रक्षा करनी पड़ी थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अंग्रेजों ने शिक्षा सस्थाओं में कदाचित ही प्रवेश किया था।

प्रो० नूरूल हसन : मेरे मित्र का यह कथन भी गलत है कि एक तिहाई आन्दोलन सेवाओं में सुधार के लिए थे। जून, 1972 और नवम्बर, 1972 तक की अवधि में विद्यार्थियों के असंतोष के 4136 मामले हुए, जिसमें से क्षेत्रीय, भाषायी, साम्प्रदायिक, संकीर्ण स्वार्थों आदि कारणों से गम्भीर घटनाओं की संख्या 1395 थी। इससे स्पष्ट है कि एक-तिहाई से अधिक घटनाएं प्रगतिशील बातों के कारण नहीं थीं। बल्कि विखण्डनकारी कारणों से यह एक गम्भीर बात है क्योंकि इससे देश की उन्नति और प्रगति में बाधा पड़ती है। मुल्की नियमों को लेकर हुए दंगों को ही ले लीजिए। कुछ नौकरियां कुछ भाइयों को मिलती हैं, कुछ अन्य भाइयों को मिलती हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह तो आपके द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट है।

प्रो० नूरूल हसन : यह आर्थिक संकट नहीं है, विचारधारा का योगदान महत्व रखता है, माननीय सदस्य लेनिन को भूल गए हैं लगते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु **

प्रो० नूरूल हसन : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का ध्यान श्री लेखानॉव के विचारों की ओर आकृष्ट करूंगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) **:** हम इस सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। हमारी विचारधारा सम्बन्धी अपनी मान्यताएं हैं।

प्रो० नूरूल हसन : देश में एक खतरनाक विचारधारा पनपने लगी है, जिसके लिए विद्यार्थियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने पूछा था कि क्या सरकार का दिल्ली विश्वविद्यालय का अधिलंघन करने का विचार है। मेरा उत्तर है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उनका दूसरा प्रश्न था कि क्या करने पर बलपूर्वक अधिकार करने की कार्यवाही किन्हीं एजेन्टों के भड़काने से की गई थी ? मैं तो ऐसा नहीं समझता, उन्हें ऐसा कहने से पहले तथ्यों का पता लगा लेना चाहिए। उनकी गैर-सरकारी प्रबन्धकों के पास धन की कमी की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वे शिक्षा क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के हिमायती कब से बन गये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह गलत है।

सभापति महोदय : आपको बीच बीच में इस तरह नहीं टोकना चाहिए।

प्रो० नूरूल हसन : श्री एस० एन० मिश्र ने कहा कि जब जयपुर में श्री वी० वी० की जान पर आक्रमण हुआ, तो क्या आपने उनकी निन्दा की थी ? मेरा स्पष्ट उत्तर 'हां' में है।

श्री समर गुह की यह धारणा कि उप-कुलपति विद्यार्थियों से मिलने से बचना चाहते थे, सही नहीं हैं। मैं पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका हूं कि 14 नवम्बर को जब विद्यार्थियों का दल विश्वविद्यालय गया, तो उपकुलपति को पूर्वनियत एक भाषण के लिए जाना था। 7 बजे वापस आने पर उन्होंने सारी घटना सुनी।

दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्या के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विस्तृत रूप से बोल चुके हैं। केवल तीन-चार पहलुओं के बारे में कहूंगा। 6 दिसम्बर को विद्यार्थियों द्वारा प्रशासन अपने हाथ में लेने की अन्तिम चेतावनी दी जाने के बाद उपकुलपति ने विद्यार्थी संघ के सचिव को लिखा कि वे विद्यार्थियों की सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाना चाहते हैं। बाद में उपकुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष से भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। शिक्षक संघ ने विद्यार्थी संघ से इसके लिये अनुरोध किया। विद्यार्थी संघ ने कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण माँगा, जिसका शिक्षक संघ ने पालन किया। परन्तु संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair

विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से, जिसमें सभी पदाधिकारी शामिल थे, मेरी बातचीत हुई और तीन बातों पर पूर्ण सहमति थी। पहली बात, विश्वविद्यालय में हिंसा और डराने-धमकाने की कार्यवाही के लिए कोई स्थान नहीं है, दूसरे हिंसा और डराने-धमकाने की कार्यवाही के लिए दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाना चाहिए, और तीसरी बात यह कि विद्यार्थियों के किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को इस कारण से कि वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विश्वविद्यालय के नियमों की सामान्य प्रक्रिया से कोई छूट नहीं दी जायेगी। इसको देखते हुए प्रश्न यह रह जाता है कि निष्कासित विद्यार्थी वास्तव में दोषी हैं अथवा नहीं। इसके लिए तीन व्यक्तियों की एक जांच समिति गठित की गई थी जिसने उन्हें हिंसा करने तथा हिंसा के लिए उकसाने का दोषी पाया। यदि वे यह अनुभव करते हैं कि उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही गलत है, तो वे कार्यकारी परिषद से अपील कर सकते हैं, जो उनकी सभी शिकायतें सुनने के अधिकार रखती है।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य असंतोष और हिंसा के बीच अन्तर को समझें। एक बात तो यह हुई कि तर्क रखे जायें और अपने विचारों का ठोसपन सिद्ध किया जाये और उसके आधार पर निर्णय हो। इसके विपरीत यदि हिंसा की धमकी देकर कोई बात मनवाने का प्रयास किया जाये, तो शिक्षा संस्थाओं में बौद्धिक जीवन समाप्त हो जायेगा।

लोकतंत्र में, चाहे वह कोई देश क्यों न हो, हिंसा की निन्दा की जायेगी, हिंसा का दमन करना आवश्यक है। हिंसात्मक वातावरण में कोई भी शिक्षा संस्थान कार्य नहीं कर सकता। यदि वहां ऐसा कोई काण्ड होता है तो उसे दबाया जाना चाहिए।

विरोधी पक्ष के प्रत्येक सदस्य ने विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस प्रवेश की निन्दा की है। मैंने स्वयं यह बात कही है कि वहां पुलिस का बुलाया जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में, जब कि वहां हिंसा तथा संत्रास खतरा है और धमकी दी जा रही है, कार्य कर सकता है ? मैं यही कह सकता हूं कि ऐसी हालत में काम करना संभव नहीं है।

कहा गया है कि बेरोजगारी व्याप्त है। निःसन्देह देश में बेरोजगारी है किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। अतएव उन्हें उचितानुचित सब करने का अधिकार है जो बिना पढ़े-लिखे लोगों को प्राप्त नहीं है। हम उन लोगों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, कोई अलग पैमान इस्तेमाल नहीं कर सकते, महज इसलिए कि वे शिक्षित नहीं है।

सारी बात का विवेचना करके निर्णय यह लेना है कि : क्या हम छात्रों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं अथवा जवानों जैसा ? यह एक मूलभूत प्रश्न है। यह कहना कि छात्रों के साथ युवकों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले निकायों में उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ यह भी कहना कि उनमें बचपना है—ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। ये तर्क स्वयं परस्परविरोधी हैं। मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले निकायों में छात्रों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। हालांकि इससे छात्रों में व्याप्त असन्तोष की समस्या का समाधान होने वाला

नहीं है फिर भी, शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके।

मैंने अनेक अवसरों पर उच्च शिक्षा तथा परीक्षा व्यवस्था की विद्यमान प्रणाली पर अपना तथा सरकार का असन्तोष व्यक्त किया है तथा आलोचना तक की है और हम इस प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करने के लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किन्तु चिन्ता की बात यह है कि मांग यह नहीं की जा रही है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली अपर्याप्त है जो योग्यता की परीक्षा नहीं है और वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत जो लोग अपनी बुद्धि का विकास करने में सफल नहीं हुए हैं वे भी किसी न किसी तरह सफल हो जाते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ मामलों में ऐसा आन्दोलन चला है कि मूल्यांकन का स्तर घटाया जाये, प्रश्न-पत्र और अधिक सरल बनाये जायें, पास करने के लिए अंकों की प्रतिशतता कम की जानी चाहिए आदि आदि। यहां तक कि 74 मामले ऐसे हैं जिनमें मुख्यतः यही मांग की गई है। इस मामले पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में इसलिए भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा अधिक रचनात्मक हो सके और वह समाज के कल्याण के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने में योगदान कर सके। बहुत से ऐसे प्रश्न भी उठाये गये हैं जो मुख्य प्रश्न से सर्वथा भिन्न हैं। अतः हमें वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना होगा और इस प्रश्न पर साक्षेप रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दो बातें विचारणीय हैं। सर्वप्रथम हमें शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए कार्यवाही करना जरूरी है। दूसरी बात यह कि हमें विश्वविद्यालय प्रांगण में हिंसा, डराने-धमकाने की कार्यवाही और हिंसा की धमकी सहन नहीं करनी चाहिए।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 18 दिसम्बर, 1972/27 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 18th December, 1972/Agrahayana 27, 1894 (Saka).

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow, 30-4-73—115.